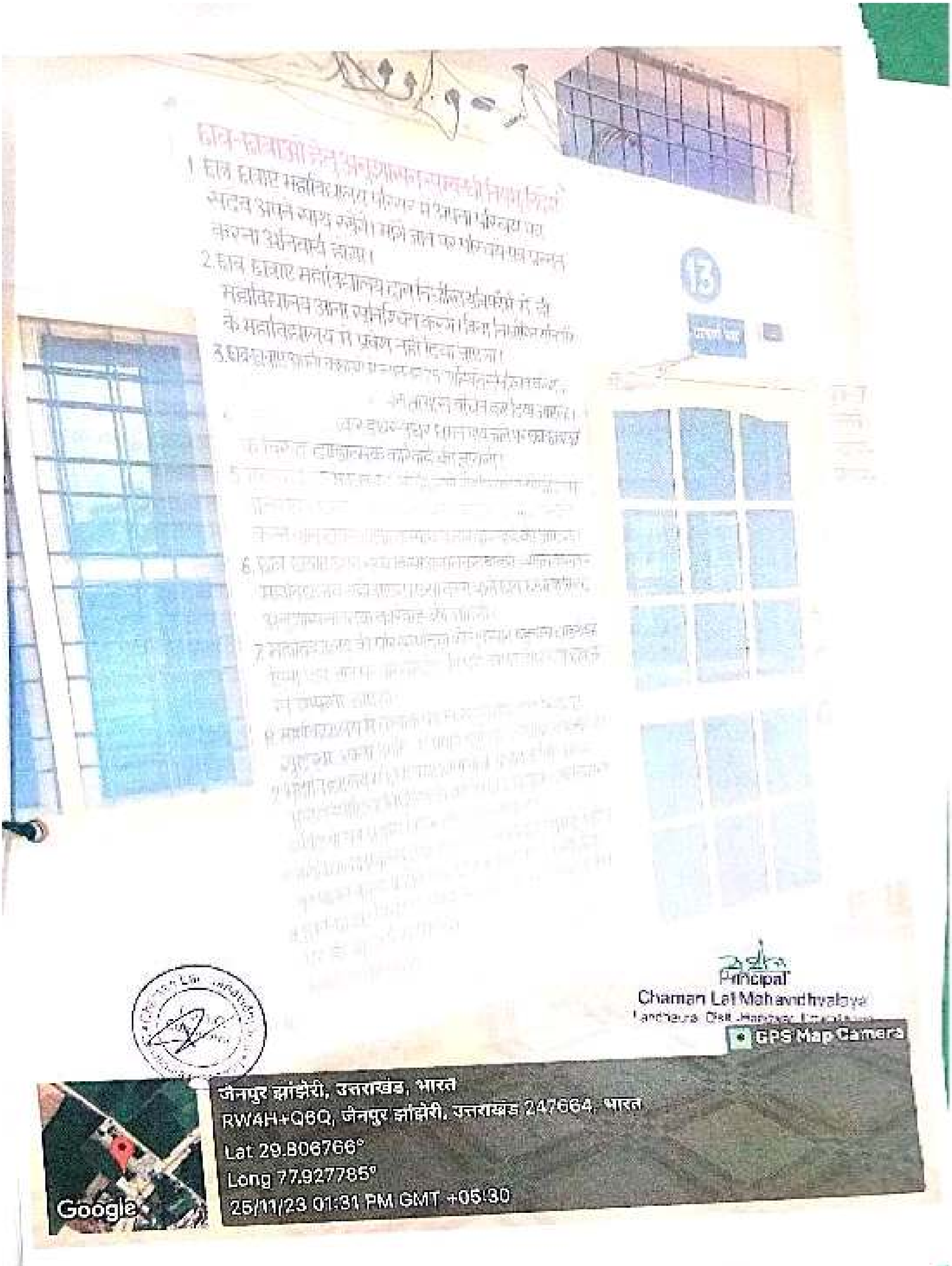
13
Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
GPS Map Camera
जैनपुर झांझेरी, उत्तराखंड, भारत
RW4H+Q8Q, जैनपुर झांझेरी, उत्तराखंड 247664, भारत
Lat 29.806766°
Long 77.927785°
25/11/23 01:31 PM GMT +05:30
Google

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar

चमन लाल महाविद्यालय

(अशासकीय सहायता प्राप्त संस्था)

लंढौरा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्ध)

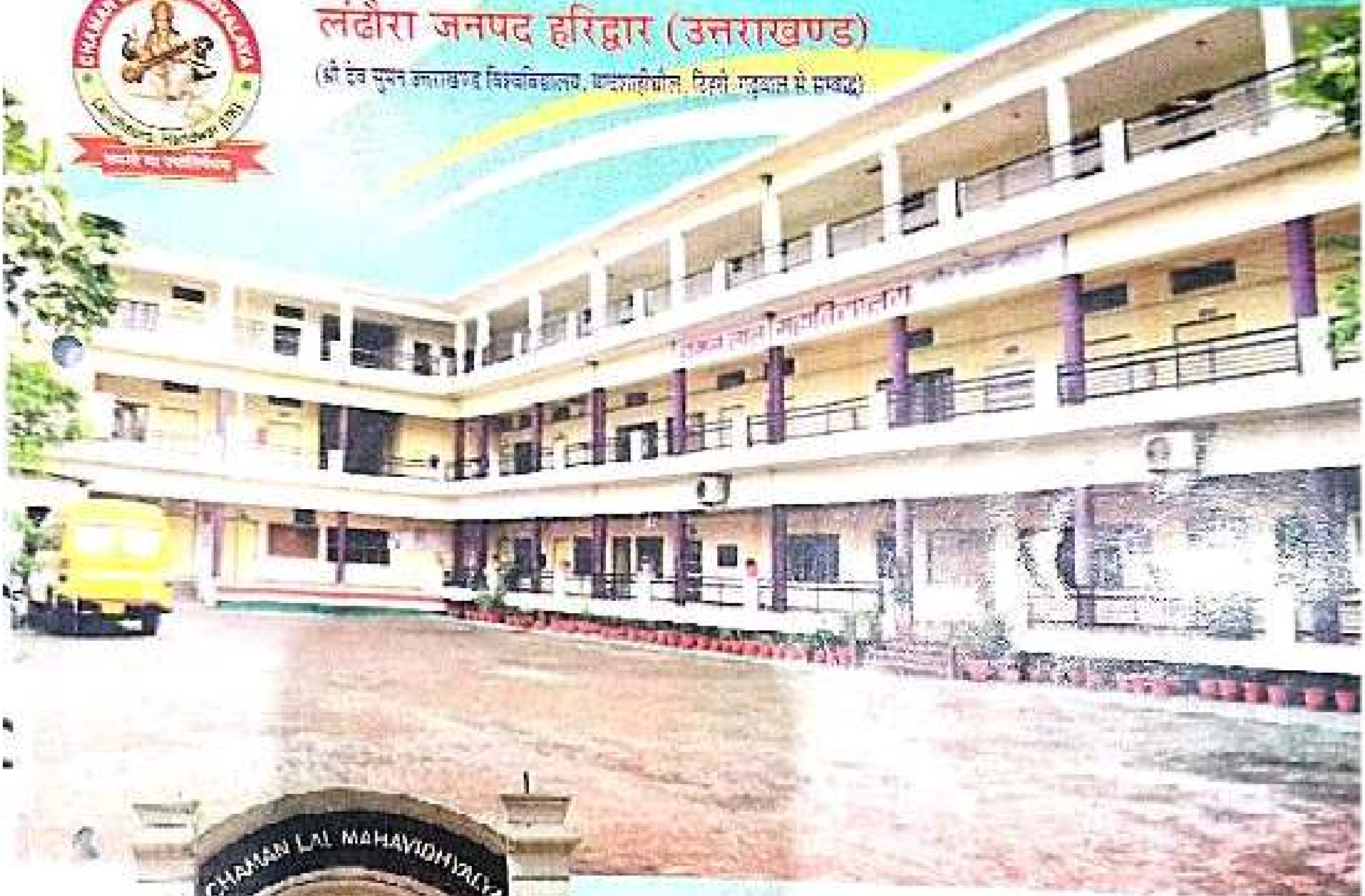

विवरणिका
Prospectus

Mob. : 7456099119, 9719757846, 7017590322
E-mail : cldegree21@gmail.com
Website : www.cldcollege.com

आचार-संहिता

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. परिसर में किसी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी या अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षा शिक्षणेत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड चार में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय की व्यवस्था के किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज जिनमें पत्रावलियाँ, पैम्पलेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनाएं आदि सम्मिलित हैं का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण करना।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषीय आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो महाविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, अथवा शारीरिक हिंसा करता है, अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार अथवा यौन उत्पीड़न सम्बंधी कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा अन्य कोई भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को नष्ट करता हो।
17. अनधिकृत रूप से पैसा एकत्र करना।
18. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
19. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
20. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय व्यवस्था के किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के क्षमता में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
21. रैगिंग करने सम्बंधी अथवा उसमें लिप्त होने संबंधी कोई कृत्य।

Chaman Lal Mahavidyalaya

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar Uttarakhand

आवश्यक निर्देश

प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय विवरणिका में दिये गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा उनका अनुपालन करें।

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2. महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है, यदि कोई रैगिंग करता पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. महाविद्यालय परिसर में अस्त्र–शस्त्र लाना प्रतिबंधित है। यह कानूनी अपराध भी है।
4. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र / छात्रा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्र / छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का होगा।
5. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति अथवा अनुशासन समिति की संस्तुति पर किसी छात्र / छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है या प्रवेश देने हेतु मना कर सकते है।
6. कोई भी छात्र / छात्रा महाविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए क्यों न आया हो, महाविद्यालय वेशभूषा में आना अनिवार्य है।
7. महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड सम्भव है। कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है।
8. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला निषेध है इनका सेवन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है संबंधित के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाई भी सम्भव है।
9. महाविद्यालय में अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा की स्थिति में वाहन की सुरक्षा महाविद्यालय की नहीं होगी।
10. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाये जाते है, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
11. कोई भी छात्र / छात्रा किसी दूसरे छात्र / छात्रा पर धर्म जाति संबंधी टीका टिप्पणी न करें। ऐसा करना कानूनी अपराध हो सकता है।
12. सभी छात्र–छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। यह कभी भी मांगा जा सकता है।
13. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु छात्र–छात्राओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित दिन में अपनी पुस्तकें निर्गत अवश्य करायें। पुस्तके निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
14. छात्र–छात्राएँ अपनी कक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त इधर–उधर न घूमें।

Chaman Lal Mahavidyalaya ... (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt-Haridwar, Uttarakhand

15. छात्राओं के लिए भवन की पूर्वी सीढ़ियाँ एवं छात्रों के लिए पश्चिमी सीढ़ियों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीढ़ियों का ही प्रयोग किया जाये।

16. प्रबंध समिति एवं प्राचार्य कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें।

17. शिक्षकों एवं कार्मिकों के प्रति छात्र–छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाई की जाएगी।

18. किसी भी प्रकार का धन जो आपने महाविद्यालय में जमा किया है, उसकी रसीद तुरन्त अवश्य प्राप्त कर लें।

19. महाविद्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

20. निर्धारित कार्मिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को शुल्क आदि न दें। महाविद्यालय की ओर से शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

21. किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लेकर सीधे प्रबंध समिति / प्राचार्य कक्ष में प्रवेश न करें। संबंधित शिक्षक / कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।

22. सभी छात्र एवं पुरुष कार्मिक छात्राओं एवं महिला कार्मिकों के साथ व्यवहार में मर्यादा का पालन करेंगे। अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

23. प्रवेश के समय दिया गया शुल्क प्रवेश स्वैच्छिक निरस्त कराने या महाविद्यालय द्वारा किसी कारण से निरस्त करने के बाद वापिस नहीं होगा।

24. प्रवेश की तिथि से 30 दिन पश्चात शुल्क वापसी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभिभावकों के लिए

यदि आपका पुत्र/पुत्री किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि किसी आकस्मिक/गंभीर स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके।

IQAC

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

एण्टी रैगिंग

महाविद्यालय में रैगिंग की समस्या के नियन्त्रण हेतु मा. सुप्रीम कोर्ट एवं यू. जी. सी. के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रैगिंग में पकड़े जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है –

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. छात्रावास से निष्कासन।
7. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
8. रू. 25 हजार तक का जुर्माना।
9. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोट: छात्र/छात्रा एण्टी रैगिंग का फार्म भरकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करा दें। एण्टी रैगिंग फार्म हेतु नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

https://antiragging.in
National antiragging Helpline (UGC crisis hotline)
Toll free Number 1800-180-5522
(helpline@antiragging.in)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt.-Haridwar Uttarakhand

शपथ पत्र का प्रारूप

(छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं ऑनलाइन भरा जायेगा)

1. मैं .... पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमती .... ने रैगिंग निषेध के विधि / उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय / राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भाँति पढ़ लिया है तथा पूर्णतः समझ लिया है।

2. मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

3. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ–

हस्ताक्षर .... दिन .... माह .... वर्ष ....

नाम व पता

हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt. Haridwar Uttarakhand

सेवा में,

दिनांक-20-10-2023

प्राचार्य

चमन लाल महाविद्यालय

लंढौरा (हरिद्वार)

विषय : फ्रेशर्स पार्टी एवं विदाई समारोह के आयोजन के संबंध में

महोदय,

उक्त विषय के संदर्भ में निवेदन करना है कि सांस्कृतिक क्रिया-कलाप समिति महाविद्यालय में फ्रेशर्स पार्टी एवं विदाई समारोह का आयोजन करवाना चाहती है। इस इस हेतु दिनांक 22 नवंबर 2023 प्रस्तावित है।
आपसे निवेदन है कि अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीया

श्वेता

डॉ श्वेता

प्रभारी

सांस्कृतिक क्रिया-कलाप समिति

अनुमत

श्वेता

20.10.23

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidyalaya
I.Q.A.C.
Coordinator

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

LANDHORA, HARIDWAR

Fresher & farewell Party

(2023-2024)

07 -03-2024

सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है, दिनांक 07-03-2024 को होने वाली फेयरवेल एवं फ्रेशर पार्टी के लिए सांस्कृतिक समिति की प्रभारी डॉक्टर श्वेता से टोकन प्राप्त कर लें।

बिना टोकन के प्रवेश वर्जित रहेगा।

05 के स्थान पर
07 को आयोजित किया जाए

Dr. Sushil Upadhyay

Principal

Dr shweta

Co-ordinator
Cultural Committee

प्राचार्य महोदय,
कृपया अवगत कराना है कि 7-03-2024 को
सभी प्रकार शिक्षकों एवम् कर्मचारियों की चुनाव ट्रेनिंग
नियुक्ति होने के कारण उक्त तिथि में कार्यक्रम
करना संभव नहीं होगा।
अतः आप से अनुरोध है कि 9-03-2024 को
यह कार्यक्रम कराने की अनुमति प्रदान करने
की कृपा करें। सधन्यवाद

डा. श्वेता

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

अनुमत। सुबह 9 से दोपहर 12 बजे
तक आयोजित किया जाए।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

LANDHORA, HARIDWAR

Fresher & farewell Party

(2023-2024)

09 -03-2024

सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है, दिनांक 09 -03-2024 को होने वाली फेयरवेल एवं फ्रेशर पार्टी के लिए सांस्कृतिक समिति की प्रभारी डॉक्टर श्वेता से टोकन प्राप्त कर लें।

बिना टोकन के प्रवेश वर्जित रहेगा।

06.03.24

Dr. Sushil Upadhyay

Principal

Dr shweta

Co-ordinator
Cultural Committee

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidhyalaya
IQAC
Coordinator

Fresher and farewell

Chaman Lal Mahavidhyalaya
I.Q.A.C.
Cordinator

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

Report

महाविद्यालय में फ्रेशर एव विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इसमे स्नातक एव परस्नातक के छात्र-छात्राओ ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रांगण मे आयोजित कराया गया।

कार्यक्रम का शुभारभ महाविद्यालय प्रंबध समिति अध्यक्ष रामकुमार शर्मा एंव कोषाध्यक्ष अतुल हरित ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रंबध समिति सचिव अरूण हरित भी उपस्थित रहे, तथा उनके परिवार के सदस्यो ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर्वप्रथम कार्यक्रम प्राचार्य डॉ सुशील उपाध्याय ने कहा इस अवसर का छात्र-छात्राए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे एवम इस तरह के कार्यक्रम से छात्र-छात्राओ का विकास होता है, मंच पर आकर हिचकिचाहट खत्म होती है आधुनिक जीवन शैली में जहा समाज प्रभावित है वही छात्र-छात्राए भी अछूते नही है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओ कई रंगा-रंग प्रस्तुती प्रस्तुत की। सभी छात्र-छात्राओ को गेम खिलाए गए जिनमे विजेता को पुरूस्कार भी दिए गए, कैटवाक एवम प्रश्नावली के माध्यम से (UG) Mr fresher, Miss fresher एवम (PG) Mr fresher, Miss fresher चुने गए। अत मे सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गए। कार्यक्रम मे सभी शिक्षक एवम गैर-शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके सहयोग के बिना विकसित भारत की स्थापना असंभव है। प्रतियोगिता में 200 तथा 400

कृतिका, सुशांत, अंजू, आराधना, तनु, प्रीति, प्रिया आदि खेल प्रेमियों ने प्रतिभागी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया।

जिसमें हरिद्वार रोड पर स्थित विद्यालयों समेत अन्य संस्थाओं में जाने वाली बसों आदि का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा। साथ ही सभी रूड़की वासियों को इस रूट के बनने से हरिद्वार की ओर आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।

हरिद्वार में इस बार कौन होगा भाजपा का खेवनहार?

दो पूर्व मुख्यमंत्रियो के बीच छिड़ी टिकट की जंग

■ मदरलैंड संवाददाता

रुड़की। हरिद्वार लोकसभा में इस बार भाजपा का खेवनहार कौन बनेगा, इस पर अभी तक संशय बरकरार है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियो के साथ ही दो धर्म गुरुओं के बीच फिलहाल टिकट की जंग की चर्चाएं बनी है। फिलहाल चारों के ही समर्थक इसे लेकर दिल्ली दरबार की ओर नजरें टिकाए हैं। वहीं भाजपा की दूसरी सूची को लेकर आम आदमी में भी उत्सुकता साफ तौर पर देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों भाजपा ने अपने उत्तराखण्ड के तीन प्रत्याशियों समेत अपने 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें पार्टी ने हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट को होल्ड पर रख दिया था। अभी तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के पत्ते नहीं खोलने से संशय भी बरकरार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं टिकट बदले जाने को लेकर भी है। इससे जहां मौजूदा सांसद डॉ. निशंक के समर्थकों में बेचैनी का माहौल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक भी इस बार हरिद्वार में अपने नेता के लोकसभा चुनाव में उतरने के दावो में जुटे हैं। पार्टी पदाधिकारी भी हरिद्वार में मौजूदा सांसद डॉ. निशंक के साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और दो अन्य की दावेदारी होने की बात बता रहे हैं, जिससे भाजपा में टिकट की जंग भी देखने लायक बनी है। हरिद्वार में 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होगा इसे लेकर भी अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं से आम आदमी तक में भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर उत्सुकता बनी है। माना जा रहा है कि रविवार को भाजपा की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। जिसमें हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी को लेकर बनी धुंध भी छंट सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों का दावा है कि टिकट की रेस में उनके नेता सबसे आगे बना हैं। दावा तो यहां तक है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर सहमति भी बन चुकी है। शनिवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मिलने की चर्चाएं भी जोरो पर है। वहीं वर्तमान सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के समर्थकों की ओर से भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। पार्टी सूत्र भी इन्हीं दोनों में से किसी एक के नाम की घोषणा का दावा कर रहे हैं। हालांकि दावा हरिद्वार में इस बार भाजपा के चौंकाने को लेकर भी किया जा रहा है। साफ है कि पार्टी किसी नए चेहरे पर भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर दांव चल सकती है। बहरहाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में भाजपा की दूसरी सूची और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म बना है। किस पर भाजपा यहां दांव लगाएगी यह भी वास्तव में देखने लायक होगा।

2 मरीजों
अस्पताल

1 में बर्फबारी के और ऐसे में जिला सराहनीय प्रयास से बिमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाया रा शुरू कर दिया कि आज सुबह सिंह सुक्खू के गाँव पलजोर गांव 64 साल, (हृदय उम्र 46 वर्ष को कुल्लू पहुंचाया के लिए मरीजों के सुखविंदर सिंह

फेयरवेल पार्टी में जमकर झूमे छात्र, रैंप पर दिखी फैशन की छटा

■ मदरलैंड संवाददाता

लंढौरा। चमन लाल महाविद्यालय में फ्रेशर एवं विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें स्नातक एवं परस्नातक के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष रामकुमार शर्मा एवं कोषाध्यक्ष अतुल हरित ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रबंध समिति सचिव अरुण हरित भी उपस्थित रहे। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति में स्नातक एवं परस्नातक के छात्र-छात्रा गढ़वाली लोकगीत, पाश्चात्य संस्कृति के गीतों पर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में फैशन शो के दौरान छात्र-छात्रा अलग-अलग राज्यों की वेशभूषा में नजर आए। सभी ने रैंप पर अपने व्यक्तित्व से सबका मन मोह लिया। छात्राओं के सामूहिक एवं एकल नृत्य की जमकर प्रशंसा हुई। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने अनेक खेलों का भी आयोजन किया। लक्की ड्रॉ एवं कूपन के माध्यम से खेलों का समूह बनाया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार भी वितरित किया गया। सभी शिक्षकों ने छात्र-छात्राओं के उद्देश्य एवं आगामी योजनाओं के विषयों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल द्वारा मिस फेयरवेल मिस्टर फेयरवेल एवं मिस फ्रेशर एवं मिस्टर फ्रेशर चुने गए। इसमें स्नातक वर्ग में श्रुति बीएससी होम साइंस तथा प्रशांत सैनी बीएससी होम साइंस के छात्र चुने गए। परस्नातक वर्ग में अभिषेक चौधरी, सलोनी, निक्की धीमान तथा शिवानी तथा शिवांशु त्यागी एवं निशा डोगरा चुनी गईं। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्र-छात्राओं का विकास होता है। मंच पर आकर झिझकिचाहट खत्म होती है। आधुनिक जीवन शैली में जहां समाज प्रभावित है वहीं छात्र-छात्राएं भी अछूते नहीं है। ऐसे में बच्चों के अंदर खेल की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम समन्वयक सांस्कृतिक समिति की प्रभारी डॉ. श्वेता ने सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया तथा आगामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। महाविद्यालय की ओर से [illegible] एवं स्टाफ के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर [illegible] एवं गैर [illegible]।

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

दीक्षारम्भ - छात्र प्रेरण कार्यक्रम

(24 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023 तक)

Report

Submitted to:

I.Q.A.C. Committee
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landaura, Haridwar (Uttarakhand)

Organised by :

Discipline Committee,
Chaman Lal Mahavidyalaya,
Landaura, Haridwar (Uttarakhand)

Dr. Nishu Kumar
Incharge (Discipline Committee)

Member

Dr. Kiran Sharma
Shri Vipul Singh
Dr. Prabhat Kumar Singh

Dr. Neetu Gupta
Dr. Himanshu Kumar
Dr. Sweta

2023

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

सूचना

सभी सम्मानित शिक्षकों से अनुरोध करना है कि महाविद्यालय में अनुशासन समिति द्वारा तीन दिवसीय दीक्षारम्भ–छात्र प्रेरण कार्यक्रम दिनांक 24/08/2023 से 26/08/2023 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति गरिमामयी है। इस कार्यक्रम में जिन समितियों के प्रभारी का व्याख्यान दीक्षारम्भ कार्यक्रम में होना है, उनका विवरण निम्न प्रकार है–

कार्यक्रम

(दिनांक 24.08.2023)

• आशीर्वचन	:	पं. राम कुमार शर्मा
• उद्बोधन	:	डॉ. सुशील उपाध्याय
• उद्बोधन	:	
• अनुशासन समिति–व्याख्यान	:	डॉ. नीशू कुमार
• राष्ट्रीय सेवा योजना–व्याख्यान	:	डॉ. हिमांशु कुमार
• तम्बाकू निषेध एवं एंटी ड्रग–व्याख्यान	:	डॉ. संजीव कुमार
• एन.सी.सी.–व्याख्यान	:	डॉ. अर्पणा शर्मा
• ई–लर्निंग–व्याख्यान	:	डॉ. विधि त्यागी
• महाविद्यालय पत्रिका–व्याख्यान	:	श्री आशुतोष शर्मा

(दिनांक 25.08.2023)

• आशीर्वचन	:	पं. अरुण कुमार हरित पं. अतुल हरित
• उद्बोधन	:	डॉ. सुशील उपाध्याय
• उद्बोधन	:	डॉ. सुभाष अग्रवाल/ डॉ. शिल्पी शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं फिल्मकार
• शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–व्याख्यान	:	डॉ. किरण शर्मा
• रोवर्स रेंजर्स समिति–व्याख्यान	:	डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
• एंटी रैगिंग–व्याख्यान	:	डॉ. दीपिका
• पुस्तकालय संबंधी–व्याख्यान	:	डॉ. पुनीता शर्मा/ सुश्री मंजुलता
• स्वास्थ्य जागरूकता–व्याख्यान	:	डॉ. प्रभात कुमार
• सांस्कृतिक क्रियाकलाप–व्याख्यान	:	डॉ. श्वेता

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

(दिनांक 26.08.2023)

• आशीर्वचन	:	पं. अरुण कुमार हरित
• उद्बोधन	:	डॉ. सुशील उपाध्याय
• उद्बोधन	:	श्री अनूप पुण्डीर प्राचार्य, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार
• महिला उत्पीड़न निषेध–व्याख्यान	:	डॉ. अनामिका चौहान
• निर्धन एवं मेधावी (मेंटोरशिप) छात्र/छात्रा कल्याण समिति–व्याख्यान	:	डॉ. नीतू गुप्ता
• आई.क्यू.ए.सी.	:	डॉ. नवीन त्यागी
• कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट–व्याख्यान	:	श्री अरविन्द कुमार
• खेलकूद (क्रीडा)–व्याख्यान	:	श्री विपुल सिंह
• अनुजाति जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग–व्याख्यान	:	डॉ. धर्मेन्द्र कुमार

नोट– जिन समितियों के प्रभारियों का दीक्षारम्भ कार्यक्रम में व्याख्यान होगा, वे सभी प्रभारी कार्यक्रम के उपरान्त अपने व्याख्यान के बारे में 500 शब्दों में लिखकर एक नोट अनुशासन समिति के माध्यम से आई.क्यू.ए.सी. में जमा करेंगे, ताकि समय से कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार की जा सके।

23/08/2023
(डॉ0 नीशू कुमार)
अनुशासन प्रभारी

23.08.23
(डॉ0 सुशील उपाध्याय)
प्राचार्य

समस्त शिक्षक

उपर्युक्त कार्यक्रमानुसार सभी शिक्षक अपने प्रकोष्ठ/समिति आदि से संबंधित व्याख्यान तैयार कर लें। PPT के माध्यम से भी प्रस्तुति की जा सकती है। उक्त दायित्व का निर्वहन गंभीरतापूर्वक करें। सभी विवरण निदेशालय को प्रेषित किया जाना है।

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt Haridwar, Uttarakhand

चमन लाल महाविद्यालय

लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दीक्षारम्भ

छात्र प्रेरण कार्यक्रम

24 से 26 अगस्त, 2023

पं. ईश्वर चन्द शर्मा
संस्थापक
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, हरिद्वार

श्री राम कुमार शर्मा
अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, हरिद्वार

श्री अरुण कुमार हरित
सचिव, प्रबन्ध समिति
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, हरिद्वार

श्री अतुल हरित
कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, हरिद्वार

डॉ॰ सुशील उपाध्याय
प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, हरिद्वार

आयोजक

अनुशासन समिति चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

चमन लाल महाविद्यालय

लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दीक्षारम्भ

छात्र प्रेरण कार्यक्रम

24 से 26 अगस्त, 2023

कार्यक्रम

दिनांक 24 अगस्त 2023

आशीर्वचन	:	पं. राम कुमार शर्मा
उद्‌बोधन	:	डॉ. सुशील उपाध्याय
उद्‌बोधन	:	डॉ. शिल्पी, तक्षशिला इंस्टीट्यूट, रुड़की
अनुशासन समिति-व्याख्यान	:	डॉ. नीशू कुमार
राष्ट्रीय सेवा योजना-व्याख्यान	:	डॉ. हिमांशु कुमार
तम्बाकू निषेध एवं एंटी ड्रग-व्याख्यान	:	डॉ. संजीव कुमार
एन.सी.सी.-व्याख्यान	:	डॉ. अर्पणा शर्मा
ई-लर्निंग-व्याख्यान	:	डॉ. विधि त्यागी
महाविद्यालय पत्रिका-व्याख्यान	:	श्री आशुतोष शर्मा

Principal

आयोजक

अनुशासन समिति

[illegible]

चमन लाल महाविद्यालय

लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दीक्षारम्भ

छात्र प्रेरण कार्यक्रम

24 से 26 अगस्त, 2023

कार्यक्रम

दिनांक 25 अगस्त 2023

- आशीर्वचन : पं. अरुण कुमार हरित
  : पं. अतुल हरित
- उद्बोधन : डॉ. सुशील उपाध्याय
- उद्बोधन : डॉ. सुभाष अग्रवाल
  शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं फिल्मकार
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ–व्याख्यान : डॉ. किरण शर्मा
- रोवर्स रेंजर्स समिति–व्याख्यान : डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- एंटी रैगिंग–व्याख्यान : डॉ. दीपिका सैनी
- पुस्तकालय संबंधी–व्याख्यान : डॉ. पुनीता शर्मा
- स्वास्थ्य जागरूकता–व्याख्यान : डॉ. प्रभात कुमार
- सांस्कृतिक क्रियाकलाप–व्याख्यान : डॉ. श्वेता

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt. Haridwar (Uttarakhand)

आयोजक
अनुशासन समिति
चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

चमन लाल महाविद्यालय

लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दीक्षारम्भ

छात्र प्रेरण कार्यक्रम

24 से 26 अगस्त, 2023

कार्यक्रम

दिनांक 26 अगस्त 2023

- आशीर्वचन : श्री अतुल कुमार हरित
- उद्बोधन : डॉ. सुशील उपाध्याय
- उद्बोधन : श्री अनूप पुण्डीर
  प्राचार्य, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार
- महिला उत्पीड़न निषेध-व्याख्यान : डॉ. अनामिका चौहान
- निर्धन एवं मेधावी (मेंटोरशिप) छात्र/छात्रा कल्याण समिति-व्याख्यान : डॉ. श्वेता
- आई.क्यू.ए.सी. : डॉ. नवीन त्यागी
- कैरियर काउंसिलिंग प्लेसमेंट-व्याख्यान : श्री अरविन्द कुमार
- खेलकूद (क्रीड़ा)-व्याख्यान : श्री विपुल सिंह
- अनुजाति जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग--व्याख्यान : डॉ. धर्मेन्द्र कुमार

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt. Haridwar, Uttarakhand

आयोजक

अनुशासन समिति

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar Uttarakhand

शिक्षित होकर निभाएं देश के निर्माण में भागेदारीः रामकुमार शर्मा

पढ़ाई के साथ अनुशासन और लक्ष्य के प्रति लगन का भाव बेहद महत्वपूर्ण

- चमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षा समारोह आरंभ

[illegible]

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

अपना लक्ष्य तय करके उसके अनुरूप तैयारी करे –रामकुमार

हरिद्वार 24 अगस्त कुलभूषण चमन लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षा आरंभ समारोह के

उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति लगन का भाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को सुझाव दिया कि वे अभी से अपना लक्ष्य तय करके उसके अनुरूप तैयारी करें। रामकुमार शर्मा ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे इन छात्र-छात्राओं को इस प्रकार शिक्षित एवं दीक्षित करें जिससे वह अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने के साथ-साथ देश तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ॰ सुशील उपाध्याय ने कहा कि शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के बीच गहरे रिश्ते से ही सीखने की प्रक्रिया अच्छे परिणाम देती है। केवल कक्षाओं तक सीमित रहने से समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। स्टूडेंट्स को एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य रचनात्मक कार्यों में बढ़चढ़कर भाग लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में स्किल पर काफी जोर है। छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ कोर्स करने चाहिए।

डॉ॰ मिथि त्यागी प्रभारी ई-लर्निंग समिति ने बताया की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ई लर्निंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है।

इस मौके पर अनुशासन समिति के सदस्य डॉ॰ नीतू गुप्ता,डॉ॰ बेताप डॉ॰नवीन कुमार पवाँर, कुलदीप कुमार डॉ॰दीपिका सैनी आदि शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे ।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt. Haridwar Uttarakhand

वही इस कार्यक्रम के आयोजन कर रही अनुशासन समिति के प्रभारी डॉ. नीशू कुमार ने कहा कि छात्र मात्रा बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि संस्कार व अनुशासनात्मक रूप से भी परिपूर्ण होने चाहिए और अपनी संस्कृति व देश और विश्व कल्याण के साथ–साथ समाज के हर कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान की जानी चाहिए और उन्होंने महाविद्यालय के सभी छात्राओं को अनुशासन समिति के आवश्यक निर्देशों को पढ़कर विस्तार से वर्णन किया।

आज दिनांक 24.08.2023 को महाविद्यालय में दीक्षारम्भ समारोह की शुरुआत की गई। यह समारोह अगले तीन दिन तक चलने वाला है। आज प्रथम दिन के प्रथम सत्र में एनएसएस की ओर से मे डॉ. हिमांशु कुमार ने छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय में विस्तारपूर्वक बताया। इस विषय पर छात्र–छात्राओं को बताया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य समाज में सेवा करना है, राष्ट्रीय सेवा योजना का Motto मैं नहीं, परंतु आप है, जिसका अर्थ निकलता है कि मैं स्वयं नहीं, मुझे पहले समाज है, जिसके लिए मुझे आगे बढ़कर कार्य करना है। एक छात्रा को अपने छात्र–जीवन में अनुशासनशील होने के साथ–साथ समाजसेवी भी होना चाहिए। इसी विषय पर छात्र–छात्राओं को आगे जाकर राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभा करना और महाविद्यालय सर पर विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधिमान प्रतिभा करना, जिससे उनके सर्वांगीण विकास हो सके। वह समाज के प्रति परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकें। इसी उद्देश्य को पूर्ण

करते हुए सभी छात्राओं को समाज की सेवा में अपनी प्रतिभागिता निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहना, के बारे में बताया गया।

डॉ. अर्पणा शर्मा ने एन०सी०सी० के बारे में बच्चों को विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि आजकल दुनिया के राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ मची हुई है। शान्ति खतरे में है। भारत के कुछ पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है। हम लोगों की आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा की यह मॉग है कि देश के सभी नौजवानों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जरुरत पड़ने पर उन सभी की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इसी अभिप्राय से 1948 ई0 में एन०सी०सी० एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देना है। उसी समय से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एन०सी०सी० का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती है।

एन०सी०सी० की शाखाएं एवं प्रशिक्षण प्रकाश डालते हुए उन्होंने जानकारी दी कि एन०सी०सी० के दो विभाग हैं– सीनियर और जूनियर। सीनियर डिवीजन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा जूनियर डिविजन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो लड़के एन०सी०सी० में भर्ती होते हैं, वे कैडेट कहलाते है। सीनियर डिविजन के कैडेटों को ड्रिल, शास्त्र–संचालन, नक्षापथ, व्यूह–रचना, प्राथमिक चिकित्सा और नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर डिविजन के कैडेटों को ड्रिल, प्रारंभिक नक्शा–पाठ, प्रारंभिक व्यूह–रचना, प्राथमिक चिकित्सा तथा नागरिकता

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt.-Haridwar Uttarakhand

का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना की तरह एन०सी०सी० शाखाएं है– स्थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना। वायुसेना और नौसेना की शाखों में भर्ती होने वाले कैडेटों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। एन०सी०सी० में भी भर्ती होने वालों की चिकित्सीय परीक्षण होता है। उन्हें शारीरिक दृष्टि से सबल और योग्य होना चाहिए। कैडेट विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं और नियमित रूप से पैरेड करते हैं। वर्दी की आपूर्ति मुफ्त की जाती है। पैरेड के बाद उन्हें जलपान भी मिलता है। उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण–शिविर में भी भाग लेना पड़ता है। कभी–कभी वे समाज–सेवा–शिविर में भाग लेते हैं। लेफ्टिनेंट डॉ. अर्पणा शर्मा ने एन०सी०सी० के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि एन०सी०सी० से बहुत लाभ है। यह देश के नवयुवकों को अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और शरीर से योग्य बनाता है। वे आदेश का पालन करना एवं आदेश देना सीखते हैं, वे चुस्त और चालाक बनाते हैं। इस तरह वे राष्ट्र को ठोस एवं मजबूत नींव पर खड़ा करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा देश की स्वतंत्रता की रक्षा में बड़े ही सहायक हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

एंटी ड्रग प्रभारी डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि किस प्रकार धूम्रपान संबंधी गतिविधियां आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, जोकि एक चिंता का विषय है। इस विषय में भी हमें जागरूक रहना है एवं उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तराखंड सरकार ड्रग से बचने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय–समय पर महाविद्यालय में आयोजित कर रही है, जिससे कि उत्तराखंड को धूम्रपान एवं नशे से

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt. Haridwar Uttarakhand

मुक्त किया जा सके, क्योंकि आजकल के युवा नशे की गिरफ्तार में आ रहे हैं। इसलिए उन सबको बचाना हम सभी शिक्षकों का दायित्व है और इस तरह के कार्यक्रम समय-समय पर महाविद्यालय में आयोजित होते रहेंगे, जिससे कि आज का युवा वर्ग नशा की लत से बच सके। छात्र-छात्राओं को यह भी बताया गया कि महाविद्यालय कैम्पस में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और यदि कोई छात्र इसमें लिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

डॉ. विधि त्यागी ने अपने व्याख्यान में बताया कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है।

ई-शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित अंतरण है। ई-शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ई-शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब-आधारित शिक्षा, कंप्यूटर-आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजीटल सहयोग शामिल है।

ई-शिक्षा स्वाभाविक रूप से दूरस्थ शिक्षा एवं नम्य शिक्षा के लिए अनुकूल होता है, लेकिन आमने-सामने या प्रत्यक्ष अध्यापन के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस मामले में आम तौर पर मिश्रित शिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt Haridwar Uttarakhand

स्वचालित एकाधिक–विकल्प परीक्षणों से लेकर अधिक परिष्कृत प्रणालियों के रूप में उपलब्ध कंप्यूटर–सहायता प्राप्त मूल्यांकन (इसे कुछ आम तौर पर ई–मूल्यांकन के रूप में भी संदर्भित करते हैं) बड़ी तेजी से आम होता जा रहा है। कुछ प्रणालियों की सहायता से एक छात्र की विशिष्ट गलतियों पर अधिक सक्षमतापूर्वक प्रतिक्रिया (फीडबैक) व्यक्त की जा सकती है या कंप्यूटर प्रश्नों की एक श्रृंखला के माध्यम से छात्र का मार्गदर्शन कर सकता है जिससे यह मालूम होता है कि छात्र ने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा है।

ई–लर्निंग इंटरनेट और कंप्यूटर स्किल को सीखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यह आने वाली पीढ़ी को तकनीकी रूप से मजबूत करेगा। एक दौर था जब इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी की शिक्षा बड़े शहरों के स्कूलों तक ही सीमित थी और वह भी औपचारिक तौर पर, लेकिन समय की मांग ने इंटरनेट, डिजीटल तकनीक और कंप्यूटर के जानकारी को जरूरी बना दिया है। इसका फायदा ये हुआ कि स्कूली छात्रों से लेकर माता–पिता की सहभागिता भी बढ़ी है। ई–लर्निंग के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से उन्नत होगी और ई–लर्निंग के तरफ बढ़ते भारत के ये कदम तकनीकी रूप से समृद्ध देशों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारी नींव को तैयार करेगी।इन सभी पर छात्र–छात्राएं अपने विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तथा इन पर चल रहे ऑनलाइन कोर्सेज में प्रतिभा करके अपने कौशल का विकास भी कर सकते हैं।

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura Distt-Haridwar Uttarakhand

श्री आशुतोष शर्मा प्रभारी पत्रिका समिति ने बताया कि सभी बच्चे सामाजिक मुद्दों पर आर्थिक मुद्दों पर अपने लेख लिखकर समय से देंगे, तो आपका लेख महाविद्यालय पत्रिका में छप जाएगा। उन्होंने बताया कि जिससे छात्र–छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं आत्म व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

द्वितीय दिवस की रिपोर्ट (25.08.2023)

चमन लाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षारम्भ समारोह के दूसरे दिन के उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष पं० रामकुमार शर्मा ने कहा कि बच्चे एक कोमल पौधे की तरह है, उसको हम जो दिशा देना चाहते है, वह बचपन में ही संभव है। इसलिये बच्चों से जबरदस्ती कुछ भी मत करवाओ, ऐसा करोगे, तो बच्चों में उस चीज के प्रति अरुचि पैदा हो जायेगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये भौतिक शिक्षा के साथ–साथ नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt-Hardwar Uttarakhand

कार्यक्रम के दूसरे दिन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने अपने व्याख्यान में कहा कि मूल्य से शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ये सीखने के साथ–साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है। यह हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताता है, इतना ही नहीं यह हमारे अंदर समय के महत्व को समझने की क्षमता को विकसित करता है।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya

डॉ. दीपिका सैनी, प्रभारी एंटी रैगिंग समिति द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान में डॉ. दीपिका सैनी ने छात्रों को संबोधित करते हुए रैगिंग से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया।

उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि रैगिंग, इस शब्द से भला कौन वाकिफ नहीं है। सुनने में यह शब्द भले ही छोटा है, लेकिन इसकी असलियत बहुत ही दुखद और भयावह होती हैं। वैसे तो सभी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में पूरी तरह बैन लगाया जा चुका है। मगर फिर भी कुछ सीनियर छात्र विद्यालय में दाखिला लेने वाले नए छात्रों का परिचय लेने की आड़ में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं। डॉ. सैनी ने विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग एक्ट 2019 से भी अवगत कराया एवं बताया कि कैसे एक छोटा सा मजाक, एक छोटी–सी गलती उनका पूरा भविष्य खराब कर सकती है। डॉ. सैनी ने छात्र–छात्राओं को सीनियर्स के प्रति सम्मान की भावना रखने एवं सीनियर्स को अपने जूनियर्स के प्रति स्नेह व सहयोग की भावना रखने हेतु प्रेरित किया।

उन्होंने उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को बताया कि कैसे छात्रों के परिचय से शुरु हुई। रैगिंग ने 90 के दशक तक खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया था। आंकड़ों की मानें तो वर्ष 1997 में तमिलनाडु में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले पाए गए। उसके बाद वर्ष 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया।

अंतः उन्होंने अपने व्याख्यान में छात्रों को बताया कि एंटी रैगिंग एक्ट के तहत एंटी रैगिंग कानून का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने पर तीन साल की सश्रम कैद भी हो सकती है और दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने या मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

डॉ. सैनी ने छात्र छात्रों को यह शपथ दिलाई कि वे महाविद्यालय को रैगिंग मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt Haridwar, Uttarakhand

डॉ. नीतू गुप्ता, प्रभारी निर्धन एवं मेधावी पर व्याख्यान देते हुए कहा कि चमन लाल महाविद्यालय की निर्धन एवं मेधावी छात्र–छात्रा समिति उन बच्चों के लिए बनाई गई है, जो बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जिन बच्चों के द्वारा अपनी फीस नहीं भरी जा पा रही है। ऐसे बच्चों के लिए महाविद्यालय ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं– जैसे बच्चों की पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 2 लाख तक होनी चाहिए। इससे अधिक

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

होने पर उसको छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। छात्र–छात्रा के पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, अगर आय प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का संदेह पाया जाएगा, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। छात्र–छात्रा के पास महाविद्यालय परिचय पत्र होना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में उसे इस सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। महाविद्यालय में कक्षा में उपस्थित 75 प्रतिशत होनी जरूरी है। छात्र या छात्रा को छात्रवृत्ति शिक्षक व कर्मचारियों की संस्तुति के बाद ही देय होगी। यदि कोई छात्र–छात्रा को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग या विकलांग से संबंधित उसे उस सत्र में कोई छात्रवृत्ति मिल रही हो, तो यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

डॉ. किरण शर्मा, प्रभारी, शिकायत निर्वारण प्रकोष्ठ पर व्याख्यान देते हुए कहा कि यू.जी.सी एवं विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में आई.क्यू.ए. सी. ने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस प्रकोष्ठ के निर्माण का उद्देश्य छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों के बीच सौहार्द्रपूर्ण माहौल का निर्माण करना है। इस शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अंतर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक मामलों की शिकायत दर्ज की जा सकती है। मुख्य कार्यों में शिकायत को दर्ज करना शिकायतों के कारणों का पता लगाना। शिकायतों की जांच और समीक्षा करना शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक मामलों से संबंधित छात्र–छात्राओं की समस्याओं का पता लगाना, शिकायतों का समाधान करना और शिकायतों को सही स्तर तक पहुंचाना। यह सभी कार्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो भी शिकायतें दर्ज

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

कराए जाएं, वह वास्तविक हो किसी द्वेष भावना या मजाक के लिए इस तरह की शिकायत दर्ज न कराई जाए।

श्रीमति पुनिता शर्मा ने अपने व्याख्यान में कहा कि पुस्तकालय विज्ञान विभाग महाविद्यालय में पुस्तकालय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसमें छात्र–छात्राओं को पुस्तके पढ़ने के लिए एवं घर ले जाने के लिए पेनम कराई जाती है। पुस्तकालय समिति आप लोगों को लाइब्रेरी के नियमों से समय–समय पर अवगत करती है। लाइब्रेरी खुलने का समय 9:00 से 5:00 तक का है। जिस समय छात्र–छात्राओं का कोई लेक्चर नहीं चल रहा हो, तो छात्र–छात्राएं लाइब्रेरी में आकर स्टडी कर सकते है, उसके लिए आपको रीडिंग रूम की अलग से व्यवस्था है। पुस्तकालय समिति लाइब्रेरी में शांति बनाए रखने का निर्देश देती है। पुस्ताकालय में मोबाइल फोन पर बात करने शोर मचाने की सख्त मनाई है। लाइब्रेरी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे आपको दो कार्ड इशू होंगे, जिसमें दो फोटो की आवश्यकता होगी, जब भी आप लाइब्रेरी कार्ड इशू करने आए, तो दो फोटो अपने साथ अवश्य लेकर आए। इन दो कार्ड पर आप एक बार में दो बुक इशू कर सकते हैं, 15 दिन के अंदर ही बुक रिटर्न करनी होगी अन्यथा आपको पर दिन के हिसाब से 10 रुपये चार्ज लगेगा। यदि आपसे यह गलती तीन बार से अधिक बार होती है, तो आपके कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो बच्चे प्रॉपर ड्रेस में नहीं आएंगे या क्लास अटेंड नहीं करेंगे उनको लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं होगा। लड़कियों का लाइब्रेरी में बुक इशू की बारी सोमवार मंगलवार और बुधवार है तथा

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

लड़कों की बुक इशू करने की बारी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार है, आप इसी के अनुरूप ही लाइब्रेरी में बुक इशू करेंगे।

तृतीय दिवस की रिपोर्ट (26.08.2023)

चमन लाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तीन दिवसीय दीक्षारम्भ आरंभ समारोह के उद्घाटन सत्र में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री रामकुमार शर्मा ने कहा कि पढ़ाई के साथ–साथ अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति लगन का भाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने नवप्रवेशी छात्र–छात्राओं को सुझाव दिया कि वे अभी से अपना लक्ष्य तय करके उसके अनुरूप तैयारी करें। श्री रामकुमार शर्मा ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वे इन छात्र–छात्राओं को इस प्रकार शिक्षित एवं दीक्षित करें, जिससे यह अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने के साथ–साथ देश तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

अनुशासन समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने कहा कि शिक्षकों और छात्र–छात्राओं के बीच गहरे रिश्ते से ही सीखने की प्रक्रिया अच्छे परिणाम देती है। केवल कक्षाओं तक सीमित रहने से समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। स्टूडेंट्स को एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य रचनात्मक कार्यों में बढ़चढ़कर भाग लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति में स्किल पर काफी जोर है। छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ कोर्स करने चाहिए।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

दीक्षारम कार्यक्रम के समापन सत्र में आज के मुख्य अतिथि श्री अनूप पुंडीर प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लंढोरा हरिद्वार में मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। यह सीखने के साथ–साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है, उन्होंने बताया कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चों को एक ऐसे माहौल में रहने की जरूरत है जो दिन प्रतिदिन के संघर्षों की खुली और शारीरिक चर्चा के लिए अनुमति देता है और यह हमारे जीवन में अनुशासन के महत्व को भी बताता है, इतना ही नहीं है, हमारे अंदर समय के महत्व को समझने की क्षमता को विकसित करता है। खेल के महत्व को समझना भी मूल्य शिक्षा को समझने तथा रोचक ढंग से व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt-Haridwar, Uttarakhand

वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई डॉ. शिल्पी सिंह डायरेक्टर तक्षशिला आईएएस इंस्टीट्यूट रुड़की ने बताया कि व्यक्ति को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं बस उनकी परवरिश कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज के समय में जब उनके भड़काने वाली अनेक चीज हैं, तो आप बच्चों के लिए संपत्ति जताने में ही लग रहे और बच्चों को संस्कार देने से चुप हो जाती है, तो हो सकता है कि

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt-Haridwar Uttarakhand

भविष्य में भी हम अब आपको अपने बड़े महल में एक कमरा देने भी संकोच करें। उन्होंने बताया की बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ–साथ नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा सहित सर्वांगीण विकास संभव है।

कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रभारी अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग डॉ. धर्मेंद्र कुमार जी ने अपनी समिति के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura Distt Haridwar Uttarakhand

डॉ. अरविंद कुमार, प्रभारी कैरियर काउंसिलिंग प्लेसमेन्ट अपनी कमेटी के बारे में विस्तार से बच्चों को अवगत कराया।

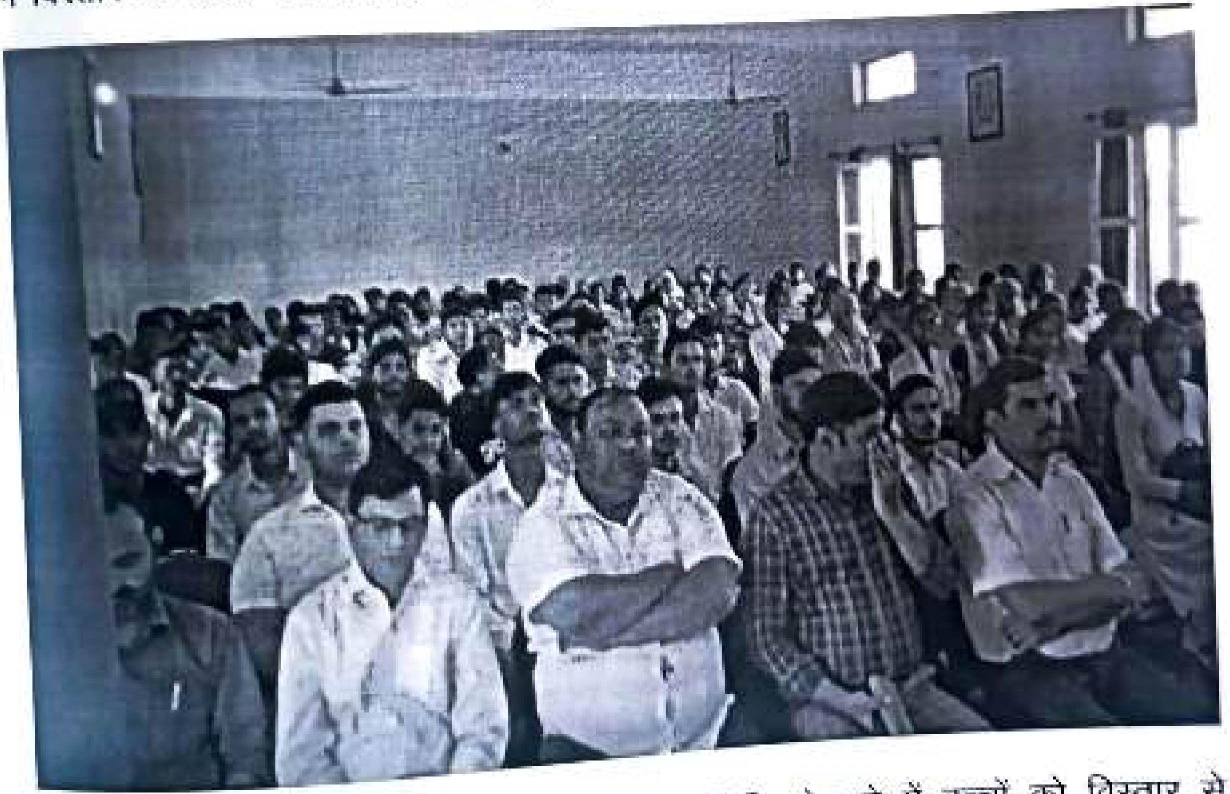

डॉ. नवीन त्यागी जी ने आई.क्यू.ए.सी. समिति के बारे में बच्चों को विस्तार से बताया।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

डॉ. सूर्यकांत शर्मा जी ने रोवर्स रेंजर्स कमेटी के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि बच्चों में बहुत कुछ करने की सामर्थ्य होती है, उनके लिए संभव कुछ नहीं होता, उन्हें जिस भी दिशा में नियोजित किया जाए, तो उसमें सफल हो जाते हैं।

अंत में सभी शिक्षकों का धन्यवाद अनुशासन समिति के प्रभारी डॉ. नीशू कुमार ने किया।

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा, हरिद्वार

अनुशासन समिति द्वारा आयोजित

दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम

दिनांक 24 अगस्त, 2023 से 26 अगस्त, 2023

शिक्षक का नाम : डॉ अपर्णा शर्मा, डॉ हिमांशु, डॉ संजीव कुमार, श्री आशुतोष शर्मा, डॉ निधि त्यागी

छात्र/छात्रा का नाम : खुशी देवी कक्षा : B.A (Ist Sem)

1. दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम में संवाद का स्तर-
   (i) बहुत अच्छा (ii) अच्छा (iii) संतोषजनक (iv) निम्न
2. दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम में प्रदत्त सूचनाओं की गुणवत्ता-
   (i) बहुत अच्छा (ii) अच्छा (iii) संतोषजनक (iv) निम्न
3. दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम में भाषा / संप्रेषण का स्तर-
   (i) बहुत अच्छा (ii) अच्छा (iii) संतोषजनक (iv) निम्न
4. वक्ताओं में विषय की समझ एवं प्रासंगिकता-
   (i) बहुत अच्छा (ii) अच्छा (iii) संतोषजनक (iv) निम्न
5. दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम के आयोजन का स्तर-
   (i) बहुत अच्छा (ii) अच्छा (iii) संतोषजनक (iv) निम्न
6. आयोजक द्वारा पुनः अन्य किसी दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिभाग करना चाहेंगे।
   (i) हाँ (ii) नहीं
7. क्या यह दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण महाविफलय के समग्र शैक्षिक परिवेशको समझने के लिए उपयोगी है ?
   (i) हाँ (ii) नहीं
8. क्या आप दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम की समय सीमा से संतुष्ट हैं?
   (i) हाँ (ii) नहीं
9. क्या आप इस प्रकार के दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम को आगामी दिनों में आयोजित कराया जाना चाहिए?
   (i) हाँ (ii) नहीं
10. क्या यह दीक्षारम्भ-छात्र प्रेरण कार्यक्रम आपके पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है?
   (i) हाँ (ii) नहीं

हस्ताक्षर: Khushi Devi

दिनांक: २५/08/२३

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

दीक्षारम्भ–छात्र प्रेरण कार्यक्रम

Organised by :

Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura, Haridwar (Uttarakhand)

24-26 August 2023

ATTENDANCE SHEET

Sl.No.	Name	Father's Name	Contact No.	SIGNATURE OF STUDENTS Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
1	Shabista	Zaheer hasan	9520821558	Shabista	Shabista	Shabista
2	Mausam	Gulshan kumar	9690469433	Mausam	Mausam	
3	Renu	Balakram	8006023461	Renu		
4	Sareen	Shahjad ali	9760474284	Sareen	Sareen	Sareen
5	Saniya	Mumtaj	6297145628	Saniya	Saniya	Saniya
6	Zainab Ansari	Mohd. Mursaleen	9719021251	Zainab Ansari	Zainab Ansari	
7	Sofiya	Shamshad	7037907892	Sofiya		
8	Ikra	Imran	9548151666	Ikra		
9	Ruby	Subhash Giri	8126280243	Ruby		
10	Reenu	DHARMENDRA KUMAR	7351983989	Reenu	Reenu	Reenu

Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura Distt. Haridwar Uttarakhand

11	Sakshi Sharma	Mr. Surendra Kumar	7248619632	Sakshi Sharma		
12	Farheen	Mr Rais Ahmad	9997814300	Farheen		
13	Amreen	Mr Abdul Rehman	8267070876	Amreen		
14	Ilma	Mr. Ahasan	8218305689	Ilma	Umra. S	Umra. S
15	UMRA	Mr. Suhail	9837897972	Umra. S	Sanjana	Sanjana
16	Sanjana	Mr. Janeshwar	9997570772	Sanjana	Fabiha	Fabiha
17	Fabiha	Mr. Tokeer	9760314804	Fabiha	Shakina	Shakina
18	Shakina	Mr. Ikbal	6396639754	Shakina	Sakshi	Sakshi
19	Sakshi	Mr. Vedpal	9923310677	Sakshi	Saiyyada	Saiyyadas
20	Saiyyada	Mr. Rajakat Ali	8479410798	Saiyyda	[illegible]	[illegible]
21	Sana Qureshi	Mr. Kalim Akhtar	9520010044	[illegible]		
22	Payal	Mr. Biram Singh	8937008701	[illegible]		
23	Moni	Mr Mukesh Kumar	7017900603	[illegible]		
24	Shaloaba	Mr. Mustofa	9012671079	Shaloaba		
25	Shabnaz Bano	Mr. Jahir hasan	7895302484	Shabnaz Bano		
26	Neetu yadav	Mr Ramesh yadav	9105189920	Neetu yadav	Neetu yadav	Neetu yadav
27	Kajal saini	Mr. dharampal singh	7535017223	Kajal		

S.No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/03/2023)	Day 2	Day 3
28	Kanchan	Mr. chandarveer	8126292660	[signature]	Asma	[signature]
29	Asma	Mr. Sultan	8864857104	[signature]	Mahak	Mahak
30	Mahak	Mr. Anwar Ali	9760127464	Mahak	[signature]	[signature]
31	Kashish	Mr. Vinod	7466847940	काशिश	Jaya	Jaya
32	Jaya	Mr. Rakesh Kumar	7037574911	Jaya आंचल		
33	आंचल	मुकेश	2837523086		Aachal	Aachal
34	Tanu Giri	Shekhar Giri	9068682366	Tanu Giri	Tanu Giri	Tanu Giri
35	Parveen	Rahis Ahamad	8439584032	Parveen	Parveen	Parveen
36	Sanjana	Om parkash	7668705211	Sanjana	Sanjana	Sanjana
37	SHWETA	OM parkash	7668705211	SHWETA	SHWETA	SHWETA
38	Suman	Jaipal Singh	8279471273	Suman		
39	Laiba gaur	Mr. Musleem	8279722379	Laiba 24/03/23		
40	Shabana	Abdul Rehmat	8534082269	Shabana		
41	Astha	Mujak aleem	9870851784	Astha	Astha	
42	Anjeeta	Jhabar Singh	9027545837	Anjeeta		
43	Khushi	Mukesh	9368217286	Khushi		
44	Kamal	Sulendrasingh	7456983490	Kamal		

Sr.No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
45	Sumaiyya	Farookh	8445138639	Sumaiyya	Sumaiyya	Sumaiyya
46	Shifanoor	Khursheed	7983444409	Shifanoor	Shifanoor	Shifanoor
47	Tannu Sodai	Brahmpal Sodai	8535044382	Tannu Sodai		
48	Khushi	Mukesh Kumar	9897719351	Khushi		
49	Sanjana	Bhagyemal	8445876012	Sanjana		
50	Kajal	Ram Kumar	9520354740	Kajal		
51	Manali	Rajkumar	9368009818	Manali	Manali	Manali
52	Rinki	Pramesh Kumar	9719276219	Rinki	Rinki	Rinki
53	Sameer Akbar	Ameer Abbas	9634747288	Sameer Akbar	Sameer Akbar	Sameer Akbar
54	Mohd Atra	Noor Alam	9837837223	Mohd Atra	Mohd Atra	Mohd-Atra
55	Manjeet Nehra	Jasveer Singh	6399964294	Manjeet		
56	Suresh Sabharwal	Sanjeev Sabharwal	9368093903	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57	YOGESH KALRA	NEERAJ Singh	8936947336	[illegible]		
58	Pavan Kumar	Ashwani	9105881724	[illegible]		
59	Nishant Kumar	Suresh devi	8445084167	Nishant		
60	Aryan Dev Kumar	Yashpal Singh	7830311935	[illegible]		
61	ASHRAF	Lutif Khan	9027893587	Ashraf		
62	Sahil	Mo. Askari	7817957552	Sahil	Sahil	Sahil

S.No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
63	Zamin Abbas	Gulam Abbas	9045660472	Zamin Abbas	Zamin Abbas	Zamin Abbas
64	Prachi Pal	Pramod Kumar	7037991089	Prachi Pal		
65	Isher Pal	Pawan Kumar	7906112636	Isher Pal		
66	Abdulla	Shahzad	7037151442	Abdulla	Abdulla	Abdulla
67	Mohd Arsh	Mr Noorilahi	9557240481	Mohd Arsh	Mohd Arsh	Mohd Arsh
68	Manish Sharma	Mr Anil Sharma	9368034990	Manish	Manish	Manish Sharma
69	Tarun Singhal	Sanjay Singhal	7906487735	Tarun Singhal	[illegible]	Tarun Singhal
70	Aas mohammad	mr. Ahsan	9520351580	Aasmohammad	Aasmohammad	Aasmohammad
71	Ayush-Sharma	Mr Sanjeet-Sharma	7900245806	Ayush		
72	Uday Goyal	Mr Neeraj Goyal	7983049899	Uday		
73	Abhishek	MR Sanjay	9520775770	AS		
74	subhamkumar	Raj kumar	7668620745	S		
75	Vijit Kumar	Vijay Pal	7037632842	Vijit Kumar	Vijit Kumar	Vijit Kumar
76	Kunal	Sukhpal	6399715378	Kunal		
77	Nishu	Sadhuram	7017908471	Nishu		
78	Saurabh	Dhirendra	9528304604	Saurabh		
79	Vansh	Satya Kumar	7505906449	Vansh		
80	Vaibhav	Raj Kumar	9520167384	Vaibhav		

Sl No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
81	ABuzar Alam	MoHD. Furkan	7500212209	ABuzar		
82	MoHD. Farhan	MoHD. Shaukeen	7906874544	MoHD. Farhan		
83	NAYAJISh	MoHD. Israr	7078682888	NAYAJISh		
84	Mohd Gulzar	Tanveer Alam	9548917852	Gulzar		
85	Akshay Kumar	Jal Singh	9528093771	Akshay	Akshay	Akshay
86	Himanshu Saini	Mr Ashok Saini	9927961353	Himanshu Saini	Himanshu Saini	Himanshu Saini
87	Kanhaiya Saini	Mr Dinesh Kr Saini	9548314667	Kanhaiya		
88	VASI	Mr. [illegible]	7818819383	VASI		
89	Vansh Sharma	Mr Tanveer Sharma	8006658811	Vansh Sharma		
90	Ankush	Mr Sujay Kumar	9520482681	Ankush		
91	Harsh	Mr. Pahmad Tyagi	7818096311	[illegible]		
92	VAAJID	NaJeem	7248530562	[illegible]		
93	Rudraksh Sharma	Mr. Ajay Sharma	941153266 0	[illegible]		
94	Mohd Sahib	Mansoor Ali	97450746	Mohd Sahib	Mohd Sahib	Mohd Sahib
95	Asif	Imran	7668796010	Asif	Asif	Asif
96	Alisher Kadir	Noor Hasan	8287790830	Alisher	Alisher	Alisher
97	Aashish Kumar	Surjeet	9389915734	Aashish		
98	Rajat	Dheer Singh	8395027981	Rajat		

				(24/08/2023)	(25/08/2023)	(26/08/2023)
99	Ayush Bhandari	Dhan Singh Bhandari	8791066578	Ayush		
100	Sudhanshu Gusain	Bhupendra Singh Gusain	8399825811	[signature]		
101	Md. Hussain Akhtar	Firoz Akhtar	6397497351	[signature]		
102	Udit Sharma	Kuldeep Sharma	9368263398	[signature]		
103	Sameer	Mr. Gulzar	9627315019	Sam		
104	Paras	Jagdish [illegible]	7017576800	Paras		
105	Prince	Javed	9917171469	[signature]		
106	Shoaib	Majahir Hasan	6445844044	Shoaib		
107	Musarraf	Mustkeem	9917582517	[signature]		
108	Govind	[illegible]	8791025644	Govind		
109	Aman Semwal	Mukesh Semwal	9528683928	[signature]		
110	Noorudin	Shamshad	9634583298	[signature]	[signature]	
111	Mohit	Naresh	9389521747	[signature]		
112	Zainab	Rashid Ali	9410128003	Zainab		Zainab
113	Ishara	Noor Alam	9837728182	Ishara		
114	Nitish Kumar	Sanjeev Kumar	7017100760	[signature]		
115	Nadeem	Mustkim	9368243853	[signature]		
116	Harish	Gaurav Kumar	7302971013	Harish		
117	IKRA	Isthra Khan	7037767672	[signature]		
118	Anchal	Baram	8433232336	[signature]		

25/8/23 - 26/08/23

180	Neha	Javed Ahmed	9837547426	Neha	
181	Falak naaz	Sajid Ali	6397698106	Falak naaz	Neha
182	Sajiya	Ayyub	7830806129		
183	Saziya	Shaked AHAMED	7983443220	Saziya	Payal
184	Taiyyaba	Mohd. Yakoob	8057820990	Taiyyaba	
185	Afsha	Aakil	9548786112	Afsha	Afsha
186	Shahin	Zulfikar	9149063606	Shahin	Shahin
187	Shahjadi	Saheed	7830814053	Sahjadi	
188	Tarannum	Ishtkar	6397993270	Tarannum	
189	Turfa Ansari	Tasleem Ahmad	7078171707	Turfa	
190	Suhail	Irsad	9917171469	Suhail	
191	Bushra Malik	Gulzar	7500630924	Bushra Malik	
192	~~Kamal~~ Kamal	Rishipal	9548919085	Kamal	
193	Mahima	Pradeep Kumar	9012900415	Mahima	
194	Heena Gusain	~~Maand~~ Madan Singh	9389970011	Gusain	
195	Payal	Shukvindar	8791712196		

				(24/08/2023)	(25/08/2023)	(26/08/2023)
195	Pariyati	mr. Kataau Singh	9368049300	24/08.	25/08	26/08
196	Khushi	Lakhan	9675906502	24/08.	25/023	26/08
197	Gudiya	GOPI Chand	9761038113	24/08/23	25/08/23	26/08
198	Muskan	Rashid	8394891926	24/08/23	25/08/23	
199	Muskan	shameem	8534856527	24/08/23	25/08/23	
200	Muskan	Rashid	8394891926	24/08/23	25/08/23	Muskan-Rashid 26/8/23
201	Muskan	Shameem	8534856527	24/08/23	25/08/23	
202	Rahmat Jahan	Saleem	8534939546	24/08/23	25/08/23	
203	Anshika	Mr Sandeep Kumar	8445464452	24/08/23	25/08/23	Anshika 26/08/23
204	Sanika	Afzaal	6395400387	24/08/23	Sanika 25/08/23	Sanika
205	Shabahar	Murtaja	Shabahar 8476869439	24/08/23	Shabahar 25/08/23	Shabahar 26/8/23
206	Anisha	mr Dhirender Singh	7310570151	Anisha 24/08/2023	Anisha 25/08/23	Anisha 26/08/23
207	Rahmat Jahan	Saleem	8534939546	24/08/23	25/08/23	Rahmat Jahan 26/8/23
208	Payal	Mukesh KUMAR	7662981052	24/08/23	25/08/23	
209	Gulli	Rajendra	7668916441	24/08/23	25/08/23	
210	Asha	Kulveer	7668981052	24/08/23	25/08/23	
211	Anshu	Anil	6397959419	24/08/23	Anshu 25/08/23	
212	Reenu	DHARMENDRA KUMAR	7351983989	25/08/23	Reenu	

				(24/08/2023)	(25/08/2023)	(26/08/2023)
213	Payal	Shukvindar	8791712196	24/8/2023	25/8/2023	
214	Kajal saini	dahrampal singh	9917459149	24/8/2023	25/8/2023.	
215	NEha	mr. Naresh Kumar	7017302620	24/08/2023	25/8/2023	NEha
216	Ritika Rathi	Mr. Anil Kumar	9720873141	Ritika 24/08/2023	Ritika 25/8/2023	
217	Khushi Devi	M.r ramdas	8958040403	Khushi Devi	Khushi Devi	
218	Kajal Devi	Bijendra singh	7906166704	Kajal Devi	Kajal Devi	Kajal Devi
219	Divya saini	satender saini	9058184568	Divyasaini	Divya saini	Divya saini
220	Kashish.	Mr. Pramod kumar	9258558382	Kashish.	Kashish.	Kashish
221	Shalu	M.r Kishan	9760237676	24/8/23	25/8/23.	Shalu.
222	Kajal	Mr. Bhopal Singh	7505637550	24/8/2023	25/8/2023	25/8/2023
223	Sana fatma	Irshad Ahmad	6397860426	24/8/2023	25/8/2023	Sana fatma
224	Uzma	Abdul wahab	9719353552	Uzma	Uzma	Uzma
225	Soniya	Dilshad	9520276824	Soniya	Soniya	Soniya
226	Bushra	Shameem	9997667284	Bushra	Bushra	Bushra
227	Saloni	Mr. Sanjay kumar	9548370498	Saloni	Saloni	
228	RIYA	Mr. manoj SINGHA	8864975808	RIYA	RIYA	RIYA
229	Mausam	Mr. Yashpal	7467853867		Mausam	Mausam
230	komal	Mr. Rishi Pal	9548919085		Komal 25/08/23	Komal [illegible]/8/23

				Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
231	Payal	ganshyam	8273457100	24/8/2023	Payal	Payal
232	Heena	Irfan	8449193167	24/8/2023	Heena	Heena
233	safiya	Layeeq Ahamad	6396255042	24/8/2023	safiya	safiya
234	sakshi	Gempal	6399648032	24/8/2023	sakshi	
235	Isha Pal	Pavan kumar	9368832697	24/8/2023	Isha	
236	Mantasha	Saleem	9557646298	24/8/2023	Mantasha	Mantasha
237	Asma	Yameen	9528633526	24/8/2023	Asma	Asma
238	Aaysha	Sajid	9897112477	24/8/2023	Aaysha	Aaysha
239	Afsaar	Mahmood	9756199998	24/8/2023	Afsaar	Afsaar
240	Sana Zehra	Gulam haider	9012145586	24/8/2023	Sana Zehra	Sana Zehra
241	Aayush	Shri Sushil	9536910912	24/8/2023	Aayush	
242	Anchal	Biram Pal	8433232336	24/8/2023	Anchal	
243	Mohd. Gulettar	Tanveer Alam	9548917353	24/8/2023	Gulettar	
244	Suresh Sabharwal	Sanjeev Sabharwal	9368093903	24/8/2023	Suresh	
245	Krishna	Dinesh Kumar	8475864214	24/8/2023	Krishna	
246	Vansh	Brijendra	7351032150	24/8/23	Vansh	
247	Vinit Kumar	Ramkumar	8445429815	24/8/23	Vinit	Vinit
248						

उत्ता

				Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
249	Harsh mani	Mr. Dinesh mani	9897997982	Harshmani	Harshmani	
250	Avish Luhan	Mr. Chanderveer Singh	7251057608	Avish Lohan	Avish Lohan	
251	Adarsh lohan	Mr. chanderveer singh	7251057008	Adarshlohan	Adarshlohan	
252	Akshay Kumar	Jai Singh	9528093771	Akshay	Akshay	
253	ASHRAF	Latif Khan	9027893527	Ashraf	Ashraf	
254	Nishant Kumar	Suresh Kumar	8445084167	Eshant	Eshant	
255	Athy	Me Pal	8077938274	Ashy	Athy	Athy
256	Gurmeet Kumar	Mr. Shiv Kumar	9368039961	Gurmeet	Gurmeet	Gurmeet
257	Aryan Dev Kumar	Mr. Yashpal Singh	7830371935	Aryan	Aryan.	
258	mayank yadav	MR AJAY yadav	7985499970	mayank	mayank	mayank
259	PRINCE Kumar	MR. NEKIRAM	6397449011	Prince	Prince	Prince
250	Sagar Tomar	Bijendra Kumar	7088186258	Sagar	Sagar	Sagar
251	Virat Saini	Mr. pritam Singh	9258500734	Virat	Virat	Virat
252	Umair	Tasleem	9557622721	Umair	Umair	
253	Abhishek	[illegible]	6398616658	Abhishek	Abhishek	Abhishek
254	PANKAJ KUMAR	MR. KULDEEP KUMAR	7351094182	Pankaj	Pankaj	Pankaj
255	Suleman	Mr. ISLAM	9580509108	Suleman	Suleman	
256	Shakti	Sher Singh	7895928605	Shakti	Shakti	Shakti

[illegible]

Sr. No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
257	Surya Panwar	Sushil Kumar	9068959319	Surya	Surya	Surya
258	Shivam Saini	Pramod Kumar	8650528037	Shivam	Shivam	Shivam
259	Lakshit Sharma	Ajay Sharma	7505755893	[signature]	[signature]	[signature]
260	Aryan Baliyan	Late Rakhampal Singh	8392816557	Aryan	Aryan	Aryan
261	Sahil Verma	Subhash Chandra Verma	9045344672	Sahil	Sahil	Sahil
262	Jaymohan	Mahima Singh	7669027399	[signature]	[signature]	[signature]
263	ShahanShah	Shorat Ali	9368457892	Shahanshah	Shahanshah	
264	ARUN KUMAR	Ramesh Chandra	7467868132	Arun Kumar	Arun Kumar	
265	Manish	Jagdeesh	7417975606	Manish	Manish	
266	Anjali Saini	Shivcharan Saini	8272898508	Anjali Saini	Anjali Saini	Anjali Saini
267	Renu	Swaraj Kumar	8954828296			Renu
868	Chetna	Ravi kumar	8279531331			Chetna
269	Neha Saini	Naresh Saini	7417620996	Neha Saini		Neha Saini
270	Lakshmi Dhiman	Ravinder Kumar	9997435620	Lakshmi		Lakshmi
271	Sapna	Ashok-kumar	7417632828	Sapna	Sapna	Sapna
272	Payal	Shukvindar	8791772136	Payal	Payal	Payal
273	Riti	Rajaneder	7668916441	Riti	Riti	Riti
274	Rosy	Sushil kumar	8534085533	Rosy	Rosy	Rosy

[signature]

				Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)	
~~275~~	~~7037013549~~	~~Suresh Kumar~~					
275	Preeti Kumari	Suresh Kumar	7037013549	Preeti Kumari	Preeti Kumari	Preeti Kumari	
276	Prachi	Mr. Ashok Kumar	8006532557	Prachi			Prachi
277	Pragati Tomar	Mr. Amit Tomar	6396090045				Pragati
278	Khushi	Mr. Sunil Kumar	9889286744				Khushi
279	Khushi Chauhan	Mr. Sandeep Singh	7455922407				Khushi
280	Soniya	Mr. Satish Kumar	8006839217	Soniya	Soniya	Soniya	Soniya
281	Payal	Mr. Satish Kumar	8077200762	Payal	Payal	Payal	Payal
	Soniya	Mr. Ramsharn	9458937139	24/08/2023	25/08/2023	26/08/2023	
	Aafreen	Imran	7983364490	Aafreen	Aafreen	Aafreen	Aafreen
	ShaneZahra	Sujat Ali	8760862162	ShaneZahra	ShaneZahra	ShaneZahra	Shane
	Saziya	Yaseen	879163372	Saziya	Saziya	Saziya	Saziya
	Payal Rani	Malu	9756952083			Payal Rani	26-8-2
	Mausam	Gulshan Kumar	9690469423	Mausam	Mausam	Mausam	
	Jageshwar	Gajendra Pal	9057740468			Jageshwar	
	Aashish	Mr. Rajive Kumar	6397686149			Aashish	
	AJAY	Zakir	9084889607			Ajay	
	Rashi	Vijay	8923292595			Rashi	

प्रीति H   मीनू   8219716446

	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
	Himanshu	Jay Kumar	9639301658			Himanshu
294	Jagmohan	Mahendra Singh	7668089394			[signature]
295	KOKAB JAMAL	Mohd. Rushi	741764112			[signature]
296	Shahanshah	Sharat Ali	9368457892	Shahanshah	Shahanshah	Shahanshah
297	Aman Kashyap	Mr. Rajendra Kashyap	7248792765	Aman	Aman	Aman
298	Saurabh Saini	Mr. Ramkumar Saini	7879281878	[signature]	[signature]	[signature]
299	Akshay Kumar	Jal Singh	9528093771	Akshay	Akshay	Akshay
300	Rinkesh	Sukhbir Singh	9027363799		Rinkesh	Rinkesh
301	Gaurav	Rajesh Teghal	8006641578	Gaurav	Gaurav	Gaurav
302	SHIVAM SHARMA	Amardeep Sharma	7037576585	SHIVAM	SHIVAM	SHIVAM
303	NITIN KUMAR	Mr. Jaleshwar	7017992422	NITIN	NITIN	NITIN
304	NEERAJ	LOKESH	7417087033	NEERAJ	NEERAJ	NEERAJ
305	Kunal	Sukh Pal	6399715378	Kunal	Kunal	Kunal
306	Sachin	Madan pal	6396590377	Sachin	Sachin	Sachin
307	Ayush-Sharma	Mr Sanjeet-Sharma	7900245806	Ayush	Ayush	Ayush
308	Vansh Sharma	Mr Parveen Sharma	80065884	Vansh	Vansh	Vansh
309	Ankush	Mr Suraj Kumar	9520482681	Ankush	Ankush	Ankush
310	Mohd Gulettar	Tanveer Alam	954[illegible]	Gulettar	Gulettar	Gulettar

[signature]

	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
295	Sameer Akbar	Ameer Abbas	7634747288	Sameer Akbar	Sameer Akbar	Sameer Akbar
296	Sahil	Mohd Askari	7817957559			
297	Vinit Kumar	Ashok Kumar	8859700069	vinit	vinit	vinit
298	Johny Maliyan	Mr. Dharmendra	8865874929	Johny	Johny	Johny
299	Umair	Tasleem	9557622721	Umair	Umair	Umair
300	Gaurav Kumar	Rajendra Kumar	6397310131	Gaurav Kumar	Gaurav	Gaurav
301	Rajat Kumar	Ravidutt	9720790194	Rajatkumar	Rajatkumar	Rajat kumar
302	Suresh Sabharwal	Sanjeev Sabharwal	9368093903	[illegible]	[illegible]	[illegible]
303	Shubham Kumar	Kanwar Pal	8126370864	Shubham	Shubham	Shubham
304	Sagar	Ramesh Gami	7830106569	Sagar	Sagar	Sagar
305	Pawan Kumar	Ashvani Kumar	9105851124	Pawan Kumar	Pawan Kumar	Pawan Kumar
306	Kameshwar	Mr. Ravinder Dhiwan	9997435620			Dhiwan
307	Divyam Dev Kumar	Mr. Yashpal Singh	7830311935	Divyam	Divyam	Divyam
308	Nishant Kumar	Mr. Suresh Kumar	8445[illegible]167	Nishant	Nishant	Nishant
309	ASHRAF	Latif Khan	9027893527	Ashraf	Ashraf	Ashraf
310	Mohd. Sahir	Farukh	8279337033			M.Sahir
311	Nareen	Mr. Mubarak Ali	9548781014	Nareen	Nareen	Nareen
312	Sajiya	Mr. Ayyub	7830506129	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

S.No.	Name	Father's Name	Contact No.	Day 1 (24/08/2023)	Day 2 (25/08/2023)	Day 3 (26/08/2023)
313	falak naaz	Sajid Ali	639769 8106	falak naaz	falak naaz	falak naaz
314	Ruby	Subhash GiRi	8126980243	Ruby	Ruby	Ruby

E-mail : info@cldcollege.com
cldegree21@gmail.col
website : www.cldcollege.com

Mob. : 9997998050
9927027669

चमन लाल महाविद्यालय

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

सम्बद्ध : श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी (गढ़वाल)
लण्ढौरा (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

पत्रांक सं. IQAC/22-23/02 दिनांक 2022-23

Internal Examination Grievances Policy

College has its own standard Operation procedure (SOP) about redressal of grievances related to internal examinations, which is strictly followed by the teachers. The students can approach the teachers, college Examination In-charge and Principal to solve the examination related grievance as per the requirement. The procedure is as under:

- At the starting of the semester teachers' will describe the evaluation process of internal and external marks/examination pattern in orientation program.
- College examination committee will prepare the exam schedule/date-sheet and communicate to all the faculty members after getting the approval by Head of the Institution.
- For proper conduction of internal exam two invigilators will assigned in each room.
- Answers sheet will be evaluated by the concerning subject faculty members with-in ten days.
- After completion of internal examinations, evaluated answer sheets are shown to the interested students by subject teachers within 10 days.
- Students having grievances may contact to the subject teachers about their marks in internal exams, the subject teacher addresses the same on the spot. If any of students is not satisfied, he or she can approach the principal. The principal then call the teacher and resolve the grievances.
- Students have the *freedom* to use the suggestion box to put in the note of dissatisfaction.
- The Head of the Institution keeps an eye on the overall procedure by conduction the periodical meeting with the examination committee.

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidhyalaya, Landhaura

Notice

Allotment of student mentee to teachers for mentoring as details below for the academic year 2023-24. The respective Mentor teachers are hereby inform their duties (as per time table)

Chaman Lal Mahavidhyalaya I.Q.A.C. Cordinat Landhaura

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

E-mail : info@cldcollege.com
cldegree21@gmail.col
website : www.cldcollege.com

Mob. : 9997998050
9927027669

चमन लाल महाविद्यालय

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALAYA

सम्बद्ध : श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी (गढ़वाल)
लण्ढौरा (हरिद्वार) उत्तराखण्ड

पत्रांक सं. IQAC/22-23/27 दिनांक 2022-23

Slow and Advanced Learners

1. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय 12वी के प्राप्तांकों के आधार पर छात्र–छात्राओं को Slow and Advanced Learners निर्धारित किया जाता है, 55 प्रतिशत से अधिक Fast तथा उससे कम वाले Slow Learner माना जायेगा।
2. प्रथम सेमेस्टर में आंतरिक परीक्षा में प्राप्तांकों महाविद्यालय की निर्धारित कुल (6) गतिविधियों (1. सांस्कृतिक 2. एन.एस.एस. 3. रोवर्स–रेंजर्स 4. एन.सी.सी. 5. क्रीड़ा 6. डिबेट–आंतरिक वाद–विवाद आदि) के आधार पर छात्र–छात्राओं को Slow एवं Fast Learner निर्धारित किया जाता है।

Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

IQAC/2324/40

अनुशासन समिति

प्राचार्य कक्ष में दिनांक 01–08–2023 को दोपहर 03:00 बजे प्राचार्या महोदया की अध्यक्षता में IQAC की बैठक आहूत की गयी जिसमें अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है–

1– डॉ. नीशू कुमार
2– डॉ. किरण शर्मा
3– श्री विपुल सिंह
4– डॉ. प्रभात कुमार सिंह
5– डॉ. नीतु गुप्ता
6– डॉ. हिमांशु कुमार
7– डॉ. श्वेता

हस्ताक्षर

कार्यवाहक प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
मंगलौर रोड, लंढौरा (हरिद्वार)

दायित्व

1– प्रांगण समिति के साथ मिलकर छात्र–छात्राओं के बैठने की उचित व्यवस्था कराना।

2– विधिवत घण्टा लगवाने की व्यवस्था करना।

3– प्रथम वर्ष के छात्र–छात्राओं का अनुशासन हेतु ओरिएण्टेशन कार्यक्रम आयोजित करना।

4– प्रवेश फार्म, छात्रवृत्ति फार्म, परीक्षा फार्म आदि भरने के समय कार्यालय अधीक्षक के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए कार्य योजना तैयार करना।

5– महाविद्यालय वेशभूषा एवं परिचय पत्र का औचक निरीक्षण करना।

6– व्याख्यान परिवर्तित होने के पांच मिनट पहले एवं दस मिनट बाद तक छात्र–छात्राओं की निगरानी करना जैसे छात्र – छात्रा घण्टा छोड़कर प्रांगण में तो नहीं घूम रहे हैं।

7– समय–समय पर महाविद्यालय में लगे कैमरों की वीडियो की जाँच कराना।

8– विशेष आयोजनों पर प्राप्त सूचना के अनुसार (किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि जिसमें अधिकांश छात्र संख्या उपस्थिति की संभावना हो की जानकारी अनुशासन समिति को देना अनिवार्य होगा।) अनुशासन की व्यवस्था करना।

9– समयानुसार संबंधित सभी कार्यक्रमों की सूचना वेबसाइट समिति एवं प्रचार प्रसार समिति को प्रेषित करना।

वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रमुख बिन्दु

1–कितने छात्र–छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाही की गयी।

2– कुल कितने छात्र–छात्राओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

3– विशेष आयोजनों की संक्षिप्त समीक्षा रिपोर्ट।

4– सत्र में समिति द्वारा आयोजित की गई कुल बैठकों की संख्या एजैण्डा एवं कार्यवृत्त के साथ।

Chaman Lal Mahavidhyalaya
I.Q.A.C.
Coordinator
Landhaura (Haridwar)

Date : 19/08/2023

IQAC/2023-24/40 पत्र के क्रम में आज दिनांक 19/8/2023 को प्रातः 10:00 AM पर अनुशासन समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए महाविद्यालय में प्रभारी सहित सभी सदस्यों ने अपना कार्य भार ग्रहण कर लिया है। जो निम्न प्रकार है।

1- डॉ. नीशू कुमार (प्रभारी)
2- डॉ. किरण शर्मा सदस्य 19.08.23
3- श्री विपुल सिंह "
4- डॉ. प्रभात कुमार सिंह "
5- डॉ. नीतू गुप्ता "
6- डॉ. हिमांशु कुमार "
7- डॉ. श्वेता "

अवलोकित

21.08.23

आवश्यक सूचना

Date : 19/08/2023

आवश्यक सूचना

दिनांक - 21/8/2023 को 11:00 बजे अनुशासन समिति की बैठक अनुशासन समिति कक्ष में होनी सुनिश्चित हुई है अतः सभी सम्मानित सदस्य बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

अनुशासन समिति

1-	डॉ. नीशु कुमार	(प्रभारी)
2-	डॉ. किरण शर्मा	सदस्य
3-	श्री विपुल सिंह	"
4-	डॉ. प्रभात कुमार सिंह	"
5-	डॉ. नीतू गुप्ता	"
6-	डॉ. हिमांशु कुमार	"
7-	डॉ. श्वेता	"

Date 21/08/2023

आज दिनांक 21/8/2023 को अनुशासन समिति की बैठक मुख्य अनुशासक की अध्यक्षता में 11:00 AM पर प्रारम्भ हुई।

जिसमे छात्र - छात्राओं के अनुशासन सम्बन्धी निर्देशों पर चर्चा हुई इसके परिणाम स्वरुप निम्नांकित निर्देश तय किये गये। इस दिशा निर्देशों पर सभी समिति सदस्यो द्वारा सहमति प्रदान की गई। इन निर्देशो को लागू करवाने कर उत्तरदायित्व सभी शिक्षको को प्रदान किया गया। आवश्यक निर्देश साथ में संलग्न है जो सूचना पट्ट पर चस्पा किये गये।

निर्देश :—

1. महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र छात्र-छात्रा को लाना आवश्यक है।

2. महाविद्यालय में किसी भी छात्र / छात्रा द्वारा किसी भी शिक्षक / शिक्षिका व कर्मचारी के साथ अनुचित व्यवहार किये जाने पर छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3. महाविद्यालय में छात्र / छात्राओं द्वारा फोन का प्रयोग वर्जित है। यदि कोई छात्र / छात्रा महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा।

4. छात्र / छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफार्म में ही उपस्थित को होना अनिवार्य है।

5. छात्र / छात्रा खाली समय में पुस्तकालय में बैठे।

Date : ___/___/___

6. छात्र / छात्राएँ कक्षा में सही समय पर पहुँचें।

7. छात्र / छात्रा की 75 फीसदी उपस्थित होनी अनिवार्य है।

अनुशासन समिति

1	डॉ. नीशु कुमार	(प्रभारी)	[signature]
2	डॉ. किरण शर्मा	सदस्य	[signature] 21.08.23
3	श्री विपुल सिंह	"	
4	डॉ. प्रभात कुमार सिंह	"	[signature]
5	डॉ. नीतू गुप्ता	"	[signature]
6	डॉ. हिमांशु कुमार	"	[signature]
7	डॉ. श्वेता	"	[signature]

अवलोकित

[signature]
21.08.23

दिनांक : 21-08-2023

आवश्यक निर्देश

- छात्र-छात्राएं अनुशासन के सम्बन्ध में प्रोस्पैक्ट्स में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा महाविद्यालय में सभी नियमों का अनुपालन करें।
- महाविद्यालय में किसी भी छात्र-छात्रा द्वारा शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने पर छात्र-छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है, यदि कोई छात्र-छात्र महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो मोबाइल फोन जप्त किया जा सकता है।
- छात्र-छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा महाविद्यालय/ कक्षा में एंट्री नहीं दी जाएगी।
- छात्र-छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र लाना आवश्यक है और मांगे जाने पर हर बार दिखाना होगा।
- छात्र-छात्रा खाली समय में पुस्तकालय एवं लैब के समय में लैब में उपस्थित रहें।
- छात्र-छात्राएं कक्षा में सही समय पर पहुंचे। कक्षाओं के बाद अनावश्यक रूप से महाविद्यालय में न घूमें।
- छात्र-छात्रा की 75 फीसद उपस्थित होना अनिवार्य है। 75 फीसद से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा से रोका जा सकता है।
- किसी छात्र द्वारा छात्राओं से अभद्र व्यवहार एवं परेशान किए जाने (छेड़छाड़ अथवा पीछा करने) पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- प्राचार्य की अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने साथ महाविद्यालय लेकर न आएं।
- महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति या सामग्री को नुकसान पहुँचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार संबंधित छात्र-छात्रा से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी।
- परिसर में रैगिंग पूर्ण प्रतिबंधित है। रैगिंग की पुष्टि होने पर प्रवेश निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- परिसर में धूम्रपान, गुटखा तम्बाकू आदि का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है, इनका प्रयोग न करें।
- अनुशासन सम्बन्धी किसी भी मामले में डॉ. नीशू कुमार भाटी, मुख्य अनुशासक के नम्बर 8126501692 पर सम्पर्क कर सकते है अथवा शिकायत पेटिका में लिखित शिकायत डाल सकते हैं।

आज्ञा से

डॉ. नीशू कुमार भाटी
मुख्य अनुशासक

डॉ. सुशील कुमार उपाध्याय
प्राचार्य

Date : 18/09/2023

आवश्यक सूचना

दिनांक 18/09/2023 की दोपहर 1:00 बजे अनुशासन समिति की बैठक, अनुशासन समिति कक्ष में होनी सुनिश्चित हुई है। अतः सभी सम्मानित सदस्य बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

अनुशासन समिति

1 - डॉ० नीशू कुमार (प्रभारी)
2 - डॉ० किरण शर्मा सदस्य
3 - श्री विपुल सिंह ,,
4 - डॉ॰ प्रभात कुमार सिंह ,,
5 - डॉ॰ नीतू गुप्ता ,,
6 - डॉ० हिमांशु कुमार ,,
7 - डॉ॰ श्वेता ,, Shweta.

कार्यवृत्त Date : 18 / 09 / 2023

दि० 08/09/2023 को अनुशासन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अनुशासन समिति के प्रभारी सहित समस्त सदस्यों ने महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने के लिए निम्न निर्णय लिये गये और सभी निर्णयों पर अनुशासन समिति ने अपनी सहमति प्रदान की। बैठक में लिये गए निर्णय इस प्रकार हैं:

1. 09:00 बजे से लेकर महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी छात्र-छात्राओं के आई० कार्ड डॉ० नीशू कुमार द्वारा चेक किये जायेंगे।

2. 10:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक सभी छात्र-छात्राओं के आई कार्ड डॉ० किरन शर्मा द्वारा चेक किये जायेंगे।

3. महाविद्यालय के बेसमेंट में सभी छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए डॉ० श्वेता अपने कार्यों का निर्वहन करेंगी।

4. महाविद्यालय के प्रथम तल पर सभी छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के लिये डॉ० हिमांशु कुमार अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

5. महाविद्यालय के द्वितीय तल पर सभी छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाए रखने के लिये डॉ० प्रभात कुमार अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

6. महाविद्यालय के तृतीय तल पर सभी छात्र-छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने के लिए डॉ० नीतू सुजा अपने कार्यों का निर्वहन करेंगी।

नोट : सभी अनुशासन समिति के सदस्य अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी व पूरी निष्ठा के साथ करेंगे।

Date : ___/___/___

अनुशासन समिति

1-	डॉ० नीरज कुमार	(प्रभारी)
2-	डॉ० किरण शर्मा	सदस्य
3-	श्री विपुल सिंह	"
4-	डॉ० प्रभात कुमार सिंह	"
5-	डॉ० नीतू गुप्ता	"
6-	डॉ० हिमांशु कुमार	"
7-	डॉ० श्वेता	"

समस्त सदस्य निर्धारित स्थान/तल पर
अपने दायित्व का निर्वहन करें।

20.09.23

Date : 27 / 09 / 2023

सूचना

सभी सम्मानित शिक्षकों से अनुरोध करना है कि कोई भी छात्र आपकी कक्षा में बिना यूनिफॉर्म के उपस्थित होता है तो उसको कक्षा में बैठने न दिया जाये। यदि कोई छात्र बिना यूनिफॉर्म के कक्षा में उपस्थित पाया जाता है तो उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शिक्षक की होगी।

कोई भी शिक्षक किसी छात्र को बिना यूनिफॉर्म के महाविद्यालय में बुलाता है तो उसकी सूचना प्राचार्य / अनुशासन समिति प्रभारी को देनी होगी।

नोट- कोई भी विभाग / समिति कार्यक्रम करने से पूर्व अनुशासन समिति को सूचना देनी होगी ताकि अनुशासन व्यवस्था ठीक प्रकार बनी रहे।

(1) डा. नीशु कुमार (प्रभारी)
(2.) डा. किरण शर्मा (सदस्य)
3.) श्री विपुल सिंह "
4) डॉ. प्रभात कुमार सिंह "
5.) डॉ. नीतु गुप्ता "
6.) डॉ. हिमांशु कुमार "
7) डॉ. श्वेता "

27.09.23

आवश्यक सूचना

Date : 05/12/2023

अनुशासन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना है कि आज दोपहर 2 बजे एक मीटिंग अनुशासन समिति कक्ष में की जायेगी। अतः आप सभी सम्मानित सदस्य 2:00 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें।

05/12/2023
प्रभारी
डॉ. नीशु कुमार
अनुशासन समिति

1. डॉ. नीशु कुमार
2. डॉ. किरण शर्मा — 05-12-23
3. श्री विपुल सिंह
4. डॉ. प्रभात कुमार सिंह
5. डॉ. नीरु गुप्ता
6. डॉ. हिमांशु कुमार
7. डॉ. श्वेता

उपस्थित

Date : ___/___/___

बैठक

अनुशासन मण्डल की एक बैठक आज दिनांक 05/12/2023 को अनुशासन समिति कक्ष मे मुख्य अनुशासक डॉ. नीरज कुमार की अध्यक्षता में की गयी। बैठक मे निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

प्रस्ताव सं० - 1 छात्र छात्राओं के बैठने के लिए कैंटीन के पास बैंच, मुख्य द्वार की दायीं ओर बैंच तथा प्रशासनिक कार्यालय के सामने टिन शेड के नीचे प्रॉवाण समिति के सहयोग से व्यवस्था की जाए

प्रस्ताव सं०-2 व्याख्यान परिवर्तन के समय व्यवस्था बनाने का दायित्व उन सदस्यों को दिया जाए जिनका लेक्चर उस समय न हो। इस सम्बन्ध में अन्य शिक्षकों से भी सहयोग लिया जाए

प्रस्ताव सं०-3 महाविद्यालय में लगे कैमरों की जाँच प्रत्येक माह की 15 व 30/31 तारीख को की जाए। उक्त तिथियों मे अवकाश होने पर यह कार्य आगामी कार्यदिवस पर किया जाए। उक्त कार्य को करने का दायित्व डॉ. हिमांशु कुमार तथा डॉ. अनामि चौहान को दिया जाए। किसी प्रकार की अनुशासन सम्बन्धी गडबड़ी पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल मुख्य अनुशासक को दी जाए।

प्रस्ताव सं०-4 महाविद्यालय के अन्य विभागों तथा समितियों द्वारा कार्यक्रमों की सूचना प्राप्त होने पर अनुशांसन मंडल द्वारा

Date : ___/___/___

व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। बड़े आयोजनों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य शिक्षकों से सहयोग प्राप्त किया जाये।

सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाएं।

मुख्य अनुशासक

डॉ॰ नीशु कुमार
1. डॉ॰ किरण शर्मा
2. श्री विपुल सिंह
3. डॉ॰ प्रभात कुमार सिंह
4. डॉ॰ नीतु गुप्ता
5. डॉ॰ हिमांशु कुमार
6. डॉ॰ श्वेता
7.

Date : ___/___/___

सूचना।

अनुशासन समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज दिनाँक -19/12/2023 को लोक सेवा आयोग कि होने वाली परीक्षा से संबंधित एक बैठक अनुशासन समिति कक्ष मे आहुत कि गई है।

मुख्य अनुशासक

1. डॉ॰ नीशु कुमार
2. डॉ॰ किरण शर्मा
3. श्री विपुल सिंह
4. डॉ॰ प्रभात कुमार सिंह
5. डॉ॰ नीतू गुप्ता
6. डॉ॰ हिमांशु कुमार
7. डॉ॰ श्वेता

19.12.23

Date : ___/___/___

बैठक

अनुशासक मंडल की बैठक मे लोक सेवा आयोग की परिक्षा से संबंधित बैठक मे निम्न निर्णय लिए गए। जो निम्न प्रकार है :-

1. महाविद्यालय गेट के बाहर कोई भी छात्र वाहन खड़ा नही करेगा।

2. लोक सेवा आयोग की परिक्षा मे ड्युटी देने वाले सभी शिक्षक अपना मोबाइल फोन नही लेकर जायेंगे।

3. कोई भी छात्र-छात्रा बैग व मोबाइल फोन महाविद्यालय मे नही लेकर आयेंगे।

मुख्य अनुशासक

1. डॉ॰ नीशु कुमार
2. डॉ॰ किरण शर्मा
3. श्री विपुल सिंह
4. डॉ॰ प्रभात कुमार सिंह
5. डॉ॰ नीतु गुप्ता
6. डॉ॰ हिमांशु कुमार
7. डॉ॰ श्वेता

Date : 21 / 12 / 2023

अनुशासन समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की एक आवश्यक बैठक 02.00 बजे अनुशासन समिति कक्ष में सम्पन्न होगी। अतः सभी सदस्य समय पर उपस्थित हों।

डॉ. नीशु कुमार
डॉ. किरन शर्मा
श्री विपुल सिंह
डॉ. प्रभात कुमार
डॉ. नीतू गुप्ता
डॉ. हिमांशु कुमार

दिनांक 21/12/2023

सूचना

अनुशासन समिति के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना है कि महाविद्यालय में संचालित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और महाविद्यालय में अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए समस्त सदस्यों की ड्यूटी महाविद्यालय गेट पर निम्नानुसार लगाई जाती है

1. 8:00 A.M to 9:00 A.M डॉ. मीनू कुमारी
2. 9:00 A.M to 10:00 A.M डॉ. नीतू गुप्ता
3. 10:00 A.M to 11:00 A.M डॉ. श्वेता
4. 11:00 A.M to 12:00 P.M डॉ. हिमांशु कुमार
5. 12:00 P.M to 1:00 P.M डॉ. किरण शर्मा
6. 1:00 P.M to 2:00 P.M डॉ. प्रमित कुमार
7. 2:00 P.M to 3:00 P.M डॉ. मीनू कुमार

यदि किसी सम्मानित सदस्य की ड्यूटी परीक्षा में है तो उनके स्थान प्रतिस्थानी के रूप में डॉ. मीनू कुमार शामिल कर निर्वहन करेंगे।

प्राचार्य
डॉ. सुशील कुमार

प्रभारी
डॉ. मीनू कुमार

21.12.23

Date : ___/___/___

कार्यवृत

दिनांक 9/12/2023 को बैठक में निर्णय हुआ कि महाविद्यालय में संचालित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशासन समिति के समस्त सदस्यों की ड्यूटी महाविद्यालय मुख्य द्वार पर निम्नानुसार लगाई जाती है →

(1) 08:00 AM To 9:00 AM - डॉ. नीशू कुमार

2) 09:00 AM To 10:00 AM - डॉ. नीशू गुप्ता

10:00 AM To 11:00 AM - डॉ. श्वेता

11:00 AM To 12:00 AM - डॉ. हिमांशु कुमार

12:00 AM To 01:00 PM - डॉ. किरण शर्मा

01:00 AM - To 02:00 PM - डॉ. प्रभात कुमार

02:00 PM - To 03:00 PM - डॉ. नीशू कुमार

यदि किसी सम्मानित सदस्य की ड्यूटी परीक्षा में है तो उनके स्थान प्रतिस्थानी के रूप में डॉ. नीशू कुमार दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(1) डॉ. नीशू कुमार

2) डॉ. किरन शर्मा

3 श्री विपुल सिंह

4 डॉ. प्रभात कुमार

5 डॉ. नीशू गुप्ता

6 डॉ. श्वेता

7 डॉ. हिमांशु कुमार

अवलोकित

प्राचार्य

Date : 29 / 01 / 2024

आवश्यक सूचना

समस्त सम्मानित अनुशासन समिति से अनुरोध करना है कि आज दिनांक 29-01-2024 को 10:30 AM पर एक बैठक अनुशासन समिति कक्ष मे आहूत की गई है अत सभी सदस्य अनुशासन समिति कक्ष में समय पर पहुँचना सुनिश्चित करना ।

(1) डॉ॰ नीतू कुमार - प्रभारी
(2) डॉ॰ किरन शर्मा सदस्य
(3) श्री विपुल सिंह "
(4) डॉ॰ प्रभात कुमार "
(5) डॉ॰ नीतू गुप्ता "
(6) डॉ॰ हिमांशु कुमार "
(7) डॉ॰ श्वेता "

Date : 29 / 01 / 2024

कार्यवृत्त

29-01-2024 को 10:30 पर हुई बैठक में सभी सम्मानित सदस्यों ने निम्न सुझाव दिये है, जिससे महाविद्यालय में सुचारू रूप से संचालित परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस प्रकार होंगे —

(1) महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। जो आने वाले सभी विद्यार्थियों के I.D. Card चैक करे और बाहरी छात्रों को ~~[illegible]~~ जाँच पड़ताल के उपरान्त ही Entry दें।

(2) महाविद्यालय में चल रही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं की सूचना नजदीकी थाने में दी जाये।

(3) महाविद्यालय कैंटीन को निर्देश दिया जाये कि बाहरी व्यक्तियों को ~~बै~~ कैंटीन में न बैठाया जाये। तथा कैंटीन के गेट न खोल कर विन्डो को खोला जाये।

(4) जब तक महाविद्यालय मे स्नातकोत्तर की परीक्षाऐ चल रही है तब ~~तक~~ उनकी कक्षाऐं नही चलेगी। अत सभी विद्यार्थियो को महाविद्यालय नही आना है।

1) डॉ. नीरज कुमार – प्रभारी
2) डॉ. किरन शर्मा सदस्य
3) श्री विपुल सिंह ”
4) डॉ. प्रभात कुमार ”
5) डॉ. नीतू गुप्ता ”
6) डॉ. हिमांशु कुमार ”
7) डॉ. कविता ”

अवलोकित

श्री निशिथ कुमार

क्र.सं. 1 एवं 4 के लिए

दर नोटिस का प्रस्तुत करें।

29.01.24

①

29/11/2023

सेवा मे,

प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा (हरिद्वार)

विषय ⇒ 01 दिसम्बर 2023 को विश्व ऐड्स दिवस की जागरूकता रैली के सम्बन्ध में

महोदय
निवेदन करना है, महाविद्यालय के माइक्रोबायोलोजी विभाग 01 दिसम्बर को विश्व एड्स दिवस के सम्बन्ध मे एक जागरूकता रैली करना चाहता है अतः आपसे निवेदन है कि अनुमति प्रदान करने की कृपा करे।

धन्यवाद

भवदीय

डा० प्रभात कुमार सिंह
सहायक आचार्य
माइक्रोबाइलोजी विभाग

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidhyalaya
IQAC Coordinator
Landhaura (Haridwar)

Name-	father's name	Class	Sign.
Ilma	Ahasan.	B.Sc. Ist sem	Ilma
sana	Gulam haider	B.SC. Ist sem	Sana
Noreen	Mr. Mubarak Ali	B.Sc Ist sem	Noreen
Anas	Anees	B.Sc. Ist sem.	Anas
Mohd Nawazish	Mohd. Iqbal	B.Sc Ist sem	[illegible]
Pavankumar	Ashwani Kumar	"	Pavankumar
Aakavati	Ramesh Pal	B.SC I[st] sem	Aakavati
Nishupal	mr. Susheel Kumar	B.S.C Ist sem	Nishupal
Saniya	Mr. Ramcharan	B.S.C Ist sem	Saniya
Alisha	Abdul Sattar	B.Sc I[st] Sem	Alisha
Sheetal	Mr. Rajkumar	B.Sc I[st] Sem	Sheetal
Annu	Mr. Ishwar kumar	B.sc I[st] Sem	Annu
AliBadshah	Hasan Ali	B.SC I[s] se	Ali
Tarannum	Ishtkar	BSC I[st] Sem	Tarannum
Muskan khan	Istafak	BSC I[st] sem	Muskan khan
Tufa Ansari	Tasleem Ahmad	B.S.C I[st] sem	Tufa Ansari
Naziya	Aleek Ahmad	B.S.C I[st] sem	Naziya
IKRA	ISTAKAR	B.A I[st] Sem	IKRA KH[illegible]
Reenu	DHARMENDRA	B.A I Sem	[illegible]
Mausam	Gulshan kumar	B.A I[st] sem	Mausam
Sana Qureshi	Kalim Akhtar	B.Com I[st] Sem	[illegible]
Manish Sharma	Anil Kumar Sharma	B.Com I[st] Sem	Manish
Mahima	pradeep kumar	B.Sc I[st] Sem	Mahima
Heena	Madan singh	B.SC I[st] Sem	Heena
Ayush	dhan singh	"	Ayush
Shridanshee	Bhupendr singh	"	Shri[illegible]

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt - Haridwar, Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidhyalaya
I.Q.A.C. Coordinator
Landhaura

Name	Father's name	Class	Sign
Nagma	jahangeer	B.SC III rd sem	[illegible]
Minakshi	Mr. Rakesh kumar	B.SC III rd sem	Minakshi
Shalu	Mr. Bhagwan singh	"	Shalu
Ritu	Mr. Naresh kumar	"	Ritu
Leema	Mr. siddharth	"	Leema
Aarif	Mr Naushad	"	Aarif

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
तरुणमित्र

चमन लाल महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष में निकाली जन-जागरुकता रैली

By Deshraj On 01 Dec 2023 1:46:29

रुड़की/लंढौरा (देशराज पाल)। चमन लाल महाविद्यालय में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय सेवा योजना एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के द्वारा एक व्याख्यान आयोजित किया गया। शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने एचआईवी से जागरूक रहने के लिए छात्र-छात्राओं को समय-समय पर सावधान रहने के लिए कहा तथा छात्र-छात्राओं का ज्ञानवर्धन कैसे हो इस विषय पर भी प्रकाश डाला जिससे छात्र-छात्राएं समाज में जाकर कि सी भी प्रकार की गलत फहमियों के शिकार न होने पाए। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मोहम्मद इरफान एवं डॉ. प्रभात कुमार ने भी छात्र-छात्राओं को एचआईवी से जागरूक रहने के लिए अपना संदेश दिया और संपूर्ण परिसर में पोस्टर एवं स्लोगन इत्यादि के माध्यम से जागरूक किया तथा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए भी बताया कि प्रतिदिन सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रकृति में बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम के लिए भी जागरूक किया। इसके द्वितीय चरण में महाविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार सेल का गठन किया गया जिसके अंतर्गत एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में हिमांशु गोयल वैज्ञानिक, उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन उपस्थित रहे। उन्होंने बौद्धिक संपदा का अर्थ एवं महत्व को बताया और बताया कि आज के समय में नवाचार को किस प्रकार से बढ़ावा मिल रहा है। भारत में पेटेंट के माध्यम से हमारी विरासत को बल मिल रहा है और ट्रेडमार्क प्रबंधन इत्यादि की चर्चा भी अपने व्याख्यान में की। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनामिका चौहान ने भी बौद्धिक संपदा के सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलू पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

Tags:

Latest News

रमेश भटेजा जिला निर्वाचन हरिद्वार स्वीप के आइकॉन मनोनीत

रुड़की (देशराज पाल)। रामनगर निवासी ह्यूमैनिटेरियन मैन ऑफ उत्तराखंड से पहचाने जाने वाले रमेश भटेजा को जिलाधिकारी के निर्देश पर...

18 साल के होने वाले हैं तो जुड़वा लें मतदाता सूची में नाम

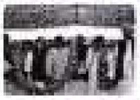

मौरीस का हाजपाट चल हो रहा : उपेंद्र कुशवाहा

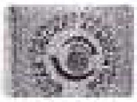

पुत्र मोह व निजी स्वार्थ के लिए पीसीएस को बदनाम कर रहे हैं आदित्य वर्मा- संजीव मिश्र

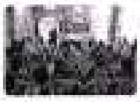

लैंगिक हिंसा और महिला सुरक्षा के लिए सखी वार्ता का आयोजन

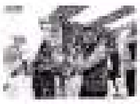

ओरे के गोपालपुर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित

सावरकर का सम्मान और बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं - दिनेश राज त्यागी

About The Author

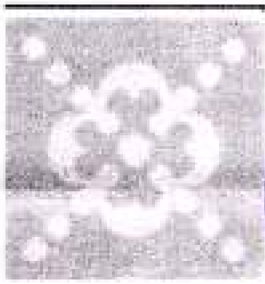

Deshraj

Chaman Lal Mahavidhyalaya IQAC Coordinator Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar Uttarakhand

(1)

सेवा में

दिनाँक
11-10-2023

प्राचार्य

चमनलाल महाविद्यालय लण्ढौरा

विषय - जागरूकता रैली की अनुमति के सम्बन्ध में

महोदय

आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान निषेध एवं एण्टी ड्रग कमेटी लण्ढौरा कस्बा में एक जागरूकता रैली का आयोजन दिनाँक 19-10-2023 को प्रात: 10:00 बजे कराना चाहती है। अत: इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

भवदीय
डॉ० संजीव कुमार

प्रभारी
धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

IQAC Coordinator
Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

उक्त रैली 21 अक्टूबर, 23 शनिवार को आयोजित की जाए। इस हेतु पुलिस चौकी को भी सूचना भेजी जाए।

18.10.23

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

प्राचार्य महोदय के मौखिक निर्देशानुसार उक्त रैली का आयोजन 26 अक्टूबर को किया गया

[redacted]

आवश्यक सूचना

सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी द्वारा दिनांक 26.10.2023 को एक जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 10:00 बजे किया जाना है अतः सभी छात्र. छात्राएं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें

आज्ञा से

डॉ संजीव कुमार
प्रभारी
धूम्रपान निषेध एवं
एंटी ड्रग कमेटी

(3)

Gmail

Chaman Lal Mahavidhyalaya <cldegree21@gmail.com>

(no subject)

1 message

Dr. Sanjeev <sanjeevclm17@gmail.com>
To: cldegree21@gmail.com

Mon, Oct 30, 2023 at 2:11 PM

प्रेस विज्ञप्ति

लंढौरा। चमन लाल महाविद्यालय में आज धूम्रपान निषेध एवं ड्रग कमेटी द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री अतुल हरित ने किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव कुमार चौहान ने बताया कि विगत दिनों में धूम्रपान निषेध एवं anti-drug कमेटी द्वारा अनेक रैली एवं व्याख्यान का आयोजन महाविद्यालय में किया गया जिससे काफी संख्या में छात्र-छात्राएं लाभान्वित भी हुए हैं और इन आयोजनों का छात्र-छात्राओं पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिससे उत्तराखंड ड्रग मुक्त होने में सफल होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड सरकार drugs मुक्त राज्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है उन्होंने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक दिन यह उत्तराखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत धूम्रपान से मुक्त होगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जी-20 के कार्यक्रमों में भी धूम्रपान निषेध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कैंपस एंबेसडर डॉ. धर्मेंद्र कुमार डॉ. इरफान डॉ. निशु कुमार डॉ. सूर्यकांत शर्मा डॉ. हिमांशु कुमार डॉ. देवपाल , एवं गैर शिक्षक कर्मचारी गण एवं चतुर्थ कर्मचारी श्री दुष्यंत कुमार श्री सचिन श्री सतीश कुमार श्री अनुराग का विशेष सहयोग रहा।

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

4

18

GPS Map Camera
Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand, India
RW4H+Q6Q, Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand 247664, India
Lat 29.807003°
Long 77.927957°
26/10/23 11:37 AM GMT +05:30
Google

धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी
जागरूकता रैली
GPS Map Camera
Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand, India
RW4H+Q6Q, Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand 247664, India
Lat 29.806969°
Long 77.927933°
26/10/23 11:34 AM GMT +05:30
Google

रिपोर्ट

जागरूकता रैली

नशा मुक्त उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि दिनांक 26-10-2023

लंढौरा। चमन लाल महाविद्यालय में आज धूम्रपान निषेध एवं ड्रग कमेटी द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री अतुल हरित ने किया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. संजीव कुमार चौहान ने बताया कि विगत दिनों में धूम्रपान निषेध एवं anti-drug कमेटी द्वारा अनेक रैली एवं व्याख्यान का आयोजन महाविद्यालय में किया गया जिससे काफी संख्या में छात्र-छात्राएं लाभान्वित भी हुए हैं और इन आयोजनों का छात्र-छात्राओं पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जिससे उत्तराखंड ड्रग मुक्त होने में सफल होगा।

इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड सरकार drugs मुक्त राज्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठा रही है और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है उन्होंने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक दिन यह उत्तराखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत धूम्रपान से मुक्त होगा। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जी-20 के कार्यक्रमों में भी धूम्रपान निषेध संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कैंपस एंबेसडर डॉ. धर्मेंद्र कुमार डॉ. इरफान डॉ. निशु कुमार डॉ. सूर्यकांत शर्मा डॉ. हिमांशु कुमार डॉ. देवपाल , एवं गैर शिक्षक कर्मचारी गण एवं चतुर्थ कर्मचारी श्री दुष्यंत कुमार श्री सचिन श्री सतीश कुमार श्री अनुराग का विशेष सहयोग रहा।

धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र छात्राओं को नशे से दूर रखना एवं समस्त लंढौरा के निवासियों को नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करना है

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt-Haridwar Uttarakhand

I.Q.A.C. Cordinator
Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

(6)

सेवा में -

Date.
8-11-2023

प्राचार्य
चमनलाल महाविद्यालय लण्ढौरा

विषय- विशेष व्याख्यान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय-
आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 9-11-2023 को एक व्याख्यान का आयोजन कराना चाहती है अतः इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

भवदीय
[signature]
डा० संजीव कुमार
प्रभारी
धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

अनुमत/
राज्य स्थापना दिवस व्याख्यान/कार्यक्रम
NSS के साथ संयुक्त
रूप आयोजित किया जाए।
[signature]
8-11-2023

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

Chaman Lal Mahavidyalaya
Coordinator
Landhaura (Haridwar)

आवश्यक सूचना

सभी छात्र.छात्राओं को सूचित किया जाता है कि धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन दिनांक 9 .11. 2023 किया जाना है अतः सभी छात्र.छात्राएं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें

आज्ञा से

6-11-2023

डॉ संजीव कुमार

प्रभारी

धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(४)

दैनिक न्यूज़ उत्तराखंड

Friday 10th November 2023

website: www.dainiknewsuttarakhand.com

चमनलाल महाविद्यालय में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में गृह विज्ञान विभाग द्वारा हस्तशिल्प एवं फूड फेस्टिवल प्रदर्शनी का आयोजन उल्लास नाम से किया गया

(रिपोर्ट:-ब्रह्मानंद चौधरी रुड़की) रुड़की । प्रदर्शनी का शुभारंभ महाविद्यालय प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष अतुल हरित एवं सचिव अरुण कुमार हरित एवं महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने किया डॉ.उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय में इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता रहता है। छात्र-छात्राओं की बहुमुखी प्रतिभा के लिए यह आवश्यक भी है आज भारतवर्ष को हस्त कौशल विकास की आवश्यकता है। इसी क्रम में फूड फेस्टिवल के अंतर्गत छात्र-छात्राओं ने अनेकों प्रकार के व्यंजनों से निर्मित फूड स्टाल लगाए तथा तरह-तरह के पकवान मिष्ठान एवं साउथ इंडियन रेसिपी भी प्रदर्शनी का मुख्य अंग रही। गढ़वाली मंडल के अनेकों व्यंजनों को भी फूड स्टॉल पर लगाया गया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी के अंतर्गत अनेकों कपड़ों पर कला आकृतियों को उतारा गया जिसमें ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, बांधनी शिल्प कला, स्टैंसिल छपाई तथा दुपट्टा चादर कुशन कवर विशेष रहे। साथ ही दीपावली पर्व के अनेक सजावट के सामान जैसे दीपक, झालर एवं झूमर इत्यादि वस्तुएं प्रदर्शनी का मुख्य अंग रही। सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने कुछ हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीदारी भी की। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. नीतू गुप्ता एवं डॉ. अनामिका चौहान ने बताया कि विगत दिनों से इस प्रदर्शनी को लेकर छात्राओं ने दिन-रात परिश्रम किया जिसके कारण आज इस प्रदर्शनी का आयोजन संभव हो सका उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एंटी ड्रग्स कमेटी द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत छात्र-छात्राओं को धूम्रपान संबंधी वस्तुओं से बचने के उपाय एवं मार्गदर्शन दिया गया जिसके समन्वयक मोहम्मद डॉ. इरफान एवं डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि धूम्रपान दिन प्रतिदिन युवा वर्ग को कमजोर कर रहा है जिससे आज की युवा पीढ़ी त्रस्त हो रही है अतः हम सभी शिक्षकों का यह दायित्व है कि हमें धूम्रपान से आज के युवा वर्ग को बचाना होगा साथ ही महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.सुशील उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई तथा किन उद्देश्यों को लेकर की गई जिससे छात्र-छात्रा अपना करियर बना सके इस विषय पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इस व्याख्यान में डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. हिमांशु, डॉ.प्रभात कुमार का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

लिहाज से हर टीम की स्थिति

एजेंसी, नई दिल्ली

का शिकार, शुभमन गिल के साथ तस्वीर वायरल

9

एजेंसी, नई दिल्ली

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान का बड़ा एलान,

एजेंसी, मेलबर्न

उत्तराखंड

खुब्बनपुर में चल रही दो दिवसीय न्याय पंचायत स

देश रोजाना ब्यूरो

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर चमन लाल महाविद्यालय में हुआ हस्तशिल्प एवं फूड फेस्टिवल प्रदर्शनी का आयोजन

देश रोजाना ब्यूरो, लंढौरा

व्यापार मंडल, शाकुंभरी देवी सेवा परिवार ने किया भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक सौरभ भूषण का स्वागत

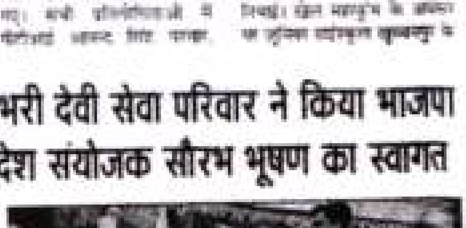

रुड़की।

उत्तराखंड पर्यावरण एवं

रुड़की।

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(10)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:– 9-11-2023

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
1)	Sakshi	B.Com Ist year	Sakshi
2)	Neetu yadav	B.Com Ist year	Neetu
3)	Mahak	B.Com Ist yr	Mahak
4)	Pushpa	B. Com Ist year	Pushpa
5)	Anjali Saini	B.Sc Ist y	Anjali
6)	Khushi	B. A Ist y	Khushi
7	Swati Kumari	B.A I sty	Swati
8	Gudiya Saini	B.A I	G
9.	Uzma	B.Sc III year	Uzma
10	Shabnoor	B.Sc III year	Shabnoor
11	Payal	B.Sc III year	Payal
12	Shama	B.Sc III rd year	Shama
13	Sarita	B.Sc III rd sem	सरिता
14	Kanak	B.Sc III rd sem	Kanak
15	Tannu	B.Sc III rd sem	Tannu
16	Leema	B.Sc III rd sem	Leema
17	Saina	B.A III rd sem	S
18	Muskan	B.Sc III rd sem	[illegible]
19	Payal	B.A Ist sem	P
20	Varsha	B.A Ist sem	Varsha
21	Aakansha	B.A Ist sem	a
22	Khushi	B.A Ist sem	Khushi

I.Q.A.C. Coordinator, Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(11)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:– 9-11-2023

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
23	Payal	BA Ist Sem	Payal
24	Sajiya	BSC Ist Sem	[illegible]
25	Falak naaz	B.Sc Ist Sem	Falak naaz
26	Sana Qureshi	B.Com 1st Sem	[illegible]
27-	Radhika	B.com III Sem	Radhika
28-	Reenu	B.A I Sem	Reenu
29.	Heena	B.S.C Agri	Heena
30	IKRA	B.A I Sem	Ikra khan
31	Ruby	BA 3	Ruby
32	Manish	B.CoM Ist	Manish
33	Umair	B.com Ist year	Umair
34	MOHD. SAMEER	B.Sc Ist y	Sameer
35	Vinay Kumar	B.A Ist	Vinay
36	~~Aam~~ Aamir abbas	B.A Ist	Aami
37.	Shristi	D.Pharma	Shristi
38.	Khushi	"	Khushi
39	Harish	"	Harish
40	Kashish	BA Ist	काशिश
41	Asma	BA Ist	Asma
42	mentashe	" "	Arem
43	Aaysha	" "	[illegible]
44	Afsana	" "	[illegible]

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar Uttarakhand

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(12)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:- 9-11-2023

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
45	Shaheen	BA I	शाहीन
46	SANIYA	" "	सानिया
47	Jaya	BA I^st	Jaya
48	Saniya	"	Saniya
49	Sareen	"	Sareen
50	Nidhi	"	Nidhi
51	Aashish	"	Aashish
52	Jageshwar	"	Kenalivan.

[signature] 09-11-2023

I.Q.A.C. Coordinator, Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

[signature]
Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

(23)

सेवा में –

विषय

महोदय

इस

दिनांक

चाहती

कवर

Chaman Lal Mahavidyalaya
Coordinator
Landhaura (Haridwar)

रिपोर्ट

विशेष व्याख्यान

नशा मुक्त उत्तराखंड ड्रग फ्री देवभूमि 9-11-2023

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में द्वितीय चरण में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एंटी ड्रग्स कमेटी द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत छात्र-छात्राओं को धूम्रपान संबंधी वस्तुओं से बचने के उपाय एवं मार्गदर्शन दिया गया जिसके समन्वयक मोहम्मद डॉ. इरफान एवं डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि धूम्रपान दिन प्रतिदिन युवा वर्ग को कमजोर कर रहा है जिससे आज की युवा पीढ़ी त्रस्त हो रही है अतः हम सभी शिक्षकों का यह दायित्व है कि हमें धूम्रपान से आज के युवा वर्ग को बचाना होगा साथ ही महाविद्यालय प्राचार्य डॉ.सुशील उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई तथा किन उद्देश्यों को लेकर की गई जिससे छात्र-छात्रा अपना करियर बना सके इस विषय पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इस व्याख्यान में डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. हिमांशु, डॉ.प्रभात कुमार का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

इस व्याख्यान का उद्देश्य महाविद्यालय में अध्यनरत सभी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रखना है एवं नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक करना है।

Chaman Lal Mahavidhyalaya I.Q.A.C. Coordinator Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt -Haridwar Uttarakhand

(15)

सेवा में -   दिनांक
                                                                     01-05-2024

प्राचार्य
चमनलाल महाविद्यालय लण्ढौरा

विषय - धूम्रपान निषेध माह मई 2024 में कार्यक्रम की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय -

आपको अवगत कराना है कि धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी धूम्रपान निषेध माह मई 2024 में निम्न प्रस्तावित कार्यक्रमों का आयोजन कराना चाहती है अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। सधन्यवाद

कार्यक्रम

(i) पोस्टर बैनर के माध्यम से छात्र/छात्राओं को जागरूक करना (21-05-2024)

(ii) शपथ ग्रहण कार्यक्रम (28-05-2024)

(iii) नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम (29-05-2024)

अनुमत

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar, Uttarakhand

भवदीय

प्रो० संजीव कुमार
प्रभारी
धूम्रपान निषेध एवं एंटीड्रग कमेटी

IQAC

आवश्यक सूचना

सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी द्वारा मई 2024 में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जो निम्न प्रकार है अतः सभी छात्राएं अपनी उपस्थिति सुनिषित करें

1- पोस्टर बैनर के माध्यम से छात्राओं को जागरूक करना 21-05-2024

2-शपथ ग्रहण कार्यक्रम 28-05-2024

3- नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम 29-05-2024

आज्ञा से

डॉक्टर संजीव कुमार

प्रभारी

धूम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(17)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:— 21.05.2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
1	Meenakshi	B.Sc IV sem	Meenakshi
2.	Lavish Kumar Prajapati	B.Sc IV sem	Lavish
3	Lavish Pradhan	BSC IV sem	Lavish
4	Juber	B.S.C IV sem	Juber
5	Uma	B.Sc IV sem	Uma
6.	Aaftab	BSc IV sem	Aaftab
7	Aajam Ali	B.SC IV sem	Aajam.
8	Aditya	B.Sc IV sem	Aditya
9	Akshit verma	B.S.C IV sem	Akshit
10	Akanksha	B.Sc. IV S.	[illegible]
11	Akanksha Malviya	B.Sc 4th sem	Akanksha
12	Anju	B.Sc 4th sem	Anju
13	Vaishnavi Shandilya	BSc. IVth sem	Vaishnavi
14	Sapna	BSC IV Sem	Sapna
15	Ritika	B.SC IV sem	Ritika
16	Sheeba	B.Sc IV sem	Sheb
17	Shana	B.Sc IVth sem	Shana
18	Neha	B.S.C IV sem	Neha
19	Neha	B.Sc IV sem	Neha
20	Ritu	BSc IV sem	Ritu
21	Shalu	BSc IV sem	Shalu
22	Shivani	BSc IV sem	Shivani

Chaman Lal Mahavidyalaya I.Q.A.C. Coordinator
Chaman Lal Mahavidyalaya Landhaura, Distt. Haridwar (Uttarakhand)

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:-21-05-2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
23	Sahib - Ali	B.Sc II nd Sem.	Sahib
24	Shivam choudhary	B.Sc II nd Sem	Shivam
4695	MOHD ASif	BSC IInd Sem	Asif
4796	Suhel	BSC II Sem	Suhel
4927	Zaigam Abbas	B.Sc IInd Sem	Zaigam
5028	Zeba	B.Sc II Sem	Zeba.
5129	Sachin kumar	B.Sc II Sem	Sachin
30	Kunal sharma	B.S.c II	KS
31	Mannan Ali	B.S.c II	Mannan
32	komal	B.Sc II	komal
33	Saloni	B.Sc II	Saloni
34	Shifali	B.Sc 2nd	Shifali
35	Vishakha	B.Sc IInd Sem	Vishakha
36	Shivani	B.Sc IInd semster	Shivani

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(19)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:- 28-05-2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
1	Aaisha	B.Sc IInd sem	Aaisha
2	Aarti	B.Sc. II sem	Aarti
3	Aasmey	B.Sc II Sem	Aasmey
4	Abhishek Dhiman	B.Sc IInd sem	Abhishek
5	Vidhis Aroana	B.Sc IInd sem	Vidhis Aroana
6	Akanksha	B.Sc IInd sem	Akanksha
7	Akshay Kumar	B.Sc IInd sem	Akshay Kumar
8	Anjeeta	B.Sc IInd sem	Anjeeta
9	Ankit	B.Sc IInd sem	Ankit
10	Arish	B.S.C II sem	Arish
11	Boby Kumar	B.S.C II sem	Boby
12	BUSHRA MALIK	B.SC II sem	Bushra Malik
13	Dipanshi choudhary	B.Sc II sem	Dipanshi choudhary
14	Jkra	B.Sc II sem	[illegible]
15	Ikra	B.S II sem	Ikra
16	Hina	BSC II sem	Hina
17	Joya Rao	B.Sc II sem	Joya
18	Karuna	B.Sc II sem	Karuna
19	Prachi	B.Sc II sem	Prachi
20	Mausam	B.Sc II sem	Mausam
21	Kuishna	B.Sc II sem	Kuishna
22	MOHD. SAMEER	B.Sc IInd	Sameer

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt. Haridwar

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(20)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:-28-05-2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
23	Mohd. Shakir	B.SC IInd Sem	Shakir
24	Suhani	B.Sc IInd Sem	Suhani
25.	Simran	B.SC IInd Sem	Simran
26	Shalini	B.Sc IInd Sem	Shalini
27	Saloni Pal	B.Sc IInd Sem	Saloni Pal
28	Mohit	B.Sc IInd Sem	Mohit
29	Mohit kumar	B.Sc IInd Sem	Mohit kumar
30	Udit Sharma	B.SC II Sem	Udit Sharma
31	Akshay.	B.SC II Sem	Akshay.
32	Nitish	B. Sc II Sem	Nitish
33	Vivek	B.S.C II Sem	Vivek
34	Prashant Saini	B.Sc IInd Sem	Prashant Saini
35	Priya	B.Sc IInd Sem	Priya
36	Renu	B.SC IInd Sem	Renu
37	Sachin	B.SC IInd Sem	Sachin
38.	Sadiya	BSC IInd Sem	Sadiya
39	Safiya	B.Sc IInd Sem	[illegible]
40	Sakshi choudhary	B.S.C IInd Sem	Sakshi
41	Anuj Kumar	B.Sc II Sem	Anuj Kumar
42	Vansh	B.Sc II Sem	Vansh
43	Sameer	B.Sc II Sem	Sameer

Principal
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura Distt.-Haridwar (Uttarakhand)

IQAC Coordinator

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(21)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढ़ौरा

दिनांक:— 29-05-2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
1	Divyansh Gupta	B.Sc IV Sem	[signature]
2	Dimpal	B.Sc IVth Sem	Dimpal
3	Devang	B.Sc IV Sem	Devang
4	Mohd. Firoj	B.S.C IV Sem	Mohd. Firoj
5.	Deepanshi	B.Sc IV sem	Deepanshi
6.	Shreya choudhary	B.Sc IV sem	Shreya
7.	Dampi	B.S.C IV	Dampi
8.	Chhavi sharma	B.Sc IV	Chhavi sharma
9.	Harsh Kumar	B.Sc.IVth	Harsh Kumar
10.	KAJAL	B.Sc IVth	Kajal
11.	Hina	B.Sc IVth	Hina
12.	Himanshu Morya	B.Sc IVth	Himanshu morya
13.	Gurdas Kumar	B.Sc IVth	Gurdas Kumar.
14	Gaurav	B.Sc IVth	Gaurav
15	Farhana	B.Sc IVth	[signature]
16	Ekta	B.Sc IVth	Ekta
17	Nagma	B.Sc IVth	Nagma
18	Muskan	B.Sc IVth sem	[signature]
19	Moseen Ahmed	B.Sc IVth Sem	Moseen [signature]
20	Kapil	B.Sc IVth Seme	Kapil
21	Monik saini	B.Sc(IV sem)	Monik saini
22	Mohd. Asaf	B.Sc IVth Sem	Mohd. Asaf

[signature]

Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

धुम्रपान निषेध एवं एंटी ड्रग कमेटी

(22)

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढौरा

दिनांक:– 29.05.2024

S.NO.	NAME	CLASS	SIGNATURE
23	Sarita	B.Sc IV Sem	Sarita
24	Rashmi	B.Sc IVth Sem	Rashmi
25	saloni	B.Sc 4th sem	saloni
26	shabang	BSC IVth sem	shabang
27	Neha	B.Sc IVth Sem	Neha
28	Sabiya	B.Sc IVth Sem	Sabiya
29	Rahmani	"	Rahmani
30	Umra Parveen	BSC. IVth Sem	Umra
31	SUJAL	BSC IV sem	SUJAL
32	Ravikumar	B.Sc IV sem	Ravikumar
33	Shakir	B.Sc IV-Sem	Shakir
34	[illegible]	B. [illegible]	
35	Tushar	B.Sc IV Sem	Tushar
36.	Shahban	B.Sc IV Sem	Shahban

IQAC Coordinator, Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar)

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar, Uttarakhand

प्रेस विज्ञप्ति

लंढोरा । चमन लाल महाविद्यालय में धूम्रपान निषेध समिति द्वारा विगत माह के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए । जिसमें 21-5-2024 को पोस्टर बैनर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया और छात्र-छात्राओं को नशा न करने के प्रति संकल्पित भी किया गया । इसी क्रम में 28-05-2023 को धूम्रपान रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए और छात्र-छात्राओं के लिए एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । 29-05-2024 को नुक्कड़ नाटक के द्वारा छात्र-छात्राओं के बीच एक नाटकीय प्रदर्शन की सहायता से धूम्रपान को रोकने के विशेष उपायों पर भी उल्लेख किया गया । कार्यक्रम समन्वय डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि धूम्रपान से नई पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है जिससे काफी युवा वर्ग प्रभावित हुआ है । इसके लिए उन्होंने सरकारों को भी मदद का आवाह्न किया है जिससे एक बड़े स्तर पर राज्य में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा सके आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है तभी हम नई पीढ़ी को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं । उन्होंने बताया नशा कहीं प्रकार का है मोबाइल भी एक प्रकार का नशा है जिसमें कम आयु वर्ग का युवा पढ़ाई के प्रति कम और मोबाइल के प्रति अधिक जागरूक है ।

इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने भी बड़ी चिंता जताई है कि आज का विद्यार्थी शिक्षा के प्रति दूर हो रहा है और नशे के प्रति रुझान बढ़ रहा है ।

इसी क्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने छात्र-छात्राओं को नशा न करने के प्रति

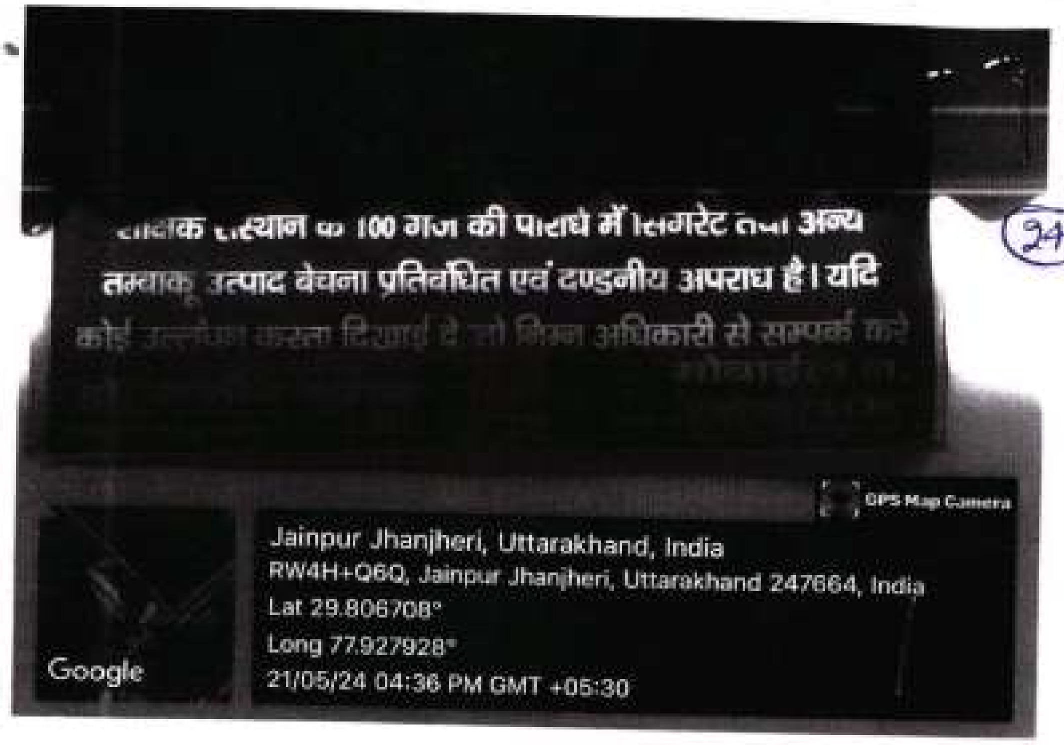
100 गज की परिधि में सिगरेट तथा अन्य
तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। यदि
GPS Map Camera
Google
Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand, India
RW4H+Q6Q, Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand 247664, India
Lat 29.806708°
Long 77.927928°
21/05/24 04:36 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand, India
RW4H+Q6Q, Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand 247664, India
Lat 29.806718°
Long 77.928051°
28/05/24 12:15 PM GMT +05:30

95

GPS Map Camera
Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand, India
RW4H+Q6Q, Jainpur Jhanjheri, Uttarakhand 247664, India
Lat 29.806717°
Long 77.928123°
29/05/24 12:12 PM GMT +05:30
Google

रिपोर्ट
धूम्रपान निषेध माह मई 2024

लंढोरा। चमन लाल महाविद्यालय में धूम्रपान निषेध समिति द्वारा विगत माह के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें 21-5- 2024 को पोस्टर बैनर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया और छात्र-छात्राओं को नशा न करने के प्रति संकल्पित भी किया गया। इसी क्रम में 28- 05-2023 को धूम्रपान रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए और छात्र-छात्राओं के लिए एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

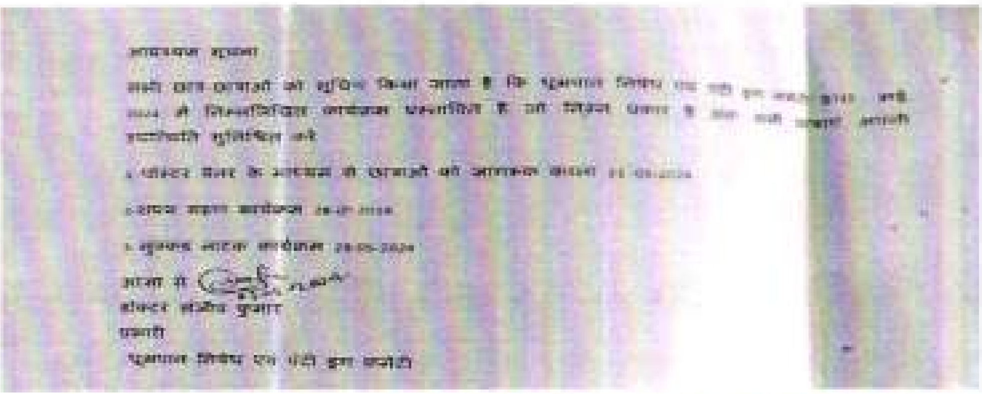
आवश्यक सूचना

आज्ञा से
डॉक्टर संजीव कुमार
प्रभारी

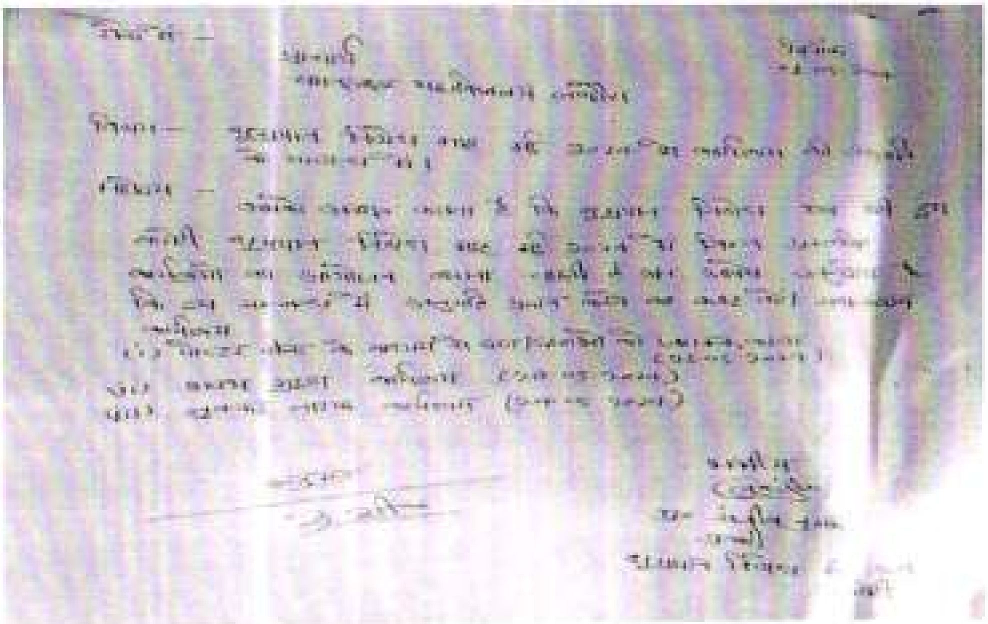

29-05-2024 को नुक्कड़ नाटक के द्वारा छात्र-छात्राओं के बीच एक नाटकीय प्रदर्शन की सहायता से धूम्रपान को रोकने के विशेष उपायों पर भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम समन्वय डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि धूम्रपान से नई पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है जिससे काफी युवा वर्ग प्रभावित हुआ है। इसके लिए उन्होंने सरकारों को भी मदद का आवाहन किया है जिससे एक बड़े स्तर पर राज्य में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा सके आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है तभी हम नई पीढ़ी को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया नशा कहीं प्रकार का है मोबाइल भी एक प्रकार का नशा है जिसमें कम आयु

Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar

इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने भी बड़ी चिंता जताई है कि आज का विद्यार्थी शिक्षा के प्रति दूर हो रहा है और नशे के प्रति रुझान बढ़ रहा है।

इसी क्रम में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने छात्र-छात्राओं को नशा न करने के प्रति जागरूक किया और भविष्य में शपथ दिलाई कि खुद तो जागरुक रहे अपने आसपास के क्षेत्र में भी नशा न होने दे। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे।

धूम्रपान निषेध माह मई 2024 कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना एवं अपने परिवार एवं निकट संबंधियों को नशे की लत से दूर करना है

I.Q.A.C. Coordinator
Chaman Lal Mahavidyalaya

Principal
Chaman Lal Mahavidhyalaya
Landhaura, Distt.-Haridwar (Uttarakhand)

Chamanlal Mahavidyalaya
Landhaura, Haridwar Uttarakhand
Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul Tehri Garhwal, Uttarakhand

A HANDBOOK
OF
CODE OF CONDUCT

Dr. Sushil Upadhyay
Principal, Chairperson IQAC
Dr. Deepa Agarwal
Co-ordinator IQAC

Prepared By
Dr. Deepika Saini
Assistant Professor
Department of Zoology
CLM, Haridwar (UK)

"All power is within you,
you can do anything and everything"
Swami Vivekananda

Index

1.	Introduction	1
2.	Vision and Mission	3
3.	Preface	4
4.	Code of Conduct For Students	6
5.	Code of Conduct For Teaching Staff	8
6.	Code of Conduct For Principal	10
7.	Code of Conduct For Administrative / Support Staff	12
8.	Anti-Ragging Committee	14

1.
Introduction

Chamanlal Mahavidyalaya, Landhaura was established in 2013 by Chaman Lal Educational Trust and got the Government aided status by State Government of Uttarakhand in 2017. CLM is affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, Tehri (Garhwal), Uttarakhand. The core objective of the college is to provide quality education and opportunity for overall growth of all aspiring youth of the rural area. Moreover, the goal is to develop strong conceptual understanding among the students about the subject to enhance their own reasoning ability and put them in a process of self-learning. It also enables the students and faculties to extend their support for providing the special care to villagers of surrounding area. We have UG and PG in Science, Arts, Commerce streams persist at our college. There are 29 faculty members of different streams and more than 1500 students. Shri Ishwar Chand Sharma, founder of Chaman Lal Mahavidyalaya has drawn inspiration from his father late Shri Chaman Lal Sharma, a well-known educationalist and a social worker. In this noble cause Shri Ram Kumar Sharma and Shri Arun Kumar Sharma, the worthy sons of the college founder dedicated themselves and have become

CLM Code of Conduct

light of inspiration and strength to this venture.

College has been recognized under 12-B of UGC. Though situated in a rural area, college earned a reputation for its academic and excellence in district and state as well. Our students are proving themselves through cracking competitive exams and able to get prestigious positions.

We have well qualified and devoted faculty staff members who work tirelessly with a complete team spirit and a sense of belonging. This culminates into a rich learning environment that is open, respectful, caring and safe. Their continuous efforts have brought many laurels to our credit in the era of academics and other co-curricular areas. College makes all efforts to nurture academics talent of students in a disciplined environment.

CLM Code of Conduct

2.

Vision and Mission

VISION

The college goals at all-round progress of the students by ascertaining learning opportunities and value based education along with special focus on empowering girls by imbibing entrepreneurship based skills.

MISSION

- To create a better free universal learning environment for the academic, physical and intellectual development of the students.
- To plan education training in harmony with the National Socio-cultural value, promote academic and teaching erudition activities consequently.
- To empower girls by improving their proficiencies and prospective through carrier oriented programs and events.
- Developing further infrastructural facilities by promoting E-learning through a view to technology development.
- To collaborate with reputed educational institutions for enhancement and enrichment of knowledge and skills.

3.
Preface

Greetings from Chamanlal Mahavidyalaya, Landhaura, Haridwar(UK)

"By education, I mean an all- round drawing of the best in child and man in body, mind and spirit"

- Mahatma Gandhi

Education is the process of facilitating learning, the acquision of knowledge, skills, value, morals and personal development. All the teachers and other staff members are working tirelessly as a team for the welfare of our students and the institution.

The present" Handbook of Code of Conduct" of Chaman Lal Mahavidyalaya is aimed to guide the college incumbents adhering to the basic norms that has been laid down in the 'Handbook' towards ensuring best and healthy academic environment and discipline within the college staff members and students.

It is hereby desired that the various provisions, as laid down under the 'Code' be strictly followed by the faculties, students and staff of the college towards ensuring positive and fruitful academic outcome and overall enhancement of college academics.

CLM Code of Conduct

4.

Code of Conduct For Students

Students are expected to maintain the highest standards of discipline and dignity in behavior inside as well as outside of the campus. They shall abide by the rules and regulations of the college and should behave in a proper manner that is commensurate with the discipline and core values of vision and mission of the college. The students are expected to strictly obey the following sets of rules in order to maintain discipline in the premises.

- Student should be punctual in class with at least 75% attendance in the lectures and labs of the subject.
- Students should follow the dress code of the institution strictly.
- Entry in the campus without ID card is strictly prohibited.
- Students should park their vehicles in the allotted parking space.
- Students must strictly follow the rules and regulations of the institution. Any behavior obstructing teaching, research, administration, other proceedings or

activities in the campus are entitled for punishment.

- ❖ Students are expected to spend their time judiciously in library or at the allotted spaces for their leisure time.
- ❖ Ragging is completely banned in and outside the campus.
- ❖ Students are expected to return and re-issue the books that are issued from the library within the stipulated time.
- ❖ Students are not permitted to record audio/video lectures in classrooms or other activities without prior permission.
- ❖ Students are expected to volunteer help in seminars, conferences and other college related activities.
- ❖ Cheating or copying during exams or using any kind of unfair means during exams will be taken on serious note.
- ❖ Students are expected to keep college clean by using dustbins and share their suggestions with teachers / principal for the betterment of the institution.
- ❖ Save water by turning off the taps and lights when not in use.
- ❖ Enroll themselves in co-curricular and extra-curricular activities like debate, speech, group discussion, quiz, sports, cultural activities, public awareness programmes, NSS, NCC, Rovers and Rangers etc.
- ❖ Carrying or use of any weapon, harmful chemicals, banned drugs, explosives or fireworks is strictly prohibited inside the college campus.
- ❖ Students should not scribble on walls, doors and furniture.

5.

Code of Conduct For Teaching Staff

A Teacher is a person who help students to acquire knowledge, competence or virtue. Teachers are the pillar of strength, true mentors and guiding force of the student's lives. Students are deeply affected by teachers' love, affection, character, competence, as well as moral commitment. Teaching is considered to be the one of the most noble profession in the world.

This code of conduct sets the parameters of professional behavior for teachers in their relationship with students, colleagues and other stakeholders. Pursuance of professional code of conduct also demands that preference should be given to duty over personal responsibilities and unless there is sufficient cause to do otherwise.

- ❖ Teacher should conduct in a responsible manner in the development of government policies affecting education.
- ❖ Stay in campus during duty hours.

GM Code of Conduct

- ❖ Respect and maintain hierarchy in the administration.
- ❖ Seek to make professional growth continuous through study and research.
- ❖ Strictly follow the directions mentioned in the leave proforma while applying for the leave.
- ❖ Not to discriminate on grounds of ability, race, color, and creed.
- ❖ Should obey the duties assigned by the Principal time-to-time.
- ❖ Report on duty at least 10 minutes in advance.
- ❖ A graceful dress code suitable to the dignity of the profession has to be followed.
- ❖ Teachers are not allowed to take private tutions as it negatively impacts the quality of teaching.
- ❖ Teacher should encourage his/her students to express their viewpoint freely.
- ❖ Seek to make professional growth continuous through study and research.
- ❖ Treat non-teaching staff as colleagues and equal partners.
- ❖ Work to improve education in the community and to strengthen the community's moral, spiritual and intellectual life.

CLM Code of Conduct

6.

Code of Conduct For Principal

CLW Code of Conduct

The head of the institution/Principal has many roles to play and to be ready for multilateral responsibilities of an administrator, supervisor, mediator, defender, motivator. Principal as the head of the institution is solely responsible for addressing and resolving all issues concerned with the stakeholders of education. The principal's main focus should be to develop and maintain effective educational programme within his/her college.

Principals are holding high ethical values hence are required to adhere a strict code of conduct and shall be responsible for:

- Chalk out a policy and plan to execute vision and mission.
- Keep the co-ordination in all college works.
- Promote innovative and research work culture among the teachers for healthy research-based educational environment.
- Supervision of overall examinations.

- ❖ Receipt, expenditure and maintenance of the true and correct accounts.
- ❖ Admission of students and to maintain discipline in the institute.
- ❖ Maintenance of self-assessment reports of the teachers and their service books.
- ❖ To maintain alertness among students and teachers regarding ragging and sexual harassment.
- ❖ To uphold, keep, and enforce discipline in the behavioral manifestation of all the stakeholders of the institution and thus maintain campus-tranquility required for academics.
- ❖ Prior sanction of leave from sanctioning authority required.
- ❖ For enriching all academic activities Principal should put best efforts to provide adequate infrastructure and financial support for the college.
- ❖ Head of the institution should also encourage and provide facilities to the faculty members to take up research projects, seminars, symposia, conference, publish papers etc.

CLM Code of Conduct

7.

Code of Conduct For Administrative / Support Staff

Being the employee of an educational institution all the Administrative and Support staff members are expected to display highest possible standards of professional behavior on the basis of job performance, workplace, relationship with students as it is highly required for the smooth functioning of the institution.

Expected code of ethics are:

- They should be punctual and sensitive for the smooth functioning of the institution.
- The support staff should acquaint themselves with the college policies and adhere to their best ability.
- They should co-operate with their colleagues, providing support, help and guidance as required by Head of the Institution, department and other academic staff.
- They have to maintain the adequate level of

CLM Code of Conduct

confidentiality with respect to student and staff records and other sensitive matters.

- Strictly follow the directions mentioned in the leave proforma while applying for the leave.
- Respect the rights and opinion of others.
- Non-Teaching staff is bound to follow the leave rules. Leave application should be submitted in advance mentioning the nature and duration of leave and can be availed only after the approval of sanctioning authority.
- Being fit for work i.e. not adversely influenced by drugs, alcohol etc. during duty hours.
- They should perform their duties sincerely, honestly, diligently as well as with accountability. There should be no falsification/distortion of official documents entrusted to them.
- Must follow the SOP of the institution.

CLM Code of Conduct

8.

Anti-Ragging Committee

All the educational institutions should strictly follow the directions of Honorable Supreme Court of India. It is clearly mentioned in the regulation that RAGGING is totally banned. Ragging is a disorderly conduct by a student or a group whether by words spoken, physical teasing or misbehave in handling freshers.

- Our institution has a coherent and an effective anti-ragging policy.
- The anti-ragging committee constituted under the guidance of Principal and faculties examine all complaints of anti-ragging and come out with recommendation based on the nature of incident.

Punishment for Violating Anti-Ragging Rules

In case of violating the rules of anti-ragging , following punishments may be given:

- Suspension from attending classes and other academic activities for a certain period.

- Withholding /withdrawing scholarship.
- Cancellation of admission.
- Debarring from appearing in any test /examination.
- First Information report (FIR) can be filed depending upon seriousness/intensity of the crime.

Details of Online Anti-Ragging Form

https://antiragging.in
National antiragging Helpline (crisis hotline)
Toll free number: 1800-180-5522
(helpline@antiragging.in)

CLM Code of Conduct

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यशामलां मातरम् ।
वन्दे मातरम्

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं
सुखदां वरदां मातरम्
वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम्

कोटि कोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले
कोटि कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले
अबला केन मा एत बले ।

Final Report

"Three Days Training Programme on HUMAN RIGHTS"

Organised by :
Department of Political Science
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

Sponsored by :
National Human Rights Commission (NHRC), New Delhi

File No. : T-11/22/2023-Tg

Programme Coordinator:
Dr. Nishu Kumar
Assistant Professor
Department of Political Science
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura, Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

Submitted to :
National Human Rights Commission (NHRC)
New Delhi

2024

Scanned with OKEN Scanner

चमनलाल महाविद्यालय, लण्ढौरा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) नई दिल्ली के संपोषित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष पं0 राम कुमार शर्मा एवं कोषाध्यक्ष, प्रबंध समिति श्री अतुल हरित के साथ मुख्य अतिथि श्री दिनेश सेमवाल जी, प्रान्त कार्यवाहक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उत्तराखण्ड प्रान्त के नेतृत्व में ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम के आरंभ में प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. नीशू कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत करते हुए अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया।

समारोह के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उत्तराखण्ड प्रान्त कार्यवाहक श्री दिनेश सेमवाल ने माँ शारदे को नमन करते हुए कहा कि चमनलाल महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उस प्रकाश पुंज की तरह कार्य कर रहा है जो कि क्षेत्र की दशा एवं दिशा को परिवर्तित करने वाला है। स्वर्णिम भारत की प्राचीन तस्वीर का साक्षात्कार करते हुए श्री सेमवाल जी ने बताया कि जिन अधिकारों पर हम आज चर्चा कर रहे है उनका तो वर्णन भारतीय ग्रन्थों में पूर्व में ही वर्णित है। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा एवं पाश्चात्य प्रभाव के कारण वर्तमान भारतीय पीढ़ी ने अपने संस्कारों, सांस्कृतिक मूल्यों एवं पूर्वजों के संस्कारों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बताया कि भारत आज विश्वगुरू बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अगर विश्व में शांति एवं सुरक्षा चाहते हो तो उसका एक मार्ग केवल भारत से ही निकलता है। अपने उद्बोधन में कहा कि हम उस स्वर्णिम भारत के निवासी है जहां महिलाओं को देवी का दर्जा पूर्व में प्राप्त था। आज वहां हम महिला अधिकारों की चर्चा कर रहे है। इसका केवल एक मात्र कारण पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है।

प्रो0 डी.के.पी. चौधरी, – मुख्य वक्ता श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. डी.के.पी. चौधरी, ने अपने कहा कि अधिकारों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम प्रयास 500 बी0सी0 में प्राप्त होता है। साथ ही बताया कि अधिकारों के प्रथम घोषणा पत्र में सर्वाधिक योगदान महिलाओं का है। आगे उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण एवं मानवीय अधिकारों को संपोषित करके है हम व भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर सकते है। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य विचारक के सिद्धान्त, उपभोग का सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुए बताया कि अधिकार किसके लिए है और अधिकारों का उपयोग, कौन, कितना और कैसे कर सकता है, को प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारों के उपभोग में राज्यों की भूमिका का सदैव परिवर्तित होती रहती है। डॉ. चौधरी ने

Scanned with OKEN Scanner

अपने उद्बोधन में कहा कि अधिकारों में तीन चीजें है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त राज्य एवं समाज द्वारा मान्य होने चाहिए। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वह मानवाधिकार है। अधिकारों का अलग-अलग वर्ग है। दुनिया राजनीतिक तौर पर बटी हुई है। पहली दुनिया में जो चीजें दिखती है वह पांचवी दुनिया में नहीं दिखती है। नीतियां सही बनी हुई है लेकिन धरातल पर उतर कर बेकार हो जाती है।

विश्व में प्राचीनकाल से किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा विद्यमान थी. मानवाधिकार किसी भी सभ्य समाज के विकास का मूल आधार होते हैं। मानव अधिकार का जन्म धरती पर मानव के विकास के साथ ही हुआ, जैसे–जैसे सभ्यता का विकास हुआ, उसी क्रम में मानव अधिकारों का उत्तरोत्तर विकास होता गया। शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्याय में मानव अधिकार क्या है, और इसकी अवधारण के विभिन्न पहलू क्या है, मानवाधिकरों का ऐतिहासिक उद्भव एवं विकास घटनाक्रम किस तरह हुआ इत्यादि विषयों के सन्दर्भ में उल्लेख कर मानवाधिकरों को समझाने का प्रयास किया तथा यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानवाधिकारों के स्त्रोत है।

मानवाधिकार का अर्थ

मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ट संबंध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, उन्हे मानव अधिकार कहा जाता है।

मानवाधिकार की परिभाषा

प्रो. होब्स हाउस के अनुसार मानवाधिकार वह है, जिसमें हम दूसरों से कुछ आशाएं करते है तथा दूसरे भी हमसे कुछ आशाएं करते हैं। इस आशा के वातावरण में सभी सार्थक अधिकार समाज कल्याण की शर्तें होती है।

टी.एच. ग्रीन के मतानुसार, "अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिये ही की जाती है और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है।"

Scanned with OKEN Scanner

मानव अधिकारों की विशेषताएँ

सार्वभौमिकता— मैक्फारलेने के अनुसार, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों, प्रत्येक समय पर तथा प्रत्येक स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अन्तर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात ये अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं।

व्यक्तिगत्ता— मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से सम्बन्धित हैं। जिसके अन्तर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है अर्थात वह बौद्धिक प्राणी हैं। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला, बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

सर्वोच्चता— मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है, क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है।

व्यावहारिक— मानव अधिकारों की व्यावहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक तभी माना जा सकता है, जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएँ अवश्य प्रदान करें, जिनमें वह अपना जीवनयापन कर सकें। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रुप प्रदान करने के लिए प्रयास किये जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है।

क्रियान्वयन योग्य— मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किये जाने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता है। परन्तु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेन्सियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है।

मानव अधिकारों का महत्व

मानव सभ्यता को विकसित करने में विधि और उसकी प्रक्रिया ने अहम भूमिका का निर्वाह किया है। विधि ने व्यक्ति अथवा मानव को विकसित करने के लिए अधिकारों का बोध कराया है। मानवाधिकारों की उत्पत्ति ही संघर्ष के परिणामों से हुई है, इसलिए इन अधिकारों की उपादेयता अथवा महत्व मानव के आपसी सहयोग के आधार पर पारस्परिक सौहार्द्ध को प्रोत्साहन देना है तथा संघर्ष की स्थितियों का निदान करना है।

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारों के प्रमुख सिद्धान्त

अधिकारों से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं–

अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त– अधिकारों से सम्बन्धित प्राकृतिक सिद्धान्त सबसे पुराना सिद्धान्त है, जो अधिकारों को प्रकृति की देन मानता है, इस सिद्धान्त से सम्बन्धित सर्वप्रमुख विचारक जॉन लॉक है उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता व सम्पत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। रुसो, स्पेन्सर, टॉमस पेन तथा मिल्टन ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया इन विचारकों के अनुसार मनुष्य के अधिकार राज्य की स्थापना और गठन के पूर्व भी विद्यमान थे।

अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त– अधिकारों का कानूनी सिद्धान्त प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत है, यह सिद्धान्त बताता है कि अधिकार प्राकृतिक नहीं है, अपितु वह राज्य की देन है, वह देश के कानून की देन है, इस प्रकार यह अधिकार कृत्रिम है, राज्य इनमें संशोधन कर सकता है, इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थकों में बेन्थम, आस्टिन, हॉलैण्ड व सामण्ड आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त– अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है, यहाँ पर इतिहास का अर्थ रीति–रिवाजों तथा प्रथाओं से है, प्राचीनकाल में समाज में जो प्रथाएँ लोकप्रिय थी, उन्हें कालान्तर में अधिकारों का दर्जा मिल गया। मैंकाईवर, सर हेनरी मेन, एडमण्ड बर्क और बगैस इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक है। ।

अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धान्त– अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धान्त को व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी कहते हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का आधार नैतिकता है, इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य को उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए, जो कि नैतिक है और सामाजिक हित में वृद्धि करते हैं टी.एच. ग्रीन इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं, इस सिद्धान्त के प्रतिपादक व्यक्तियों की नैतिक शक्तियों के विकास को व्यक्तित्व का विकास मानते हैं।

अधिकारों का समाज कल्याण या उपयोगितावादी सिद्धान्त– अधिकारों के इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकारों का आधार समाज कल्याण की भावना है, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं, जिससे वह समाज का उपयोगी अंग बने और समाज कल्याण करे बेन्थम, जे. एस. मिल व लास्की ने अधिकारों के इस सिद्धान्त का समर्थन किया है।

मानवाधिकार के मूल तत्त्व

- प्रत्येक मानव प्राणी इन अधिकारों के लिये हकदार हैं, क्योंकि यह अधिकार उसे मानव के रूप में जन्म लेने के आधार पर मिले हैं।

Scanned with OKEN Scanner

- प्रत्येक मानव के साथ उसकी गरिमा जुड़ी हुई है। वह चाहे अभियुक्त हो या युद्धबंदी, चाहे बालक हो या दलित हो, हर मानव की गरिमा की रक्षा आवश्यक है।
- मानव व्यक्तित्व का विकास इन मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है जैसे शिक्षा का अधिकार, अच्छी कार्य दशा का अधिकार आदि मिलने पर ही व्यक्ति विकास कर सकता है।

सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा, 1948

युद्ध की इस बीमारी से दुनिया को बचाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था। इनमें से एक मानव अधिकारों को बढ़ावा दे रहा था। 1946 में, संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों पर एक आयोग की स्थापना की जिसने दो साल की वार्ता के बाद मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को तैयार किया। यह सभी मनुष्यों की समानता की पहली अंतरराष्ट्रीय पावती थी। यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में कहा गया है– "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, और गरिमा और अधिकारों में समान हैं"। यूडीएचआर ने आगे कहा है कि ये अधिकार "जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति" के भेदभाव के बिना हैं। 10 दिसंबर , जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को अपनाया, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यूडीएचआर आगे देखने और रास्ते बनाने के लिए उल्लेखनीय था, इसने केवल जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा तथा मुक्त आवाजाही का अधिकार, संपत्ति के स्वामित्व, विवाह जैसे मूल मानव अधिकारों, को ही नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण विधानसभा के अधिकार स्वतंत्रता के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव जैसे राजनीतिक अधिकारों और समान कार्य के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अवकाश, रोजगार, समान वेतन, स्वास्थ्य देखभाल के रूप में आर्थिक अधिकार, शिक्षा सामाजिक और नागरिक अधिकारों के माध्यम से सरकार में भागीदारी को भी सूचीबद्ध किया।

अतएव, एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में मानव अधिकारों के जन्म का श्रेय संयुक्त राष्ट्र को दिया जाना चाहिए। इसके आगे विकास में भी संयुक्त राष्ट्र मुख्य कारक रहा है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के पॉल कैनेडी ने "आदमी की संसद" में तर्क दिया है कि "संयुक्त राष्ट्र" के मानवाधिकार का एजेंडा, पर्यावरण और शांति स्थापना जैसी अन्य समानांतर पटरियों की तुलना में सबसे अधिक उन्नत हुआ है।

विडंबना यह है कि, पश्चिमी दुनिया ने, जहां मानव अधिकारों की आधुनिक अवधारणा विकसित हुई थी, शीत युद्ध के दौरान इसके आगे के विकास में रुचि खो दी है। साम्यवाद का मुकाबला करने के उनके जुनून ने उन्हें ऐसे शासनों का समर्थन करने की दिशा में ले गया, जिन्हें मानव अधिकारों में कम रुचि है। इनमें दक्षिण अफ्रीका का रंगभेदी शासन सबसे प्रबल था।

Scanned with OKEN Scanner

इसलिए विकासशील देशों ने मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय एजेंडा तय करने का काम संभाल लिया। दुर्भाग्य से, इन में से कुछ ही देश लोकतांत्रिक या घर में मानव अधिकारों के रक्षक होने का दावा कर सकते है। ऐसे माहौल में, नस्लवाद, विशेष रूप से, रंगभेद के विरोध, और फिलीस्तीन के अधिकारों को जैसे मुद्दों के अपवाद के साथ, राजनीतिक अधिकार पीछे रह गए। इसकी बजाय, उन्होंने विशेष रूप से प्रचलित सर्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया।

अब मैं इस प्रक्रिया में भारत की भूमिका पर आता हूँ। जब संयुक्त राष्ट्र यूडीएचआर पर बातचीत कर रहा था, तैयार कर रहा था। हमारे संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की, जो उस समय पश्चिम में भी सार्वभौमिक नहीं था। इसने मौलिक अधिकारों का एक व्यापक सेट का भी प्रावधान किया, जो सर्वाधिक उदार भारतीय और पश्चिमी परंपराओं से प्रेरित है, और अपने वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रदान किया है। इनसे लैस होकर भारत लक्ष्य पूर्ण उत्साह सहित वैश्विक मंच पर उतरा। उपनिवेशीकरण और नस्लवाद का विरोध इसके मानव अधिकारों के मुख्य मुद्दे थे। भारत ने विकास के अधिकार और एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग को बढ़ावा देने में विकासशील देशों का नेतृत्व किया। साम्यवादी देशों ने काफी खुशी के साथ इन विचारों का समर्थन किया। वे औपनिवेशिक विकृतियों से अछूते होने और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं होने का दावा करते हैं। इन देशों के जोरदार अभियान ने दक्षिण अफ्रीका और इसराइल के खिलाफ कई उपायों और मानवाधिकार आयोग में निगरानी तंत्र की स्थापना करने का नेतृत्व किया।

मानवाधिकार परिषद्

वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग पर आयोग को समाप्त कर दिया और उसे मानवाधिकार परिषद में बदल दिया। पाया गया कि मानवाधिकार पर आयोग ध्रुवीकृत और उग्र और अंतहीन बहस का खतरा बन गया है। यह आरोप लगाया गया था कि इस पर इसराइल का जुनून सवार था और यह अन्य देशों में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देना नहीं था।

एचआरसी के अलावा, मानव अधिकारों पर प्रामाणिक ढांचे के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी में लगे अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में मानव अधिकारों का उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) कार्यालय शामिल है। ओएचसीएचआर मानवाधिकार के उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के अधीन काम करती है, जिसे 4 साल के एक कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) द्वारा नियुक्त किया जाता है।

एचआरसी की मुख्य गतिविधियां हैंरू प्रस्तावों को अपनाना, विशेष प्रक्रियाओं से संपर्क और सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा का आयोजन करना। इसके प्रस्ताव बाध्यकारी

Scanned with OKEN Scanner

नहीं हैं क्योंकि इसके पास उन्हें लागू करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। हालांकि, यह "नाम धरने और शर्मसार करने" के अपने अभ्यास से बहुत प्रभावी ढंग से देशों को नीचा दिखाने का कार्य करता है। इसके अलावा, सीरिया पर पूछताछ आयोग जैसे मामलों में, यह आरोपों की एक संस्था का निर्माण करता है, जिन्हें हेग में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। एचआरसी, वीटो के कारण गतिरोध उत्पन्न होने पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एक मुकदमा पूर्व कक्ष, और इसके एक विकल्प के रूप में भी कार्य करती है। एचआरसी एक साधारण बहुमत से प्रस्तावों को अपनाती है, हालांकि ज्यादातर प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाते हैं।

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा मानवाधिकार परिषद का सबसे महत्वपूर्ण निगरानी साधन है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत4 साल में एक बार, हर देश में मानव अधिकारों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। यूपीआर साथी राज्यों द्वारा सहकर्मी की एक समीक्षा है, लेकिन इसमें नागरिक समाज और राज्य की राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं भी भाग लेती हैं। राज्य सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें ओएचसीएचआर और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है और इनकी निगरानी की जाती है।

वर्तमान में, यूपीआर अपने दूसरे 4 साल के चक्र से गुजर रहा है। हालांकि यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, पर देश इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। पहले चक्र में सभी देशों ने भाग लिया है और दूसरे चक्र में भी सभी ने अब तक ऐसा ही किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (एनएचआरआईएस) को स्थापित करने में राज्यों को प्रोत्साहित करना और उनकी मदद करना ओएचसीएचआर की प्राथमिकताओं में से एक है। लगभग 150 देशों ने एनएचआरआईएस की स्थापना की है। ओएचसीएचआर, में उनसे बातचीत करने और उनके बीच बातचीत को बढ़ावा देने और ओएचसीएचआर और एचआरसी की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ है।

संधि निकाय

अपनी नौ वैकल्पिक औपचारिकताओं (प्रोटोकॉल) के साथ कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों में से 9 को, ओएचसीएचआर द्वारा मानव अधिकारों के 18 मूल उपकरणों के रूप में उपचारित किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक संधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संधि निकाय है। 9 वैकल्पिक औपचारिकताओं ने कुछ संधियों में सन्निहित मौलिक अधिकार में महत्वपूर्ण योजन किए है।

Scanned with OKEN Scanner

मानव अधिकारों पर वाद–विवाद

2006 में मानव अधिकार संस्थाओं में सुधार के बावजूद, मानवाधिकार निकायों का पर्यावरण विवादात्मक बना हुआ है और इसकी निगरानी और कार्यान्वयन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी का अत्यधिक राजनीतिकरण हो चुका है। ओएचसीएचआर एक स्वतंत्र निकाय होने का दावा करता है और एचआरसी एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करती है, लेकिन ऐसा करने के लिए जवाबदेह नहीं है। इसके 1000 से कुछ अधिक के छोटे से स्टाफ में आधे से अधिक पश्चिमी देशों से है। इसके लगभग 200 मिलियन डॉलर के बजट का केवल 40 प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र से आता है। बाकी पश्चिमी देशों की सरकारों और नागरिक समाज के दानदाताओं से मिलने वाला स्वैच्छिक योगदान है।

यह समझने के लिए किसी को प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी देश स्वैच्छिक योगदान और पेशेवर कर्मचारियों के माध्यम से कैसे ओएचसीएचआर की कार्यप्रणाली और एजेंडे का निर्धारण करते हैं। स्वैच्छिक योगदान संगठनों की प्राथमिकताओं और जनादेश, संयुक्त राष्ट्र की निगरानी प्रणाली के लिए उनकी जवाबदेही और कर्मचारियों की आजादी को विकृत करता है।

मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इस तरह का आक्रामक रुख अपनी अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में, जहां सांस्कृतिक और आर्थिक एकरूपता काफी नहीं है, मानवाधिकार के यूरोपीय आयोग में इसकी आलोचना की है। यूरोप में एशिया और अफ्रीका से प्रवासियों के वर्तमान आगमन की निरंतरता ने यूरोप के लिए मानव अधिकारों की अपनी प्रतिबद्धता और अभ्यास को कम गंभीरता से आंका गया है।

कई विकासशील देशों ने व्यक्ति पर समुदाय की प्रधानता की बात कर अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को चमकाना चाहते हैं। उनके मुताबिक समुदाय के मूल्य और सीमा को एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वरीयता प्राप्त करता है। वे मानव अधिकारों के सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर बल देते हैं और अपने राष्ट्रीय या धार्मिक मूल्यों को पश्चिमी मूल्यों से अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं।

भारत की स्थिति

भारत मानव अधिकार को कायम रखना चाहता है और इस कार्य को राज्य के अधिकार क्षेत्र में मानता है। राष्ट्रीय क्षमता को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसके एक प्रचारक की भूमिका निभानी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान–प्रदान और सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। भारत दखल तंत्र, विशेष रूप से देश–विशिष्ट आयोगों की जांच का विरोध करता है, जिन्हें संबंधित देश का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसके दृष्टिकोण को मोटे तौर पर, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने के पक्ष में

Scanned with OKEN Scanner

झुका हुआ कहा जा सकता है, हालांकि विशिष्ट अनुचित उल्लंघन में इसने अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का समर्थन किया है। भारत किसी अलग शिकायत या जांच प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया है।

Human Rights Institutions in India

Dr. Kalpana Bhatt
Assistant Professor,Political Science, Dhanauri P.G. College Dhanauri Haridwar

Introduction:

The rights of each person's whole development are known as human rights. Every person, citizen or not, is entitled to the protection of their rights at all times. Human rights are crucial for each person's overall growth at the same time. The Indian Constitution has several sections that represent fundamental rights, commonly referred to as basic rights. The issue is that fundamental rights are both explicitly stated and implicitly stated. The Protection of Human Rights Act, of 1993, which was passed in India to shield people from egregious human rights breaches and prohibit and punish them, is, nonetheless, the most significant development.The world's largest democracy is in India. Being a democratic nation, we are obligated to defend individual citizens' fundamental rights. The Indian government has also given the acknowledgement and defence of human rights careful thought. The Indian Constitution acknowledges these rights and expresses compassion for every person. Furthermore, there are also other forms of human rights violations, such as forced prostitution, forced labour, unethical trafficking, low pay, and gender discrimination.

CONCEPT OF RIGHTS:

Rights are social claims that are essential to the formation of the human personality.

Scanned with OKEN Scanner

These are not things that a person is born with. Certain individuals had the right to benefits during the ancient and mediaeval eras. However, no one could provide a name to these privileges. Since they are not entitlements, rights are not privileges.

According to Bernard Bosanquet

"A right is a claim recognized by society and enforced by the state".

According to Laski

"Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best."

TYPES OF RIGHTS:

Majorly Rights are divided into three parts.

- **Natural rights**
- **Moral rights**
- **Legal rights**

TYPES OF LEGAL RIGHTS

- POLITICAL RIGHTS
- CIVIL RIGHTS
- ECONOMIC RIGHTS

WHAT ARE HUMAN RIGHTS?

Human rights are **rights** that we have simply because **we exist as human** beings.Theseare **universal** rights inherent to all of us, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language or any other status.They range from the most fundamental, the **right to life** to those that make **life worth living**, such as the rights **to food, education, work, health, and liberty.**

HUMAN RIGHTS IN INDIA

In India, Human Rights are given as the constitutional provision and statutory provisions .

International Human Rights and Fundamental Rights (Part III of COI)

On January 1, 1942, India ratified the Universal Declaration of Human Rights, Section III of the Indian Constitution, commonly known as the Magna Carta, outlines the fundamental rights.

Scanned with OKEN Scanner

In the event of a breach, these are the rights that can be immediately enforced against the government. The state is not allowed to enact any laws that violate the Fundamental Rights, according to Article 13(2). It always states that any portion of a law that violates fundamental rights will be deemed invalid.Part III of the Indian Constitution contains several of the civil and political rights outlined in the International Covenant on Political and Civil Rights, 1966 (ICCPR).TheICCPR has been ratified and signed by India. J. Krishna Iyer noted in the case of Jolly George Varghese &Anr. v. Bank of Cochin that just because a clause exists in the ICCPR but not in the Indian Constitution, it does not imply that the covenant is an enforceable component of India's "Corpus Juris."

Declaration of Principles for State Policy and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) (Part IV of COI) A multinational convention called the ICESCR primarily addresses social and cultural rights such as those related to food, health, education, and housing. This agreement was approved by India on April 10, 1979. The Indian Constitution's Part IV (DPSPs) contains the majority of the covenant's clauses.

***No Compensation for Fundamental Rights*:** When the Constitution was enacted, some rights that were granted under the covenant were not recognised as fundamental rights. The range of fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution has expanded as a result of court interpretations. The highest court in India noted in the case of A.D.M. Jabalpur v. Shivkant Shukla that the Indian Constitution is the exclusive source of recognition for any natural or common law rights.

<u>THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT, 1993 ACT NO. 10 OF 1994</u>

<u>[8th January, 1994.]</u>

This Act aims to establish a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in each State, and Human Rights Courts to enhance the safeguarding of human rights and address related issues. In the forty-fourth year of the Republic of India, Parliament enacted the following:—

The Protection of Human Rights Act, 1993 defines Human Rights as:

"Human Rights as the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India."

Scanned with OKEN Scanner

Sec.2(1)(D)

What is the Protection of Human Right Act, 1993?

The Protection of Human Rights Act, 1993 came into force with retrospective effect from September 28, 1993.It applies to the whole of India and in the case of J&K, it applies to **matters pertaining to Union List and the Concurrent List only.**

- The Protection of Human Rights Act, 1993 was enacted to provide for the constitution of:
  - National Human Rights Commission (NHRC),
  - State Human Rights Commission (SHRC)
  - Human Rights Courts for the protection of human rights.

What led to the Formation of NHRC?

The United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) on December 10, 1948, in Paris.It is a landmark statement that lays forth fundamental human rights to be uniformly guaranteed for the first time in the history of human rights. Since December 10th is the anniversary of the UDHR, Human Rights Day is marked on that day each year. Human Rights Day in 2023 commemorated the declaration's 75th anniversary.As the need for bolstering national human rights institutions became more apparent over time, the United Nations met in Paris in 1991 and produced the Paris Principles, a comprehensive set of guidelines. These ideas served as the cornerstone for the creation and administrationof national human rights organisations.

What is the Role and Key Functions of NHRC?

Its procedures are of a judicial nature, and it possesses all the authority of a civil court. Suo motu or in response to a petition, the NHRC looks into complaints about human rights violations.It has the authority to meddle in any legal process if there is a claim of human rights violations. The Commission has the authority to investigate a subject within a year of its occurrence; that is, it is not permitted to investigate any matter beyond a year from the day on which the alleged human rights violation is said to have occurred. The commission's duties are primarily advisory in nature.

The State Human Rights Commission: What is it?

The Governor appoints the State Commission's chairman and members after consulting with the State Home Minister, Speaker of the Assembly, Chief Minister,

Scanned with OKEN Scanner

and Leader of the Opposition in the State Legislative Assembly.For a period of three years or until they turn seventy-years old, whichever comes first, the chairperson and members are in office. A State Human Rights Commission's chairperson and members are selected by the governor, but the president is the only one who has the authority to remove them.

Human Rights Courts:

To ensure that crimes resulting from violations of human rights are tried promptly, the State Government may designate, by notification, a Court of Session in each district to serve as a Human Rights Court to try the following crimes: As long as a special court is already established for such offences under any other currently enacted law, or if a Court of Session is designated as such, nothing in this section will apply. 31. Special Public Prosecutor.—The State Government shall designate a Public Prosecutor or designate an advocate who has experience as an advocate for human rights cases for each Human Rights Court by notification.

Conclusions:

The people of India are now fully aware of their constitutional rights thanks to the NHRC's constitution, which was established by the PHR Act of 1993. They report whenever Human rights violations occur. Similarly, the State Human Rights Commissions are focusing on the NHRC's lines. However, it still requires that the Special Courts/Human Rights Courts, as those terms are defined in Section 30 of the NHRC Act, be established to expedite the trial of crimes resulting from the violation of human rights. In addition, the NHRC might be given more authority to handle cases more quickly.

डॉ. तीर्थ प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर ने महिलाओं के सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर बोलते हुए कहा कि कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को इस प्रकार परिभाषित करता है "... लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्कार या प्रतिबंध जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं द्वारा उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद, उनकी मान्यता, आनंद या व्यायाम को ख़राब करना या रद्द करना है।" राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की समानता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का आधार।" राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर के प्राचार्य डॉ. तीर्थ प्रकाश ने अपने उद्बोधन में मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव के अधिकारों की प्रथम बार घोषणा मैग्नाकार्टा की घोषणा से माना जाता है। अपने व्याख्यान में डॉ. प्रकाश ने स्पष्ट किया गया कि महिलाओं के पिछड़े होने का कारण परम्परा एवं आधुनिकता के बीच विरोध उत्पन्न होना है। अपने प्रारम्भिक व्याख्यान में डॉ. तीर्थ प्रकाश ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के सन्दर्भ में

नगर देखा जाये, तो उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है। सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव होता है उनके निर्णय आज भी पुरुष द्वारा लिये जाते है जिससे महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी है। पुरुषों की मानसिकता यह है कि हमारे अधिकार खत्म हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे संविधान मे महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गये हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज भी अपनी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता के मध्य झूल रही है। अपने व्याख्यान के अंत में डॉ. प्रकाश ने बताया कि हम महिलाओं की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पर ध्यान देकर उनको सशक्त एवं समृद्ध बना सकते है।

कन्वेंशन को स्वीकार करके, राज्य सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- अपनी कानूनी प्रणाली में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को शामिल करना, सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को समाप्त करना और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले उचित कानूनों को अपनाना;
- भेदभाव के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण और अन्य सार्वजनिक संस्थान स्थापित करना; और
- व्यक्तियों, संगठनों या उद्यमों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी कृत्यों का उन्मूलन सुनिश्चित करना।

जिन देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है या उसमें शामिल हुए है, वे इसके प्रावधानों को व्यवहार में लाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। वे अपनी संधि दायित्वों के अनुपालन के लिए उठाए गए उपायों पर, कम से कम हर चार साल में राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

18 दिसंबर 1979 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को अपनाया गया था बीसवें देश द्वारा इसकी पुष्टि के बाद 3 सितंबर 1981 को यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुई। 1989 में कन्वेंशन की दसवीं वर्षगांठ तक, लगभग सौ राष्ट्र इसके प्रावधानों से बंधे होने के लिए सहमत हो गए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के बीच, कन्वेंशन मानवता की आधी महिला को मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कन्वेंशन की भावना संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों में निहित है: मौलिक मानवाधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा, मूल्य और मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना। वर्तमान दस्तावेज समानता का अर्थ बताता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने में, कन्वेंशन न केवल महिलाओं के अधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय बिल स्थापित करता है, बल्कि उन अधिकारों के आनंद की गारंटी के लिए देशों द्वारा कार्रवाई का एक एजेंडा भी स्थापित करता है।

महिलाओं की कानूनी स्थिति पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाने के बाद से राजनीतिक भागीदारी के बुनियादी अधिकारों पर चिंता कम नहीं हुई है। इसलिए, इसके प्रावधानों को वर्तमान दस्तावेज़ के अनुच्छेद 7 में बहाल किया गया है, जिसके तहत महिलाओं को वोट देने के अधिकार की गारंटी दी गई है, सार्वजनिक पद धारण करना और सार्वजनिक कार्य करना। इसमें महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का समान अधिकार शामिल है (अनुच्छेद 8)। विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर कन्वेंशन - 1957 में अपनाया गया - महिलाओं को राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 9 के तहत एकीकृत किया गया है, भले ही उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। कन्वेंशन, इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करता है कि अक्सर महिलाओं की कानूनी स्थिति को विवाह से जोड़ा जाता है, जिससे वे अपने आप में व्यक्तियों के बजाय अपने पति की राष्ट्रीयता पर निर्भर हो जाती हैं। क्रमशः अनुच्छेद 10, 11 और 13, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं के गैर-भेदभाव के अधिकारों की पुष्टि करते हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति के संबंध में इन मांगों पर विशेष जोर दिया जाता है, जिनके विशेष संघर्ष और महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान, जैसा कि अनुच्छेद 14 में बताया गया है, नीति नियोजन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 15 नागरिक और व्यावसायिक मामलों में महिलाओं की पूर्ण समानता पर जोर देता है, यह मांग करता है कि महिलाओं की कानूनी क्षमता को प्रतिबंधित करने वाले सभी उपकरणों को "अमान्य और शून्य माना जाएगा।" अंत में, अनुच्छेद 16 में, कन्वेंशन विवाह और परिवार के मुद्दे पर लौटता है संबंध, जीवनसाथी की पसंद, माता-पिता बनने, व्यक्तिगत अधिकार और संपत्ति पर नियंत्रण के संबंध में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों और दायित्वों पर जोर देते हैं।

नागरिक अधिकारों के मुद्दों के अलावा, कन्वेंशन महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण चिंता, अर्थात् उनके प्रजनन अधिकारों पर भी प्रमुख ध्यान देता है। प्रस्तावना यह कहकर माहौल तैयार करती है कि "प्रजनन में महिलाओं की भूमिका भेदभाव का आधार नहीं होनी चाहिए"। भेदभाव और महिलाओं की प्रजनन भूमिका के बीच संबंध कन्वेंशन में बार-बार चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, यह अनुच्छेद 5 में "एक सामाजिक कार्य के रूप में मातृत्व की उचित समझ" की वकालत करता है, जिसमें दोनों लिंगों द्वारा बच्चों के पालन-पोषण के लिए पूरी तरह से साझा जिम्मेदारी की मांग की गई है। तदनुसार, मातृत्व सुरक्षा और बच्चे की देखभाल के प्रावधानों को

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक अधिकारों के रूप में घोषित किया गया है। और कन्वेंशन के सभी क्षेत्रों में शामिल किया गया है, चाहे वह रोजगार, पारिवारिक कानून, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा से संबंधित हो। कम से कम हर चार साल में, राज्यों की पार्टियों से समिति को एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जिसमें कन्वेंशन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अपनाए गए उपायों का संकेत दिया जाता है। अपने वार्षिक सत्र के दौरान, समिति के सदस्य सरकारी प्रतिनिधियों के साथ इन रिपोर्टों पर चर्चा करते हैं और उनके साथ विशिष्ट देश द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए क्षेत्रों का पता लगाते हैं। समिति महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित मामलों पर राज्यों की पार्टियों को सामान्य सिफारिशें भी करती है।

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन

यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मौलिक मानवाधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करता है,यह देखते हुए कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा भेदभाव की अस्वीकार्यता के सिद्धांत की पुष्टि करती है और घोषणा करती है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में समान हैं और हर कोई बिना किसी भेदभाव के उसमें निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। प्रकार, जिसमें लिंग के आधार पर भेद भी शामिल है, संयुक्त राष्ट्र और पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की समानता को बढ़ावा देने वाली विशेष एजेंसियों के तत्वावधान में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र और पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की समानता को बढ़ावा देने वाली विशेष एजेंसियों द्वारा अपनाए गए संकल्पों, घोषणाओं और सिफारिशों को भी ध्यान में रखते हुए, हालांकि, चिंता इस बात की है कि इन विभिन्न उपकरणों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ व्यापक भेदभाव जारी है,

यह याद करते हुए कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव अधिकारों की समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, अपने देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं की भागीदारी में बाधा है, विकास में बाधा डालता है समाज और परिवार की समृद्धि और अपने देश और मानवता की सेवा में महिलाओं की क्षमताओं के पूर्ण विकास को और अधिक कठिन बना देती है, चिंता इस बात की है कि गरीबी की स्थिति में महिलाओं की भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर तथा अन्य जरूरतों तक सबसे कम पहुंच होती है, विश्वास है कि समानता और न्याय पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, इस बात पर जोर देते हुए कि रंगभेद, सभी प्रकार के नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद, आक्रामकता, विदेशी कब्जे और वर्चस्व और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का उन्मूलन पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है।

यह पुष्टि करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी, सभी राज्यों के बीच उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों की परवाह किए बिना आपसी

Scanned with OKEN Scanner

सहयोग, सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से सख्त और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण, की पुष्टि देशों के बीच संबंधों में न्याय, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत और विदेशी और औपनिवेशिक प्रभुत्व और विदेशी कब्जे के तहत लोगों के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के अधिकार की प्राप्ति, साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, सामाजिक को बढ़ावा देगा। प्रगति और विकास और इसके परिणामस्वरूप पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता की प्राप्ति में योगदान होगा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर घोषणा में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने और इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में इस तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प है

भाग 1

अनुच्छेद 1

वर्तमान कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए, "महिलाओं के खिलाफ भेदभाव" शब्द का अर्थ लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्करण या प्रतिबंध होगा जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं द्वारा मान्यता, आनंद या व्यायाम को खराब करना या रद्द करना है, भले ही वह कुछ भी हो। उनकी वैवाहिक स्थिति, पुरुषों और महिलाओं की समानता, मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रता के आधार पर।

अनुच्छेद 2

राज्यों की पार्टियाँ महिलाओं के खिलाफ सभी रूपों में भेदभाव की निंदा करती हैं, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने की नीति को बिना किसी देरी के सभी उचित तरीकों से आगे बढ़ाने पर सहमत हैं और इस उद्देश्य के लिए, कार्य करती हैं:

अनुच्छेद 3

राज्यों की पार्टियाँ महिलाओं के पूर्ण विकास और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें व्यायाम और आनंद की गारंटी देने के उद्देश्य से, सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, कानून सहित सभी उचित उपाय करेंगी। पुरुषों के साथ समानता के आधार पर मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 4

पुरुषों और महिलाओं के बीच वास्तविक समानता में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों की पार्टियों द्वारा अस्थायी विशेष उपायों को अपनाना वर्तमान कन्वेंशन में परिभाषित भेदभाव नहीं माना जाएगा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप किसी भी तरह से असमान या अलग मानकों का रखरखाव नहीं होगा; जब अवसर और उपचार की समानता के उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे तो ये उपाय बंद कर दिए जाएंगे।

अनुच्छेद 5

राज्यों की पार्टियाँ सभी उचित उपाय करेंगी: (ए) पुरुषों और महिलाओं के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करने के लिए, पूर्वाग्रहों और प्रथागत और अन्य सभी

प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो हीनता के विचार पर आधारित हैं या लिंगों में से किसी एक की श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर;

अनुच्छेद 6

राज्यों की पार्टियां महिलाओं के सभी प्रकार के अवैध व्यापार और महिलाओं के वेश्यावृत्ति के शोषण को दबाने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करेंगी।

भाग द्वितीय

अनुच्छेद 7

राज्य पार्टियाँ देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी और विशेष रूप से, महिलाओं को पुरुषों के बराबर शर्तों पर अधिकार सुनिश्चित करेंगी:

(a) सभी चुनावों और सार्वजनिक मतदान में जनमत संग्रह और सभी सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निकायों के चुनाव के लिए पात्र होना;

अनुच्छेद 8

राज्यों की पार्टियां महिलाओं को पुरुषों के समान शर्तों पर और बिना किसी भेदभाव के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काम में भाग लेने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी।

अनुच्छेद 9

राज्य पार्टियाँ महिलाओं को उनकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने या बनाए रखने के लिए पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करेंगी। वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो किसी विदेशी से विवाह और न ही विवाह के दौरान पति द्वारा राष्ट्रीयता बदलने से पत्नी की राष्ट्रीयता स्वतः ही बदल जाएगी, उसे राज्यविहीन कर दिया जाएगा या उस पर पति की राष्ट्रीयता थोप दी जाएगी।

भाग III

अनुच्छेद 10

राज्यों की पार्टियां महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान अधिकार सुनिश्चित किया जा सके और विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके:

अनुच्छेद 11

1. राज्यों की पार्टियाँ रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें, विशेष रूप से:

(a) एक के रूप में काम करने का अधिकार सभी मनुष्यों का अहस्तांतरणीय अधिकार;

Scanned with OKEN Scanner

प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो हीनता के विचार पर आधारित हैं या लिंगों में से किसी एक की श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर;

अनुच्छेद 6

राज्यों की पार्टियाँ महिलाओं के सभी प्रकार के अवैध व्यापार और महिलाओं के वेश्यावृत्ति के शोषण को दबाने के लिए कानून सहित सभी उचित उपाय करेंगी।

भाग द्वितीय

अनुच्छेद 7

राज्य पार्टियाँ देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी और विशेष रूप से, महिलाओं को पुरुषों के बराबर शर्तों पर अधिकार सुनिश्चित करेंगी:

(a) सभी चुनावों और सार्वजनिक मतदान में मतदान करने और सभी सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निकायों के चुनाव के लिए पात्र होना;

अनुच्छेद 8

राज्यों की पार्टियाँ महिलाओं को पुरुषों के समान शर्तों पर और बिना किसी भेदभाव के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काम में भाग लेने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी।

अनुच्छेद 9

राज्य पार्टियाँ महिलाओं को उनकी राष्ट्रीयता प्राप्त करने, बदलने या बनाए रखने के लिए पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करेंगी। वे विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो किसी विदेशी से विवाह और न ही विवाह के दौरान पति द्वारा राष्ट्रीयता बदलने से पत्नी की राष्ट्रीयता स्वतः ही बदल जाएगी, उसे राज्यविहीन कर दिया जाएगा या उस पर पति की राष्ट्रीयता थोप दी जाएगी।

भाग III

अनुच्छेद 10

राज्यों की पार्टियां महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ समान अधिकार सुनिश्चित किया जा सके और विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके:

अनुच्छेद 11

1. राज्यों की पार्टियां रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें, विशेष रूप से:

(a) एक के रूप में काम करने का अधिकार सभी मनुष्यों का अहस्तांतरणीय अधिकार;

...

(b) समान रोजगार अवसरों का अधिकार, जिसमें रोजगार के मामलों में चयन के लिए समान मानदंड लागू करना शामिल है;

अनुच्छेद 12

1. राज्यों की पार्टियां स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिसमें परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएं भी शामिल हों।

2. इस लेख के पैराग्राफ I के प्रावधानों के बावजूद, राज्य पक्ष महिलाओं को गर्भावस्था, कारावास और प्रसवोत्तर अवधि के संबंध में उचित सेवाएं सुनिश्चित करेंगे, जहां आवश्यक हो, मुफ्त सेवाएं प्रदान करेंगे, साथ ही गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पर्याप्त पोषण भी देंगे।

अनुच्छेद 13

राज्यों की पार्टियां आर्थिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगी ताकि पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर समान अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें, विशेष रूप से: (a) पारिवारिक लाभ का अधिकार :

अनुच्छेद 14

1. राज्यों की पार्टियां ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशेष समस्याओं और ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने परिवारों के आर्थिक अस्तित्व में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं को ध्यान में रखेंगी, जिसमें अर्थव्यवस्था के गैर-मुद्रीकृत क्षेत्रों में उनका काम भी शामिल है, और सभी उचित उपाय करेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वर्तमान कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करना।

भाग IV

अनुच्छेद 15

1. राज्यों की पार्टियां महिलाओं को कानून के समक्ष पुरुषों के बराबर समानता प्रदान करेंगी।

2. राज्य पक्ष महिलाओं को नागरिक मामलों में पुरुषों के समान कानूनी क्षमता और उस क्षमता का प्रयोग करने के समान अवसर प्रदान करेंगे। विशेष रूप से, वे महिलाओं को अनुबंध समाप्त करने और संपत्ति का प्रबंधन करने के समान अधिकार देंगे और अदालतों और न्यायाधिकरणों में प्रक्रिया के सभी चरणों में उनके साथ समान व्यवहार करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद 16

1. राज्य पक्ष विवाह और पारिवारिक संबंधों से संबंधित सभी मामलों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे और विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे:

(a) विवाह में प्रवेश करने का समान अधिकार;

(b) अपने बच्चों की संख्या और अंतर पर स्वतंत्र रूप से और जिम्मेदारी से निर्णय लेने का समान अधिकार और उन्हें इन अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए जानकारी, शिक्षा और साधनों तक पहुंच प्राप्त करना;

भाग V

अनुच्छेद 17

1. वर्तमान कन्वेंशन के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार करने के उद्देश्य से, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर एक समिति की स्थापना की जाएगी (जिसे इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जो इसके लागू होने के समय शामिल होगी। कन्वेंशन, अठारह का और, पैंतीसवीं राज्य पार्टी द्वारा कन्वेंशन के अनुसमर्थन या परिग्रहण के बाद, कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में उच्च नैतिक स्थिति और क्षमता के तेईस विशेषज्ञों का। विशेषज्ञों को राज्यों की पार्टियों द्वारा उनके नागरिकों में से चुना जाएगा और वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करेंगे, समान भौगोलिक वितरण और सभ्यता के विभिन्न रूपों के साथ-साथ प्रमुख कानूनी प्रणालियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए।

अनुच्छेद 18

1. राज्यों की पार्टियाँ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, समिति द्वारा विचार के लिए, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या अन्य उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देती हैं, जिन्हें उन्होंने वर्तमान कन्वेंशन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अपनाया है और इस संबंध में हुई प्रगति पर;

अनुच्छेद 19

1. समिति प्रक्रिया के अपने नियम अपनाएगी।

2. समिति दो वर्ष की अवधि के लिए अपने अधिकारियों का चुनाव करेगी।

अनुच्छेद 20

1. वर्तमान कन्वेंशन के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के लिए समिति आम तौर पर सालाना दो सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए बैठक नहीं करेगी।

2. समिति की बैठकें आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय या समिति द्वारा निर्धारित किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर आयोजित की जाएंगी। (संशोधन , अनुसमर्थन की स्थिति)

Scanned with OKEN Scanner

अनुच्छेद 21

1. समिति, आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से, अपनी गतिविधियों पर सं[illegible] राष्ट्र की महासभा को वार्षिक रिपोर्ट देगी और राज्यों की पार्टियों से प्राप्त रिपोर्टों और सूच[illegible] की जांच के आधार पर सुझाव और सामान्य सिफारिशें कर सकती है। ऐसे सुझावों और सा[illegible] सिफारिशों को राज्यों की पार्टियों की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ समिति की रिपो[illegible] शामिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 22

विशिष्ट एजेंसियां वर्तमान कन्वेंशन के ऐसे प्रावधानों के कार्यान्वयन के विचार [illegible] प्रतिनिधित्व पाने की हकदार होंगी जो उनकी गतिविधियों के दायरे में आते हैं। समिति वि[illegible] एजेंसियों को उनकी गतिविधियों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर रि[illegible] प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

भाग VI

अनुच्छेद 23

वर्तमान कन्वेंशन में कुछ भी उन प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा जो पुरुषों [illegible] महिलाओं के बीच समानता की उपलब्धि के लिए अधिक अनुकूल हैं, जिनमें शामिल हो सकते [illegible]

(a) एक राज्य पार्टी के कानून में; या

(b) उस राज्य के लिए लागू किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संधि या समझौते में।

अनुच्छेद 24

राज्य पार्टियाँ वर्तमान कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करने [illegible] उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सभी आवश्यक उपाय अपनाने का वचन देती हैं।

अनुच्छेद 25

1. वर्तमान कन्वेंशन सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।

2. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को वर्तमान कन्वेंशन के निक्षेपागार के रूप में नामित कि[illegible] गया है।

अनुच्छेद 26

1. वर्तमान कन्वेंशन के संशोधन के लिए अनुरोध किसी भी राज्य पार्टी द्वारा संयुक्त राष्ट्र [illegible] महासचिव को संबोधित लिखित अधिसूचना के माध्यम से किसी भी समय किया जा सकता है।

2. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ऐसे अनुरोध के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों, यदि कोई हों, पर निर्णय लेगी।

अनुच्छेद 27

1. वर्तमान कन्वेंशन अनुसमर्थन या परिग्रहण के बीसवें दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र [illegible] महासचिव के पास जमा करने की तारीख के तीसवें दिन से लागू होगा।

2. वर्तमान कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले या अनुसमर्थन या परिग्रहण के बीसवें साधन को जमा करने के बाद इसे स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए, कन्वेंशन अनुसमर्थन या परिग्रहण के अपने स्वयं के साधन को जमा करने की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा।

अनुच्छेद 28

1. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अनुसमर्थन या परिग्रहण के समय राज्यों द्वारा किए गए आरक्षण का पाठ सभी राज्यों को प्राप्त करेंगे और प्रसारित करेंगे।

3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित इस आशय की अधिसूचना द्वारा किसी भी समय आरक्षण वापस लिया जा सकता है, जो इसके बाद सभी राज्यों को सूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 29

1. वर्तमान कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद जो बातचीत से नहीं सुलझता है, उनमें से एक के अनुरोध पर, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मध्यस्थता के लिए अनुरोध की तारीख से छह महीने के भीतर पार्टियां मध्यस्थता के संगठन पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो उनमें से कोई भी पक्ष न्यायालय के कानून के अनुरूप अनुरोध करके विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज सकता है।.

अनुच्छेद 30

वर्तमान कन्वेंशन, जिनके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किए जाएंगे इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत, ने वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन क्या है?

1989 में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। बदलती विश्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि में विश्व नेता एक साथ आए और दुनिया के बच्चों के प्रति एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाकर प्रत्येक बच्चे से उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का वादा किया।

इस संधि में एक गहन विचार निहित है-कि बच्चे केवल वे वस्तुएं नहीं हैं जो उनके माता : पिता के हैं और जिनके लिए निर्णय लिए जाते हैं. या प्रशिक्षण में वयस्क नहीं हैं। बल्कि, वे इंसान और व्यक्ति हैं जिनके अपने अधिकार हैं। कन्वेंशन कहता है कि बचपन वयस्कता से अलग है, और 18 साल तक रहता है; यह एक विशेष, संरक्षित समय है, जिसमें बच्चों को सम्मान के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और फलने-फूलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह कन्वेंशन इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधि बन गई और इसने बच्चों के जीवन को बदलने में मदद की है।

2. वर्तमान कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले या अनुसमर्थन या परिग्रहण के बीसवें साधन को जमा करने के बाद इसे स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए, कन्वेंशन अनुसमर्थन या परिग्रहण के अपने स्वयं के साधन को जमा करने की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा।

अनुच्छेद 28

1. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अनुसमर्थन या परिग्रहण के समय राज्यों द्वारा किए गए आरक्षण का पाठ सभी राज्यों को प्राप्त करेंगे और प्रसारित करेंगे।

3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित इस आशय की अधिसूचना द्वारा किसी भी समय आरक्षण वापस लिया जा सकता है, जो इसके बाद सभी राज्यों को सूचित करेगा। ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अनुच्छेद 29

1. वर्तमान कन्वेंशन की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद जो बातचीत से नहीं सुलझता है, उनमें से एक के अनुरोध पर, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मध्यस्थता के लिए अनुरोध की तारीख से छह महीने के भीतर पार्टियां मध्यस्थता के संगठन पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो उनमें से कोई भी पक्ष न्यायालय के क़ानून के अनुरूप अनुरोध करके विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेज सकता है। .

अनुच्छेद 30

वर्तमान कन्वेंशन, जिसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किए जाएंगे इसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी, विधिवत अधिकृत, ने वर्तमान कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन क्या है?

1989 में कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। बदलती विश्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि में विश्व नेता एक साथ आए और दुनिया के बच्चों के प्रति एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाकर प्रत्येक बच्चे से उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का वादा किया।

इस संधि में एक गहन विचार निहित है-कि बच्चे केवल वे वस्तुएं नहीं हैं जो उनके माता-पिता के हैं और जिनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, या प्रशिक्षण में वयस्क नहीं हैं। बल्कि, वे इंसान और व्यक्ति हैं जिनके अपने अधिकार हैं। कन्वेंशन कहता है कि बचपन वयस्कता से अलग है, और 18 साल तक रहता है; यह एक विशेष, संरक्षित समय है, जिसमें बच्चों को सम्मान के साथ बढ़ने, सीखने, खेलने, विकसित होने और फलने-फूलने की अनुमति दी जानी चाहिए- यह कन्वेंशन इतिहास में सबसे व्यापक रूप से अनुमोदित मानवाधिकार संधि बन गई और इसने बच्चों के जीवन को बदलने में मदद की है।

डॉ. मनोज त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ ने संवैधानिक प्रावधान पर बोलते हुए कहा कि वैधानिक प्रावधान भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17 अध्याय 1–संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित - करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी - में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा- उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में "शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के स-ंबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले"पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध - में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों ।

Scanned with OKEN Scanner

यह महसूस करते हुए कि व्यक्ति, अन्य व्यक्तियों और जिस समुदाय से वह संबंधित है, उसके प्रति कर्तव्य रखते हुए, वर्तमान अनुबंध में मान्यता प्राप्त अधिकारों के प्रचार और पालन के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी के तहत है,

प्रो0 हेमलता मिश्रा, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय ने बोलते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर 8 कन्वेंशन के बारे में बताया

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन

18 दिसंबर 1979 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। बीसवें देश द्वारा इसकी पुष्टि के बाद 3 सितंबर 1981 को यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में लागू हुई। 1989 में कन्वेंशन की दसवीं वर्षगांठ तक, लगभग सौ राष्ट्र इसके प्रावधानों से बंधे होने के लिए सहमत हो गए हैं।

यह कन्वेंशन महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा तीस वर्षों से अधिक के काम का समापन था, जो महिलाओं की स्थिति की निगरानी करने और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1946 में स्थापित एक निकाय था। आयोग का कार्य उन सभी क्षेत्रों को प्रकाश में लाने में सहायक रहा है जिनमें महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता से वंचित किया जाता है। महिलाओं की उन्नति के लिए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कई घोषणाएँ और सम्मेलन हुए हैं, जिनमें से महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन केंद्रीय और सबसे व्यापक दस्तावेज है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के बीच, कन्वेंशन मानवता की आधी महिला को मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कन्वेंशन की भावना संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों में निहित है:मौलिक मानवाधिकारों में :, मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास की पुष्टि करना। वर्तमान दस्तावेज समानता का अर्थ बताता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने में, कन्वेंशन न केवल

Prof Dinesh Sharma, Sri dev Suman Uttrakhand University delivered her lecture on Reproductive and maternal rights she told about Human rights encompass the fundamental freedoms and entitlements every individual should enjoy, including those concerning reproductive and maternal health. Reproductive rights pertain to the autonomy to make decisions about one's body, sexuality, and reproduction without discrimination, coercion, or violence. This includes access to contraception, abortion services, and comprehensive sexuality education. She told in her lecture that Maternal rights focus on ensuring safe and respectful childbirth experiences, adequate healthcare before, during, and after pregnancy, and the right to choose one's preferred birthing method. It also entails protection against maternal mortality, morbidity, and discrimination based on reproductive status.

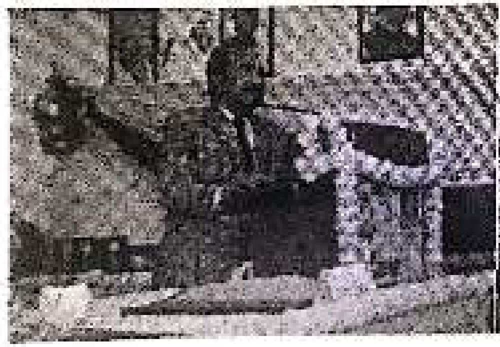

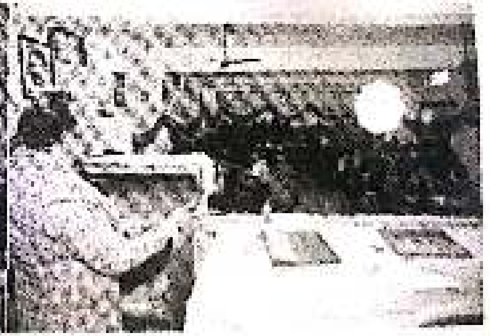

Promoting human rights in reproductive and maternal health involves addressing socio-economic inequalities, gender discrimination, and cultural barriers that impede access to essential services. It necessitates comprehensive healthcare systems, policies, and programs that respect, protect, and fulfill individuals' rights throughout the reproductive journey, regardless of gender, ethnicity, socio-economic status, or geographic location. By prioritizing these rights, societies foster equality, dignity, and well-being for all individuals, ensuring their ability to make informed choices and lead fulfilling lives.

Scanned with OKEN Scanner

… can work towards achieving gender equality, promoting social justice, and improving the overall health and well-being of communities.

Dr. Anita Moral, Associate Professor, Meerut College, Meerut gave her lecture on 'Sexual Harassment at the Workplace" "Domestic Violence Act" "Women Trafficking", Preconception and Pre-Natal Diagnostic Techniques and "SC/ST Act.

While speaking on sexual harassment at the workplace she described the meaning of sexual harassment includes physical contact, sexual colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome gesture, posture, or verbal expression. While defining the act she told its features, and circumstances of sexual harassment at the workplace, further, she defined the constitution of the internal complaint committee and local committee, and the provision for punishment for false complaints as well as the duties of the employer.

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पूर्ति हेतु एक... केवल मानव के है या उन ... पूर्ति

मानवाधिकार केवल मानव के है या उन अधिकारों को छीनने में विश्वास रखता है कि इस ... दूसरे मानव के जीवन स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को छीनने में विश्वास रखता है क्या इनके भी मानवाधिकार ... में हत्या के आरोप में जेल में बंद सिद्ध अपराधी, बलात्कारी आते हैं क्या इनके भी मानवाधि... है मेरी दृष्टि में इसका नकारात्मक जवाब होगा क्योंकि जो मानव होने के योग्य ही नहीं, ... लिए मानवाधिकार नहीं हो सकते।

प्रो0 राखी पंचोला, विभाग प्रभारी रा0वि0, रा0इ0म0रा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय ... बोलते हुए कहा कि किसी समाज की आत्मा का सूक्ष्मीकरण इससे बेहतर नहीं हो सकता ... वह अपने बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करता है (नेल्सन मंडेला)

बाल अधिकारों से तात्पर्य बच्चे को जन्म से पूर्व से लेकर व्यस्क होने तक प्राप्त हो... वाली सुविधाएं हैं, जो उसको परिवार, पड़ोस, विद्यालय या अन्य सामुदायिक, औद्योगि... प्रतिष्ठानों में अवश्य मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रदत्त किये जाने वाले अधिकारों के सम्ब... में विश्व के सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन, शिक्षा, विकास के तथा शोषण ... मुक्ति की सुविधाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए 54 अनुच्छेदों ... बाल अधिकारों की व्यवस्था की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य पर यह का... बाध्यकारी होते हैं।

बाल अधिकारों का वर्गीकरण–

बाल अधिकारों को चार भागों में बाँटा गया है–

1. **जीवित रहने का अधिकार–** बच्चे को जीने का, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर ... करने, समुचित पोषाहार का, मानवोचित जीवन स्तर उपभोग करने का, एक नाम और ... राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार सम्मिलित है। इस वर्ग के अधिकार बच्चों को अकालिक मृत्यु, अप्राकृतिक एवं विकृत व्यवहार से सुरक्षा, कुपोषण से बचाव एवं विभिन्न संक्रामक रोगों ... बचाव के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

जागरूक करने की यदि हमारे आसपास कहीं बाल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। यदि हम किसी बच्चे को उसकी खुशहाल जिन्दगी जीने में मदद करते हैं, तो यह हमारे स्वस्थ समाज निर्माण में एक बेहतरीन प्रयास होगा।

प्रो0 अतवीर यादव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कहा कि एक मानव को मानव अधिकारों का पता होना चाहिए। हम मानव है इसलिए हमारे अधिकार है। यह मानव को मालूम है। सरकारों के द्वारा जो संस्था बनाई गई है उन्हीं में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। संस्थाएं गौण हो गयी है। व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो गया है। अतः संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करना ज्यादा आवश्यक है। तभी महिला एवं बाल अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। हमने राजनीतिक स्वतंत्रता सन् 1947 में हासिल कर ली लेकिन बहुत सी गुलामी ओढ़े हुए है। किसी के अधिकार का हनन होते देख कर चुपचाप निकल जाते है। गलत का विरोध करने का साहस हमें दिखाना होगा। बच्चों के साथ कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार नहीं होता हम इन सब से आंख मूंद कर बड़े-बड़े, मंचों पर जाकर बड़ी बड़ी बात करते है। हमें समाज को शिक्षित करना है। तभी जनचेतना उत्पन्न होगी। सहमति का विवेक और असहमति का साहस अपने अन्दर होना चाहिए।

संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान

प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए

Scanned with OKEN Scanner

GFR 12 - A
[See Rule 238 (1)]

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE
FOR AUTONOMOUS BODIES OF THE GRANTEE ORGANIZATION

UTILIZATION CERTIFICATE FOR THE YEAR 2023-24 in respect

of recurring/non-recurring
GRANTS-IN-AID/SALARIES/CREATION OF CAPITAL ASSETS

1. Name of the Scheme- **Three Days Training Programme On Human Rights Sponsored By NHRC New Delhi**
2. Whether recurring or non-recurring grants- non-recurring grants
3. Grants position at the beginning of the Financial year
   (i) Cash in Hand/Bank- Bank
   (ii) Unadjusted advances
   (iii) Total
4. Details of grants received, expenditure incurred and closing balances. (Actuals)

Unspent Balances of Grants received years [figure as at Sl. No. 3 (iii)]	Interest Earned thereon	Interest deposited back to the Government	Grant received during the year			Total Available funds (1+2-3+4)	Expenditure incurred	Closing Balances (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			Sanction No. (i)	Date (ii)	Amount (iii)			
	NIL	NIL	T-11/22/2023-TRG	28-11-2023	1,01,250/-	101,250/-	2,23,238	121,988

Component wise utilization of grants:

Grant-in-aid-General	Grant-in-aid-Salary	Grant-in-aid-creation of capital assets	Total

Details of grants position at the end of the year
(i) Cash in Hand/Bank NIL
(ii) Unadjusted Advances
(iii) Total

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned:

I. The main accounts and other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instructions (mention the Act/Rules) and have been duly audited by designated auditors. The figures depicted above tally with the audited figures mentioned in financial statements/accounts.

II. There exist internal controls for safeguarding public funds/assets, watching outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, ensuring quality in asset creation etc. & the periodic evaluation of internal controls is exercised to ensure their effectiveness.

III. To the best of our knowledge and belief, no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/standing instructions and scheme guidelines.

IV. The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms and are not general in nature.

V. The benefits were extended to the intended beneficiaries and only such areas/districts were covered where the scheme was intended to operate.

VI. The expenditure on various components of the scheme was in the proportions authorized as per the scheme guidelines and terms and conditions of the grants-in-aid.

VII. It has been ensured that the physical and financial performance under.. (name of the scheme has been according to the requirements, as prescribed in the guidelines issued by Govt. of India and the performance/targets achieved statement for the year to which the utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – I duly enclosed.

VIII. The utilization of the fund resulted in outcomes given at Annexure – II duly enclosed (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications.)

IX. Details of various schemes executed by the agency through grants-in-aid received from the same Ministry or from other Ministries is enclosed at Annexure –II (to be formulated by the Ministry/Department concerned as per their requirements/specifications).

Date: 04/03/2024
Place: Landhaura, Roorkee

Signature
Name Vidit Kaushal
Chief Finance Officer
(Head of the Finance)
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
(Strike out inapplicable terms)

Signature
Name Dr. Sushil Upadhyay
Head of the Organisation
चमन लाल महाविद्यालय
हरिद्वार

Dr. Nishu Kumar
Head of Deptt. Political Science
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura Roorkee Haridwar (Uttrakhand)

Scanned with OKEN Scanner

dailyhunt

Google Play
App Store

15/02/2024
उद्घाटन सत्र

हिन्दुस्थान समाचार

चमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

11d · 1 shares

हरिद्वार, 15 फरवरी (हि.स.)। चमनलाल महाविद्यालय, लंढौरा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रान्त कार्यवाह दिनेश सेमवाल ने कहा कि जिन अधिकारों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं उनका वर्णन भारतीय ग्रन्थों में पूर्व में ही वर्णित है। भारत आज विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि अगर विश्व में शांति एवं सुरक्षा चाहते हो तो उसका एक मार्ग केवल भारत से ही निकलता है।

मुख्य वक्ता श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. डी.के.पी. चौधरी ने कहा कि अधिकारों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम प्रमाण 500 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। मानव अधिकारों के प्रथम घोषणा पत्र में सर्वाधिक योगदान महिलाओं का है।

कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय मंगलौर के प्राचार्य डॉक्टर तीर्थ प्रकाश, विशिष्ट वक्ता डॉ. अपेक्षा चौधरी एवं डॉ. कल्पना भट्ट, कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अतुल हरित ने भी मानवाधिकार पर अपने विचार रखे।

प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने स्वागत उद्बोधन में महाविद्यालय की उपलब्धियां एवं विगत वर्षों की प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि महाविद्यालय की पहली पीढ़ी के अनेक छात्रों ने नेट तथा जेआरएफ पास किया। विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में 7 विद्यार्थी हैं। महाविद्यालय में आधे से अधिक छात्र अल्पसंख्यक हैं। महाविद्यालय में बीते वर्षों में 50 से अधिक सेमीनार का आयोजन किया जा चुका है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राकेश त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में डॉ. हिमांशु, डॉ. अनीता, श्री नवीन कुमार, डॉ. श्वेता, डॉ. देवपाल, डॉ. मिनाक्षी शर्मा, डॉ. पुनीत, श्री विद्युत सिंह आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रजनीकांत/प्रभात

Dr. Nishu Kumar
Head of Dept. Political Science
... (Uttarakhand)

प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लंढौरा, हरिद्वार

Scanned with OKEN Scanner

15/02/2024

अपने सांस्कृतिक मूल्यों से मुंह न मोड़ें: दिनेश सेमवाल

चमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

मनुष्य के अधिकारों पर की चर्चा

चमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन

संवाद न्यूज एजेंसी

रुड़की। लंढौरा स्थित चमनलाल महाविद्यालय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दूसरे दिन भी मनुष्य के अधिकारों पर चर्चा की गई।

शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल, कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, सचिव अरुण हरित ने मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. नीरज कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, ऋषिकेश कैंपस के प्रो. दिनेश शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान में निहित का चित्र है। यदि भारतीय समाज की बात करें तो यह पुरुष प्रधान समाज है। भले ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आजकल बहुत प्रचलित है लेकिन महिलाओं और बालकों में आज भी ग्रामीण समाज में भेदभाव किया जाता है। प्रो. हेमलता मिश्रा ने कहा कि सभ्यता की शुरुआत के साथ ही अधिकार प्राप्त होते हैं।

इसके बावजूद बार-बार मानवाधिकारों की बात करनी होती है। इस मौके पर मेरठ कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनीता मोरल, मुख्य वक्ता डॉ. मनोज कुमार त्रिपाठी, प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय, डॉ. हिमांशु मौजूद रहे।

Dr Bishu Kumar
Head Deptt. Political Science

प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय

आज — उत्तराखण्ड समाचार

सांस्कृतिक मूल्यों से मुंह न मोड़ें : सेमवाल

[illegible]

सांस्कृतिक मूल्यों से मुंह मोड़ रही नई पीढ़ी : दिनेश

संवाद न्यूज एजेंसी

चमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

रुड़की। संबद्ध चमनलाल महाविद्यालय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनुष्य के जीवन में उसके अधिकारों की महत्ता और महिला अधिकारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए अतिथियों ने व्याख्यान प्रस्तुत किया।

बृहस्पतिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एचएनबी के पूर्व कार्यवाहक दिनेश सेमवाल कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्ष रामकुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अतुल हरित ने मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. नीटू कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि दिनेश सेमवाल ने कहा कि जिन अधिकारों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं उनका भारतीय ग्रंथों में पूर्व में ही जिक्र है। अध्यक्ष रामकुमार शर्मा ने कहा कि समाज के प्रत्येक मनुष्य तक संस्कार युक्त गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वांगीण विकास की युक्त शिक्षा पहुंचाकर ही व्यक्तियों का संपूर्ण अधिकारों को दिया जा सकता है।

मुख्य वक्ता श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. डीसी चौधरी और राजकीय महाविद्यालय नगरौर के प्राचार्य डॉ. दीर्घ प्रकाश ने मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव के अधिकारों को प्रथम बार घोषणा मैग्नाकार्टा की घोषणा से माना जाता है। इस दौरान विशिष्ट वक्ता डॉ. अनीता चौधरी, डॉ. कल्पना भट्ट, प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय, डॉ. हिमांशु, डॉ. अनीता, नवीन कुमार, डॉ. श्वेता, डॉ. देवपाल, डॉ. किरण शर्मा, डॉ. पुनीत, विपुल सिंह आदि मौजूद रहे।

Dr. Nishu Kumar
Head of Dept. Political Science
Chaman Lal Mahavidyalaya
Landhaura Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

प्राचार्य

Scanned with OKEN Scanner

अपने सांस्कृतिक मूल्यों से मुंह न मोड़े : सेमवाल

धमनलाल महाविद्यालय में तीन दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

[illegible]

सांस्कृतिक मूल्यों से मुंह न मोड़े : सेमवाल

[illegible]

15/04/...

आज

महिला हिंसा की जड़ें घर के भीतर : शर्मा

विशेषज्ञों ने किया नई पीढ़ी का मार्गदर्शन

महिला हिंसा की जड़े घर के भीतर: प्रोफेसर दिनेश शर्मा

विशेषज्ञों ने किया नई पीढ़ी का मार्गदर्शन

17/02/2024

पुलिस भी करती है मानवाधिकार का पालनः सीओ

पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार ने मेरा बचपन मेरे कंधों पर पुस्तक का किया विमोचन

[illegible]

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न विशेषज्ञों ने किया नई पीढ़ी का मार्गदर्शन

देश रोजाना ब्यूरो, लंढौरा

चमनलाल महाविद्यालय, लंढौरा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के संयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन की विधिवत शुरुआत महाविद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष पं. राम कुमार शर्मा एवं प्रबंध समिति सचिव अरुण हरित के साथ मुख्य अतिथि सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ. दीपा कुमार ने सभी का स्वागत किया। प्राचार्य डॉ. सुशील उपाध्याय ने कहा कि छात्रों में जिज्ञासा से ज्यादा डर से भाव है। शिक्षकों की सारी जिन्दगी अपने छात्रों को लघुता मुमुक्षु बनाने में गुजर जाती है। डॉ. [illegible] ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग- प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा करें। जो अधिकार एक व्यक्ति को मिलते है, वे व्यक्ति उसके दुरुपयोग द्वारा दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीन लेता है। मानवाधिकार-अधिकार मानव के वे सभी हैं जिन्हें समान रूप से मान्यता मिलती है तथा जो राज्य द्वारा लागू किये जाते हैं। इन अधिकारों का स्वरूप नैतिक कानूनी, राजनीतिक या अधिक हो सकता है और इनका मिश्रित रूप ही मानवाधिकार कहलाता है। भारत में मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। मानवाधिकार सिर्फ मानवों के होने चाहिए पशुओं के नहीं। प्रो. राखी पंचोला ने कहा कि बाल अधिकार [illegible] है। बच्चे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, बच्चों के साथ अक्सर गलत व्यवहार होता है, उन्हें पूर्ण नागरिक का दर्जा नहीं दिया जाता है, विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। डॉ. [illegible] ने कहा कि एक मानव को मानव अधिकारों का पता होना चाहिए। हम मानव है इसलिए हमारे अधिकार है। [illegible] है। सरकारों के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई है उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया है। संस्थाएं गौण हो गई है। व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है। अतः संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करना ज्यादा आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

THREE DAYS TRAINING PROGRAMME

ON

"HUMAN RIGHTS"

SPONSORED BY : NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (NHRC)

ORGANISED BY : DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE,

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAY, LANDHAURA, ROORKEE, HARIDWAR (UTTARAKHAND)

15/02/2024

Session - III and Session IV

15-17 February 2024

ATTENDANCE SHEET

Sl.No.	Name	Department	Institution Name	Email	Whatsapp No.	Signature
1.	Dr. Kalpana Bhatt	Political Sci	[illegible] PG College, [illegible]	kalpanabhatt[illegible]@gmail.com	[illegible]	Kalpana
2.	Dr. Anand Kumar [illegible]	"	"	[illegible]@gmail.com	[illegible]	Anand
3	Minakshi	History	Maharshi Dayanand University, Rohtak	minakshi[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
4	Sneha [illegible]	"	Institute of management science & Research	[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
5	Deepika	Sociology	[illegible] Institute of management science	deepika[illegible]@gmail.com	[illegible]	Deepika
6	Naveen Kumar	Sociology	Chamanlal college, Landhaura	[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
7.	Dr. Sangeeta Sharma	History	"	[illegible]@gmail.com	[illegible]	Sangeeta
8	Dr. Prasad Sharma	Law	"	[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
9	Shivam Sharma	History	"	[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
10	Kalpana	Sociology	Kumaun University, Nainital	kalpana[illegible]@gmail.com	[illegible]	[illegible]
11	Rahul Jaiswal	-	S.M.F. Govt Girls PG College, Meerut	DRRAHULJAISWAL[illegible]@gmail	[illegible]	Rahul

Dr. Nishu Kumar
Head of Dept. Political Science
Chaman Lal Mahavidyalaya

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

TRAINING PROGRAMME
ON
"HUMAN RIGHTS"

SPONSORED BY : NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (NHRC)
ORGANISED BY : DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE,
CHAMAN LAL MAHAVIDYALAY, LANDHAURA, ROORKEE, HARIDWAR (UTTARAKHAND)

15-17 February 2024

ATTENDANCE SHEET

Sl.No.	Name	Department	Institution Name	Email	Whatsapp No.	Signature
12.	Dr. [illegible] Rani	Political Sci.	H.V.M (PG) College, Raisi	[illegible]@gmail.com	7715546744	[signature]
13	Dr. [illegible]	"	"			
14	Pratima	"		[illegible]@gmail.com	6395 [illegible]	[signature]
15	Dr. Gaurav Singh	"	Radhey Hari (PG) College, Kashipur	pratima[illegible]@gmail.com	7248 [illegible]	[signature]
16	Dr. Neetu Gupta	Home Science	Govt. Degree College, [illegible]	[illegible]@gmail.com	9997 [illegible]	[signature]
17	Deepak Kumar Yogi	Social work	Chamanlal Mahavidyalaya	[illegible]@gmail.com	8509964601	[signature]
18	Imran Khan	Pol.	University of Delhi	deepak-yogi[illegible]@yahoo.com	[illegible]	[signature]
19	Dr. Nisha Pal	Sociology	M.PG College	[illegible]@gmail.com	[illegible]	[signature]
20	Mahavir Saini	"	H.V.M PG College, Raisi	nisha.[illegible]@gmail.com	8449 [illegible]	[signature]
21	Gunjan Jain	Pol. Sci.	S.I.T.J. College of Education & Research	[illegible]@gmail.com	8783 [illegible]	[signature]
22	Deepak Kumar	Pol. Sci.	Govt. Degree College, [illegible] CCSU, Meerut	gunjan [illegible]@gmail.com deepak[illegible]@gmail.com	8719977 [illegible] 8035945538	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

THREE DAYS TRAINING PROGRAMME

ON

"HUMAN RIGHTS"

SPONSORED BY : NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (NHRC)

ORGANISED BY : DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE,

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAY, LANDHAURA, ROORKEE, HARIDWAR (UTTARAKHAND)

15-17 February 2024

ATTENDANCE SHEET

Sl.No.	Name	Department	Institution Name	Email	Whatsapp No.	Signature
23	Dr. Dev[illegible]	Commerce	C.L.M. Landhaura	[illegible]@gmail.com	[illegible]	
24	Sarika Gautam	Sociology	Himalayan Univ. [illegible]	socio2022@gmail.com	7[illegible]	
25	Rita Devi	"	"	"	"	
26	Dr. [illegible] Sharma	[illegible]	C.L.M. Landhaura Haridwar	[illegible]@gmail.com	[illegible]	
27	Dr. Punita Sharma	Library science	C.L.M.	[illegible]@gmail.com	7[illegible]	
28	Dr. Kiran Sharma	Commerce	C.L.M.	[illegible]@gmail.com	[illegible]	
29	Mr. Kaushakar [illegible]	Law	"	[illegible]@gmail.com	9[illegible]	
30	Dr. Shivani [illegible]	"	"	shivani[illegible]@gmail.com	[illegible]	
31	Dr. Sonam	"	"	sonamkatariya[illegible]@gmail.com	[illegible]	
32.	Dr. [illegible]	"	"	[illegible]@gmail.com	[illegible]	
33	Shivam Sharma	[illegible]	C.L.M. Landhaura	[illegible]		

Scanned with OKEN Scanner

Three Days Training Programme

On

"HUMAN RIGHTS"

15-17 February 2024

Sponsored by : National Human Rights Commission (NHRC)

Organised by : Department of Political Science

Chaman Lal Mahavidhyalaya, Landhaura, Haridwar (Uttarakhand)

FEEDBACK FORM

1. त्रीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई?

(i) परिचित से (ii) महाविद्यालय वेबसाइट से (iii) सोशल मीडिया से

2. क्या आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से पूर्व मानवाधिकार का ज्ञान था?

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) आंशिक

3. क्या आपको लगता है कि वक्ताओं द्वारा दिये गये व्याख्यानों से आपका ज्ञानवर्धन हुआ है–

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) आंशिक

4. क्या आपको लगता है कि वक्ताओं ने अपने विषय के साथ पूर्ण ईमानदारी निभाई है–

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) आंशिक

5. क्या आपको लगता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में विषय की रोचकता बनी रही है–

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) आंशिक

6. क्या आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान किसी प्रकार की कठिनता का अनुभव हुआ है

(i) हाँ (ii) नहीं (iii) कभी–कभी

7. क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम शिक्षक व छात्र–छात्राओं के लिए लाभदायक होते हैं–

(i) हाँ (ii) नहीं

8. ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे अधिक दिलचस्प रहा–

[illegible handwriting]

9. आपको किस वक्ता के द्वारा दिया गया व्याख्यान पसन्द आया?

प्रो. [illegible handwriting]

Dr. [illegible] Kumar

[illegible] Science

प्राचार्य

चमन लाल महाविद्यालय

[illegible]

THREE DAYS
TRAINING PROGRAMME
ON
"HUMAN RIGHTS"

Sponsored By : National Human Rights Commission (NHRC)
Organised by : Department of Political Science, Chaman Lal Mahavidyalaya Landhaura, Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

COURSE CONTENTS

	FIRST DAY - 15-02-2024	
Session-I	**Introduction to Human Rights** • Constitutional provisions • Universal Declaration on HumanRights,1948 • International Covenants regarding Human Rights	**Prof. D.K.P. Chaudhary** HOD, Department of Political Science, Rishikesh Campus, Sri Dev Suman Uttarakhand University Tehri Garhwal (Uttarakhand)
Session-II	**Human Rights Institutions in India** • Protection of Human RightsAct,1993 • Composition and function in go NHRC/SHRCs • Other National/State Commissions	Dr . Kalpana Bhatt
Session-III	**Rights of Women and Children** • UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 and its optional protocols • UN Convention on the Rights of the Child,1989 and its optional protocols	**Dr. Tirath Prakash** Associate Professor Dept. of Political Science Govt. Degree College, Manglore, Haridwar (U.K.)
Session-IV	**Rights of other vulnerable groups** • Bonded Labour Issues & the Bonded Labour System (Abolition)Act,1976 • Child Labour Issues & Child Labour (Prohibition and Regulation)Act,1986 • SC/ST issues & Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act,1989,Civil Liberties Act,1988 & The Forest Rights Act,2006	DR. APEKSHA CHAUDHARY ASSISTANT PROFESSOR INSTITUTE OF LEGAL STUDIES CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT CAMPUS
	TWO DAY - 16-02-2024	
Session-I	**Introduction to Human Rights** • Constitutional provisions • Universal Declaration on Human Rights,1948 • International Covenants regarding Human Rights • Protection of Human Rights Act,1993 • Composition and functioning of NHRC/SHRCs	**Dr Manoj Kumar Tripathi, Associate Professor & Head, Department of Liberal Arts & Humanities, Faculty of Arts & Social Sciences, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, U.P.**
Session-II	**Rights of Women** • UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979 and its optional protocols • Indian Constitution Provisions for Protection of Rights of Women • Composition and functioning of NWC/SWCs	**Prof. Hemlata Mishra** Department of Political Science, Rishikesh Campus, Sri Dev Suman Uttarakhand University Tehri Garhwal (Uttarakhand)

Scanned with OKEN Scanner

Session-III	**Rights of Women contd.** • Sexual Harassment of Women at Workplace & Complaints • Mechanism • Women trafficking • Violence against women • Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 • Female feticide and Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic • Techniques(Prohibition of Sex Selection) Act,2003 • Issues relating to women of disadvantaged sections like SC/ST or Persons with disability	**Dr. Anita Moral** Associate Professor, Dept. of Psychology, Meerut College, Meerut
Session-IV	**Rights of Women contd.** • Reproductive and Maternal Health • Nutritional deficiencies among women • Education and Employment issues	**Prof. Dinesh Sharma** Department of Political Science, Rishikesh Campus, Sri Dev Suman Uttarakhand University Tehri Garhwal (Uttarakhand)
	THREE DAY - 17-02-2023	
Session-I	**Introduction to Human Rights** • Constitutional provisions • Universal Declaration on Human Rights,1948 • International Covenants regarding Human Rights • Protection of Human Rights Act,1993 • Composition and functioning of NHRC/ SHRCs/ NCPCR	**Dr. Nibha Rathi** Assistant Professor, Satikund Mahila (PG) College, Kankhal, Haridwari
Session-II	**Rights of Child** • UN Convention on the rights of the child and its optional protocols • Right to survival and development • Right to participation • Right to protection	**Prof. Rakhi Panchola** Associate Professor, Department of Political Science SDM PG College, Doiwala, Dehradun, Uttarakhand
Session-III	**Rights of Child contd.** • Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 • Child Labour Issues & Child Labour (Prohibition and Regulation) Act,1986	**Prof. Atvir Singh** HOD, Department of Economics CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT CAMPUS
Session-IV	**Closing ceremony** • Feedback and Evaluation • Farewell Reception and Networking	

Scanned with OKEN Scanner

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAYA

Landhaura, Roorkee, Haridwar (Uttarakhand)

(NAAC B+ Accredited, ISO certified, Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University, New Tehri Garhwal (Uttarakhand)

SPONSORED BY
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (NHRC)

THREE DAY TRAINING PROGRAMME ON HUMAN RIGHTS

15th to 17th Feb. 2024

ORGANISED BY

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAYA
Landhaura, Roorkee, Haridwar (uttarakhand)

Phone: 1332-251492 | Mob: 8126501692, 7983285120

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

05/02/2024

सेवा में

श्रीमान प्राचार्य

चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा, हरिद्वार

विषय - तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है की राजनीति विज्ञान विभाग चमनलाल महाविद्यालय 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना चाहता है जो की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली से संपोषित है।

अतः आपसे निवेदन करना है की तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

अनुमत
05.02.24

अवलोकनार्थ
मा. अध्यक्ष, प्रबंध समिति

स्वीकृत
5/2/24

डॉ. नीधु कुमार
चमन लाल महाविद्यालय

Manav Adhikar Bhawan Block-C GPO Complex
INA New Delhi -110023
Fax 91-011-24663471-24651329
E-mail:grotrg.nhrc@nic.in
Website.www.nhrc.nic.in

...T/.../2023-Trg

Dt. 14 /9/23

...ear Sir,

I am happy to inform that the Commission has considered your Human Rights Training Proposal and approved the following programme and budget, to be conducted at the earliest, subject to the ...ation that the resource persons and course content would be decided in consultation with the Training Division of NHRC:

"One (Three-Days) Three Days Training Programme on Human Rights for at least 100 participants with total approved budget of ***Rs.2,02,500/- (Rupees Two Lakh Two Thousands Five Hundred only) as Grant in Aid/Financial Assistance from NHRC and minimum Rs.22,500/- (Rupees Twenty Two Thousand Five Hundred only) as Institution contribution (Total Budget= Rs.2,25,000/- Rupees Two Lakh Twenty Five Thousand only)"***

2. You may please go ahead and make all the necessary arrangements for conducting the said training programme as per schedule & budget annexed and adhered with the financial norms of the Commission, otherwise amount will be deducted from the sanctioned budget as per the norms of NHRC. Please also inform us the dates, venue and detailed programme schedule (*Session-wise with names of the Resource Persons*) alongwith formal invitation to the Special Rapporteur-North Zone, NHRC OR Senior Officer of the Commission to grace the function as Chief Guest/to attend the programme, if possible. This may be ensured as non-adherence of this stipulation and holding the programme without sufficient timely intimation may result in non-payment of financial assistance. You may download reading material from our website www.nhrc.nic.in.

3. Only on receipt of the detailed programme schedule (*Session-wise with names of the Resource Persons*) subject to approval of the same by the Commission, advance part payment of the sanctioned amount will be released. Please inform us in whose favour (Designation & Address only in whose name A/c of the Institution is maintained – for electronic clearing services, kindly submit Mandate Form - copy enclosed) the payment has to be sent. Once again, I take this opportunity to thank you for the proposal and looking forward for more interaction in promotion of Human Rights.

Contd/2/-

...may be considered on the priority basis as the programme has to be completed well in time, as well as the Utilization Certificate (GFR 12-A format only- copy enclosed) along with detailed Expenditure Statement expenditure duly audited and signed by the Authorized Signatory, Detailed Programme Report, List of Participants & Resource Persons with their address & contact numbers, Photographs/Video Recording of the programme, Feedback Forms Certificate of participants ,all the documents (in original) etc. of the programme must be submitted within 20 days from the commencement of the same, so as to settle accounts of the Commission.

With regards

Yours sincerely

(Lt. Col. Virender Singh)
Director

Encl: Annexure- V, GFR-12-A & ECS Mandate Form

To,
Dr. Nisha Kumar
Assistant Professor & Head
Department of Political Science
Chaman Lal (P.G.) College, Landhaura
Roorkee, Uttarakhand-247664
Mob:-8126501692
Mail:-ddepree21@gmail.com

Copy to information

The Secretary,
Plot No A-8, IT Park,
Sahastradhara Road,
Dehradun, Uttarakhand-248001
uttarakhand-hrc@uk.gov.in

(Lt. Col. Virender Singh)

Scanned with OKEN Scanner

25/07/23

सेवा में
प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार उत्तराखंड

विषय तीन दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के आवेदन करने के लिए अनुमति के संबंध में।

महोदय,
उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रार्थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में तीन दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जिसका विषय मानव अधिकार महिला सुरक्षा व शोषण के संदर्भ में पर आवेदन करना चाहता है जिसकी अनुमति की आवश्यकता है
अतः आपसे अनुरोध है कि तीन दिवसीय शार्ट टर्म प्रोग्राम की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें

सादर

भवदीय
डॉ. मीशू कुमार सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग
चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा हरिद्वार उत्तराखंड

IQAC

Chaman Lal Mahavidyalaya, Landhaura (Haridwar) — IQAC Coordinator

IRES/CLM/107-2023

अग्रसारित
25.07.2023

मा० प्र० सचिव / अध्यक्ष, प्र०स० समिति

25.07.2023

Programme:B.Com.Honours.	Year:Second	Semester:III
Group:SkillandAbilityEnhancement		
CourseCode:BCH-305	CourseTitle:ConsumerBehaviour	

Course Outcome: At the end of this course, students would be able to:

1. Gain knowledge on consumer behaviour, relationship with interdisciplinary and its applications such as Psychological influences, Social influences and decision process.
2. Demonstrate how knowledge of consumer behaviour can be applied to marketing.
3. Identify and explain factors which influence consumer behaviour.
4. Relate internal dynamics such as personality, perception, learning motivation and attitude to the choices consumers make.

Credits:3

Max.Marks:25+75

TotalNo.ofLectures:45

Unit	Topics	No. ofLectures
I	Consumer behavior: Concept Scope and Implications; Integration of consumerbehaviorinthemarketingconcept;ConsumerDecisionMakingProcess;Levels ofconsumerdecisionmaking; TypesofConsumerDecisionMaking.	5
II	Consumer as an Individual Consumer Motivation; Consumer Involvement.PersonalityandSelf-Concept;Perception,ConsumerLearningandMemory, AttitudesandChangingAttitudes,informationProcessing.	10
III	ConsumerinSocialandCulturalSettingsReferencegroupsandfamilyinfluences;Socialclass,cultural;sub culturalandcrossculturalinfluenceson consumer Behaviour: personal influences and diffusion of innovation; Impact of Media andGlobalisation	10
IV	Consumer Decision Process and Problem recognition; search and evaluating;purchasingprocesses;postpurchaseBehaviour;consumerbehaviourmodels; consumerism.	10
V	ConsumerSatisfactionMeasurementofconsumersatisfactionanddis-satisfaction,repeat buying, brand switching and loyalty, opinion leadership, complainingBehaviour.	10

SuggestedReadings:

1. SchiffmanandKanuk:ConsumerBehaviour,PrenticeHall
2. Engle,BlackwellandMinriad:ConsumerBehaviour
3. PrasadVeena.,HalpethBooma.,ConsumerBehaviour,HimalayaPublishingHouse
4. SinghAtish.,ConsumerBehaviour,HimalayaPublishingHouse
5. PrakshShri.,TheoryofConsumerBehaviour,VikasPublishingHouse
6. AgarwalGaurav,ConsumerBehaviour,,SahityaBhawanPublication
7. KumarDharmendra,.BasicsofConsumerBehaviour,SahityaBhawanPublication

Note:Latesteditionoftextbooksmaybeused.

Suggested online link: www.ignou.ac.in, www.swayam.gov.in, www.inflibnet.ac.in

Suggested Continuous Evaluation Methods: In addition to the theoretical inputs the course will be delivered through Assignments, Presentation, Group Discussions. This will instill in student a sense of decision making and practical learning.

Programme: B.Com.Honours.	Year: First	Semester: I
Group: SkillandAbilityEnhancement		
CourseCode: BCH-105	CourseTitle: BusinessCommunication	

Course Outcome (COs) : Upon completion of this course student will be able to

1. Develop communication skills and use of electronic media in business communication
2. Learn the way to overcome communication barriers
3. Practice modern forms of communication
4. Formulate job related communication and resume preparation
5. Attend interview and participate in Group discussion with confidence

Credits: 3

Max.Marks: 25+75

TotalNo.ofLectures: 45

Unit	Topics	No. ofLectures
I	IntroductionProcess and Importance of Communication, Types of Communication (verbal & Nonverbal). Different forms of Communication. Barriers to Communication: Linguistic Barriers, Psychological Barriers, Interpersonal Barriers, Cultural Barriers, Physical Barriers, Organizational Barriers. Role, effects and advantages of technology in Business Communicationlike email, text messaging, instant messaging and modern techniques likevideo conferencing, social networking. Strategic importance of e- communication. Principles of Effective Communication.	9
II	NON-Verbal Aspects of Communicating: Body Language, Kinesics, Proxemics, Paralanguage. Effective Listening: Principles of Effective listening, Factors affecting listening exercises, Oral, Written and videosessions.	9
III	Business language and presentationWriting skills: Planning business messages, Rewritingand editing, The first draft and Reconstructing the finaldraft. Office Correspondence:OfficialLetter, SemiOfficial Letter andMemorandum.	9
IV	Conducting Meetings: Procedure; Preparing agenda; Minutes and Resolutions, Conducting Seminars & Conferences; Procedure of Regulating Speech, Evaluating Oral Presentation; Group Discussion; Drafting Speech.	9
V	Report Writing: Identify the types of reports, define the basic format ofa report, identify the steps of report writing, write a report meeting the format requirements, determine theprocess of writing a report, importance of including visuals such as tables, diagrams and charts in writing report, apply citation rules (APAstyle documentation) inreports	9

SuggestedReadings:

1. Lesikar, R.V. & Flatley, M.E.; Basic Business Communication Skills for Empowering the Internet Generation, Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd. New Delhi.
2. Bovee, and Thill, Business Communication Today, Pearson Education

Note-Latesteditionof thetextbookshouldbeused.

Suggested online link: www.ignou.ac.in, www.swayam.gov.in, www.inflibnet.ac.in

Suggested Continuous Evaluation Methods: In addition to the theoretical inputs the course will be delivered through Assignments, Presentation, Group Discussions. This will instill in student a sense of decision making and practical learning

Programme: M.Com.	Year: IV	Semester: Eighth
Subject: Commerce		
Course Code: MC-801	Course Title: **Behavioral Sciences**	
Course outcomes:		
Credits: 5	**Core Compulsory/Elective:** Compulsory	
		Max. Marks: 25+75
Total No. of Lectures: 75		

Unit	Topics	No. of Lectures
I	**Introduction:** Organisational Behaviour-Concept; Contributing Disciplines; Foundation; Challenges and Opportunities; Human Behaviour-Nature. Process and Models.	10
II	**Individual Behaviour:** Personality-Determinants; Theories; Organisational Implications; Perception – Process; Factors Influencing; Managerial Utility; Sensation Vs. Perception; Learning-Nature, Process, Factors Affecting, Importance for Managers; Motivation-Need, Theories and Types of Incentives and Precautions in their Use; Special Issues in Motivation-Employees Recognition Programmes and Employees Involvement Programmes; Skill-based Pay Plans; Flexible Benefits etc.	20
III	**Group Behaviour:** Transactional Analysis-Levels of Self Awareness; Ego States; Life Positions; Transactions; Stroking; Uses of T.A.; Group Dynamics-Meaning and Nature of Group; Formal Groups – Committee, Task Force and Quality Circle; Informal Groups-Causes of Formation; Managing Informal Groups; Individual Vs. Group Decision Making.	18
IV	**Leadership, Power and Authority:** Leadership-Nature, Significance and Styles; Theories; Providing Effective Leadership; Power and Authority Bases of Power and Sourcesof Authority; Authority Limits; Increasing Power.	13
V	**Morale and Stress Management:** Morale- Nature, Factors Influencing and Methods of Measurement; Morale Building; Productivity and Morale; Stress Management-Sources, Consequences and Coping Strategies.	14

Suggested Readings:

1. Luthans, Fred; Organizational Behavior; Tata McGraw Hill.
2. Robbins, S.P. Judge, T.A. ,Vohra, Niharika; Organizational Behavior, Pearson Education.
3. Prateek, Udai; Understanding Organizational Behavior; Oxford University Press.
4. Newstorm, John; Human Behavior at Work; Tata McGraw Hill.
5. McShane, Steven L.,Mary, Von Glinow and Radha, R. Sharma; Organizational Behavior, Tata McGraw Hill.
6. Singh, Kavita; Organization Behavior; Text and Cases; Pearson Education.
7. Dr. S.S Khanna ; Organizational Behaviour, S.Chand Publications
8. L.M. Prasad; Organizational Behaviour, S.Chand Publications